लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(दसवां सत्र)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
53(20)
23.2.83

(खंड 33 में अंक 11 से 20 तक है)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	3—4
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	...	4—14
रंगीन टेलीविज़न सैटों का आयात		
श्री एन० के० शेजवलकर	...	4—9
श्री शिवराज वी० पाटिल	...	9—14
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	...	11—13
सभा का कार्य	...	14—18
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1982-83	...	18—19
विधेयक-पुरःस्थापित—		
(एक) आन्ध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) विधेयक	...	18—19
(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक	...	—19
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1982 के बारे में विवरण	...	—19
श्री प्रणव मुखर्जी		
रबड़ (संशोधन) विधेयक	...	19—30
विचार करने का प्रस्ताव		
श्री एन० डेनिस	...	19—22
श्री जी० एम० बनातवाला	...	22—24
श्री शिवराज वी० पाटिल	...	24—29
खंड 2 से 6 और 1		
पास करने का प्रस्ताव	...	29—30
श्री शिवराज वी० पाटिल		—30
चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक	...	30—48
विचार करने का प्रस्ताव		
श्री धर्मवीर		30-32 तथा 42—45
श्री अजित बाग	...	32—33
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	33—37
श्री त्रिलोक चन्द्र	...	37—39
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	...	39—41
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	...	41—42
खंड 2 से 8 और 1		
पास करने का प्रस्ताव	...	45—47
श्री धर्मवीर	...	46—47
श्री राम विलास पासवान	...	47—48
नियम 66 के परन्तुक को निलम्बित करने के बारे में प्रस्ताव	...	—48
चीनी उपकर (संशोधन) विधेयक और		

चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक ... 49—74
विचार करने का प्रस्ताव
राव बीरेन्द्र सिंह ... 49—71
श्री जायनल अबेदिन ... 49—53
श्री बालासाहिब विखे पाटिल ... 53—54
श्री कमला मिश्र मधुकर ... 54—56
श्री राम विलास पासवान ... 56—57
श्री चित्त बसु ... 57—59
श्री रशीद मसूद ... 60—63
प्रो० एन० जी० रंगा ... 63—66
चीनी उपकर (संशोधन) विधेयक
खंड 2 और 1
पास करने का प्रस्ताव ... —71
राव बीरेन्द्र सिंह ... —71
श्री सुधीर गिरि ... —72
श्री भोगेन्द्र झा ... 72—73
चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक
खंड 2 और 1
पास करने का प्रस्ताव ... 73—74
राव बीरेन्द्र सिंह ... 73—74
विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) संशोधन विधेयक ... 74—83
विचार करने का प्रस्ताव
श्री धर्मवीर ... 74—75
श्री ई० बालानन्दन ... 75—78
श्री बी० डी० सिंह ... 78—79
श्री रतनसिंह राजदा ... 79—80
श्री भोगेंद्र झा ... 80—81
खंड 2, 3 और 1
पास करने का प्रस्ताव ... 82—83
श्री धर्मवीर ... —82
मुख्तारनामा (संशोधन) विधेयक ... 83—87
विचार करने का प्रस्ताव
श्री गुलाम नबी आजाद ... 83—87
श्री एम० रामन्ना राय ... —84
खंड 2 से 6 और 1
पास करने का प्रस्ताव ... 85—87
श्री गुलाब नबी आजाद ... 85—87
श्री भोगेन्द्र झा ... —86
श्री आर० एस० स्पैरो ... —86
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक के बारे में ... —87

लोक सभा वाद विवाद (हिन्दी संस्करण)

लोक सभा

शनिवार, 16 अक्तूबर, 1982/24 आश्विन, 1904 (शक)
लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैंने आपसे एक अनुरोध किया था । मैंने आपके साथ बात भी की थी । विवादास्पद मामले के बारे में कुछ न कहते हुए मैं आप से एक अनुरोध करना चाहूंगा । मैं 10 दिसम्बर, 1962 का कार्यवाही-वृतान्त देखना चाहूंगा जब एक ओर प्रधान मंत्री पंडित नेहरू तथा श्री एच० वी० कामत और दूसरी ओर प्रो० रंगा के बीच काफी कहा-सुनी हुई थी ।

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे ।

प्रो० मधु दंडवते : आप देखिये उन्होंने एक दूसरे के बारे में क्या कहा था । पंडित जी ने श्री एच० वी० कामत के बारे में क्या कहा था और भी कामत ने क्या कहा नियम 353 बीच में कभी नहीं लाया गया । अतः मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप इन बातों पर सावधानी पूर्वक विचार कीजियेगा ।

अध्यक्ष महोदय : कोई खास बात नहीं है आपस में बैठकर बात कर लेंगे । (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : जब डिप्टी स्पीकर चेयर पर रहते हैं उस समय हम प्रधान मंत्री शब्द नहीं कह सकते । (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : यदि हमें किसी मंत्री की आलोचना नहीं करनी है, तो फिर हमारे लिए इस सदन में रहना कठिन हो जायेगा । जब हम मंत्री थे, तो हमने प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा आलोचना किये जाने का कभी बुरा नहीं माना । यहां तक कि श्री मोरार जी देसाई पर भी आक्रमण किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : हमने कभी नहीं रोका...।

प्रो० मधु दंडवते : श्री स्टीफन ने इस सदन में उन्हें बेवकूफ तक कहा और उसे कार्यवाही वृतान्त से नहीं निकाला गया । और वित्त मंत्री के बारे में तो हमने केवल यह कहा कि वह सदन की प्रभुसत्ता को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हाथ बेच रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा उद्देश्य हमेशा रचनात्मक, स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार-विमर्श का रहा है ।

प्रो० मधु दंडवते : वह हमारा रवैया था ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । हम उस परम्परा को कायम रखेंगे । (व्यवधान)

रामविलास पासवान : आप कल भी प्रोसीडिंग के थ्रू गये हैं ? (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : इसे हम आप पर छोड़ेंगे और आप सुनिश्चित करें कि हमारा मुँह बन्द न किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : किसी को भी ।

प्रो० मधु दंडवते : वह विनिर्णय रिकार्ड में रहेगा । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह विनिर्णय का प्रश्न नहीं है । यह निर्वचन का प्रश्न है जिसका फैसला हम अभी कर सकते हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने यही फैसला किया है । अब यह मामले को लम्बा खींचने की बात है और कुछ नहीं ।

प्रो० मधु दंडवते : इसे इतना लम्बा मत खींचिये ।

अध्यक्ष महोदय : हमें सदन के हित की रक्षा करनी है । हमें इस सदन के प्रत्येक सदस्य के हित की रक्षा करनी है । यह मेरा उद्देश्य है और हम इसे कायम रखेंगे । उसके लिए चिन्ता मत करिये । (व्यवधान)

श्री रसीद मसूद (सहारनपुर) : अध्यक्ष महोदय छोटा नागपुर में फायरिंग हुआ है, लाठी चार्ज हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : स्टेट सब्जेक्ट है । वहीं डील होगा ।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों का मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं देखूंगा । आप सब क्यों बोल रहे हैं ?

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, गाजियाबाद के बारे में... । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आई हैव अलाउड । आप भी उसमें कर रहे हैं ।

श्री बी०डी० सिंह : अध्यक्ष महोदय, 12 तारीख को जगपाल सिंह जी को अरेस्ट किया गया था, सदन को अभी तक कोई सूचना नहीं है कि वे कहां हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए ।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : मैंने केरल में हुई शराब-दुर्घटना के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । इस दुर्घटना में 70 जानें गई हैं और 1000 लोग अन्धे तथा अक्षम हो गये हैं । प्रतिपक्षी विधायक भी विधानसभा बुलाने के लिए धरना दे रहे थे । सरकार ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं ।

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष महोदय, जगपाल सिंह जी की कोई जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मेडिकल हास्पीटल पटना में हैं, मेरे पास सूचना आ गई है, मैं बता दूंगा ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, आज लंच ब्रेक न करने के बारे में मैं निवेदन करना चाहता था ।

अध्यक्ष महोदय : अगर हाउस एग्री करता है तो ठीक है ।

श्री के० ए० राजन : यह एक बहुत गंभीर तथा महत्वपूर्ण मामला है । (व्यवधान)

सभा पटल पर रखा गया पत्र

राष्ट्रीय बचत पत्र (पांचवा निर्गम) संशोधन नियम 1982

रेल मंत्रालय में और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं श्री जनार्दन पुजारी की ओर से सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत पत्र (पांचवा निर्गम) संशोधन नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी-तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 21 अगस्त, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 532 (ङ) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं :—

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 5509/82]

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : आज लंच ब्रेक न होने का सदन से अनुरोध किया है।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। सभा की सहमति है।

डा० वसन्त कुमार पंडित। उपस्थित नहीं हैं। श्री रामप्रसाद अहिरवार।

श्री ए० के० बालन (ओट्टापालम) : मैंने केरल में हुई शराब-दुर्घटना के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस दुर्घटना में 70 व्यक्ति मर गये और लगभग एक हजार लोग अंधे तथा अक्षम हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को राज्य विधान सभा में उठाया जा सकता है।

श्री ए० के० बालन : आप क्यों नहीं.....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह जो कुछ कह रहे हैं, उसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री शेजवलकर। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे विधान सभा में उठाइये।

श्री ए० के० बालन : विधान सभा का अधिवेशन नहीं चल रहा है। (व्यवधान) आपका विनिर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय यह है कि यह राज्य का मामला है और इसे यहां नहीं उठाया जा सकता।

श्री ए०के० बालन : (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह महोदय जो कुछ कह रहे हैं, उसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाए। (व्यवधान)*

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : उन्होंने कहा इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री ए० के० बालन : मुझे इसकी परवाह नहीं, चाहे उसे रिकार्ड किया जाएगा या न किया जाए।

---

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप परवाह नहीं करते हैं । आप केवल सभा की कार्यवाही में गड़बड़ी पैदा करने की परवाह करते हैं । बैठ जाइये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सभा के एक माननीय सदस्य की मर्यादा के अनुकूल वर्ताव कर रहे हैं ?

श्री ए० के० बालन : हां,.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वहां आप सही हैं । (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी जिम्मेदारी तो महसूस नहीं करते हैं और चाहते हैं दूसरे लोग अपनी जिम्मेदारी महसूस करें ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : हाउस में डिस्कशन हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : हमने इस पर दूसरे तरीके से चर्चा की है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चिल्लाइये मत । आप बैठ रहे हैं या नहीं ?

श्री ए० के० बालन : हाँ.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा करने का तरीका यह नहीं है, बैठ जाइये ।

श्री ए० के० बालन : मैं बैठ रहा हूं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आप अब बहुत शान्त हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं हमेशा शान्त रहता हूं । आप बैठ जाइए ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा प्रो० दंडवते ने कहा है.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है । कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे मेरे कक्ष में मिलिये । वहाँ आपका सदैव स्वागत है ।

अब ध्यानाकर्षण ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

रंगीन टेलीविजन सैटों का आयात

अध्यक्ष महोदय : डा० वसन्त कुमार पंडित अनुपस्थित ।

श्री रामप्रसाद अहिरवार । अनुपस्थित ।

श्री एन० के० शेजवलकर ।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : मैं वाणिज्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"विदेशों से मित्रों तथा सम्बन्धियों से उपहार के रूप में रंगीन टेलीविजन सैटों का आयात करने की अनुमति देने का सरकार का कथित निर्णय ।"

---

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

वाणिज्य मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : वाणिज्य मंत्रालय ने विदेशों में रहने वाले मित्रों या सम्बंधियों से उपहार के रूप में रंगीन टी० वी० सैट के आयात की अनुमति देने के लिये 11 अक्तूबर, 1982 को खुला सामान्य लाइसेंस सं० 23/82 जारी किया है। खुले सामान्य लाइसेंस की निम्नलिखित शर्तें हैं :—

(i) आयात किये जाने वाले रंगीन टी० वी० सैट की कीमत 3600 रु० (लागत-बीमा-भाड़ा) से कम नहीं होनी चाहिये, इसमें संबंधित सहायक और सह फालतू पुर्जे शामिल नहीं हैं।

(ii) यह आयतित के खुद के उपयोग के लिये होगा और दो वर्ष की अवधि तक इसे न तो बेचा जायेगा या अन्यथा रूप से निपटाया जायेगा।

(iii) इस योजना के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति एक रंगीन टी० वी० से अधिक का आयात करने के लिये पात्र नहीं होगा।

(iv) यह खुला सामान्य लाइसेंस भारत में 4 दिसम्बर 1982 को या इससे पहले माल के पहुंचने तक लागू रहेगा।

2. यह शर्त कि आयातित टी० वी० सैट की कीमत 3600 रु० (लागत-बीमा-भाडा) से कम नहीं होगी इस विवाद से निर्धारित की गई है कि रंगीन टी० वी० सैटों को तैयार करने वाले देशी उद्योग के उचित हित की रक्षा की जा सके। आयातित टी० वी० सैट की इस देश में कीमत यहां पर स्थानीय रूप से बनाये जाने वाले रंगीन टी० वी० सैट की कीमत से कम से कम 2500 रु० ज्यादा होगी।

3. आयात करने की यह व्यवस्था प्रदान करने का उद्देश्य यह है कि 1982 के एशियाई खेलों को देखने के लिये रंगीन टी० वी० सैट आयात करने में सुविधा हो।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह एक अधिसूचना द्वारा किया गया है। मैंने इस अधिसूचना को रद्द करने के लिए प्रस्ताव की सूचना दी है। इस प्रस्ताव को गृहीत तथा परिचालित किया गया है। इस अधिसूचना को रद्द करने के लिए जब एक प्रस्ताव को गृहीत और परिचालित कर दिया गया है, तब कोई और प्रस्ताव कैसे आ सकता है, चाहे वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो, या कोई दूसरा प्रस्ताव ? जब अधिसूचना को रद्द करने के लिए प्रस्ताव सभा के विचाराधीन है, तब ये सभी चर्चायें कैसे हो सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं, यह ठीक है, क्योंकि यह एक भूल है।

श्री एन० के शेजवलकर (ग्वालियर) : यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन माननीय सदस्यों, जिनके नाम में यह प्रस्ताव है किन्तु जो उपस्थित नहीं हैं, का समय मुझे दे दिया जाये।

दुःख यह है कि भारत में रंगीन टी० वी० सैटों के सितारे अच्छे नहीं हैं। भारत में रंगीन टी० वी० सैट होने चाहियें अथवा नहीं इस पर पहले बहुत अधिक चर्चा हो चुकी है। जब जनता पार्टी सत्ता में थी, तब उन्होने सोचा कि रंगीन टी० वी० सैटों को लोक सेवा की अन्य चीजों की तुलना में प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। उस समय निर्णय रंगीन टी० वी० सैटों के अनुकूल नहीं था। तत्पश्चात् जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई, तब यह मामला फिर सरकार के विचाराधीन आया। दोनों तरफ अनेक विवाद खड़े हो गये हैं। भूतपूर्व सूचना एवं प्रचारण मंत्री, श्री साठे ने रंगीन टी० वी० सैटों आदि की आवश्यकता पर बल दिया। इस मामले पर विचार करने के लिए अन्ततः मंत्रिमंडल ने अन्तर्विभागीय कार्यकारी समिति गठित की। इस समिति की सिफारिश थी कि

सरकार की नीति की घोषणा के पश्चात् सैट मंगाने पर कम से कम 24 से 30 महीने लग जायेंगे। इसके पश्चात् कोई कार्यवाही न की गई मामला अनिर्णीत पड़ा रहा।

उत्तर के अन्तिम पैरा में कहा गया है कि आयात करने की यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि एशियाई खेल देखने के लिए रंगीन सैटों के आयात में सुविधा हो सके। एशियाई खेल कराने का निर्णय दो वर्ष पूर्व किया गया था। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय एशियाई खेल समिति के ध्यान में नहीं थे। हैरानी की बात तो यह है कि मैंने पहली जून के समाचार पत्रों में देखा कि प्रधान मंत्री के सचिवालय तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग ने गहन अध्ययन करने के पश्चात् रंगीन टी० वी० सैट बनाने का निर्णय किया। निर्णय यह था कि यदि 15 प्रतिशत उपकरण बाहर से मंगाने की अनुमति दे दी जाये, तो 85 प्रतिशत उपकरणों का निर्माण करना होगा। श्रीमती गांधी की अध्यक्षता में भारत की वर्तमान सरकार रात को अंधेरे में निर्णय करने के पक्ष में है। अतः इससे कोई हैरानी नहीं हुई (व्यवधान)। मैं कई उदाहरण पेश कर सकता हूं। मैं यह सब देखता रहा हूं और यह गलत नहीं है।

यह निर्णय करते समय न ही संसद की ओर न ही भारत में टी० वी० सैट बनाने वालों की राय ली गई। टी० वी० सैट निर्माताओं की भी राय नहीं ली गई हालांकि वे सामान्य सैटों का निर्माण करते रहे हैं। जब यह निर्णय उन्हें दिखाया गया, तब उन्होंने सरकार से आश्वासन मांगा। उन्होंने कहा, यदि आप कुछ उपकरणों का आयात करना चाहते हैं, तो वे उपकरण हमें दिये जायें, हम उनका निर्माण करेंगे। बाहर से ऐसे सैट और न मंगाये जायें। यह उन्हें विशिष्ट आश्वासन दिया गया था।

इसीलिए सरकार ने खुला सामान्य लाइसेंस देने का निर्णय किया है जिसके अन्तर्गत सामान के रूप में या मित्रों को उपहार के रूप में टी० वी० सैट लाया जा सकता है। यह वास्तव में बड़ी हैरानी की बात है कि सरकार ने इस बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया कि इस निर्णय का देश की अर्थव्यवस्था पर तथा भारत में टी० वी० उद्योग पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इस समय देश में लगभग 60 कम्पनियां हैं, जो सामान्य टी० वी० सैटों का निर्माण कर रही हैं।

यह आयात दो देशों अर्थात् कोरिया और जर्मनी से किया जाना है। 54,000 कोरिया से 40 000 जर्मनी से और इस प्रकार कुल मिला कर 94,000 सैटों के लिए क्रमशः जर्मनी की आइ० टी० टी० और कोरिया की गोल्ड स्टार तथा समसुंग कम्पनियों से उपकरणों का आयात किया जाना है। यह निर्णय करते समय सम्भवतया अन्तर्विभागीय कार्यकारी ग्रुप के प्रतिवेदन को ध्यान में नहीं रखा गया।

आपने एल्सीना के प्रेजीडेंट, श्री एन० डी० देसाई की हाल में समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट देखी होगी। मुझे बताया गया है कि एक किट में 550 उपकरण हैं। श्री देसाई का कहना है कि इन 450 में से 410 उपकरण भारत में ही बनाये जा रहे हैं। इस समूची सूची में केवल 40 उपकरण ऐसे हैं जिनका निर्माण यहां नहीं हो सकता है। पिक्चर ट्यूबें और इंटेग्रेटड सर्किट्स जैसे पुर्जों का निर्माण अभी भारत में नहीं हो सकता है। जहां तक स्पीकरों का सम्बन्ध है, उनका निर्माण तो हम रेडियो सैटों के लिए कर ही रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपका यह निर्देश मेरे प्रति तो नहीं है?

श्री एन० के० शेजवलकर : लाऊडस्पीकर।

अध्यक्ष महोदय : तब आपको लाऊडस्पीकर ही कहना चाहिये ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : शून्य काल में स्पीकर लाऊडस्पीकर ही बन जाता है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : कंडेन्सर रजिस्टेंस और फिर चैसियां भी बाहर से मंगाई जा रही हैं जिनका निर्माण दिल्ली की प्रत्येक गली में हो रहा है । समझ में नहीं आता, यह निर्णय क्यों किया गया क्योंकि 450 में से 410 उपकरण यहीं बनाये जा सकते हैं । एल्सिन के प्रेजीडेंट, श्री देसाई ने जो कुछ कहा है, उसका सरकार के पास क्या उत्तर है, मैं नहीं जानता हूँ ।

एक ओर हैरानी की बात वह पार्टी है जिसे आयात का कार्य सौंपा गया है । इन उपकरणों का आयात कौन करेगा ? जिम्मेवारी तो इ० टी० डी० सी० ने ली थी । यह इसलिए, क्योंकि यह एक बिचौलिया अभिकरण है । आपको यह जान कर हैरानी होगी कि 12 सितम्बर तक भारत में कोई उपकरण उपलब्ध नहीं था । यदि यह निर्णय जून में किया गया था, तो इन चार महीनों में क्या हुआ ? तत्पश्चात्, सितम्बर मास तक उन्हें कोई उपकरण नहीं मिला । इसके बाद मुझे बताया गया । कि सितम्बर के दूसरे सप्ताह में 45,000 उपकरणों की पहली किस्त प्राप्त हुई । 45,000 उपकरणों की दूसरी किस्त, मेरे विचार में, अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । एक दो दिन में आ जाये, तो मैं कह नहीं सकता । अभी तक तो उपकरणों की दूसरी किस्त नहीं है । अब सरकार पूछ सकती है कि यह सुविधा कैसे दी जा सकती है दोष किस का है ? पहले तो आपने गलत निर्णय किया । आप यह निर्णय जनवरी के आरम्भ में ही कर सकते थे जब नीति का निर्धारण किया गया था । तत्पश्चात् आपने जून मास में निर्णय किया । फिर आपने चार महीनों में कुछ भी न किया । इसके अतिरिक्त अगले चार महीनों में कोई उपकरण न मिल सका । इसके लिए किसे दोषी ठहराया जा सकता है ? यदि आप इन रंगीन टी० वी० सैटों का सीधे आयात करने की अनुमति देते हैं, तो इसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा । इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उपकरणों की मोटे तौर पर कीमत इस समय 1250 रुपए है । उनका कहना है कि इस पर लगभग 250 रुपए भाड़ा, बीमा आदि पर खर्च होंगे । इस प्रकार यह मिलाकर 1500 रुपए हो गये । इस पर निर्माताओं की एक हजार लागत आयेगी और केबिनेट की कीमत 700 रुपए है । सीमा-शुल्क 2,225 रुपए और 125 रुपए देश में परिवहन पर खर्च आता है । इस प्रकार कुल कीमत 5,550 रुपए बनती है । इस समय यह 7,500 रुपए में बेचा जा रहा है । इसमें कुछ कमीशन और अन्य खर्चे भी होंगे । कीमत 5,500 रुपए से बढ़ कर 7,500 रुपए हो गई है । यह इस समय की कीमत है ।

आप सोचिये कि सरकार को इससे कितनी हानि होगी । अनुमान है कि इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप 1 लाख टेलीविजन सेट आयात किये जायेंगे । एक लाख टेलीविजन सेट आयात करने की इजाजत दे दी गई है जिससे भारत सरकार को 3 हजार रुपये प्रति टेलीविजन सैट की हानि होगी । अन्ततः यह हानि 3 करोड़ रुपये होगी और इसके अन्य दुष्परिणाम भी होंगे । ये दुष्परिणाम क्या हैं ? रंगीन टेलीविजन की दो प्रणालियां हैं । एक तो पी.ए.एल. प्रणाली और दूसरी ई.एस.एम.ए. प्रणाली है ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह सीकम है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : हां सीकम । हम पी० ए० एल० प्रणाली के पक्ष में हैं । श्रीमन् मुझे कुछ संदेह है क्योंकि यह पी० ए० एल० प्रणाली केवल जापान में नेशनल कम्पनी द्वारा अप-

नायी गई है। हिटाची और अन्य भी इसका उत्पादन करते हैं। परन्तु वे बहुत कम मात्रा में इसका उत्पादन कर रहे हैं। हमें हांगकांग से सबसे सस्ते टेलीविजन सेट मिल सकते हैं। इसलिये मुझे खेद है कि इसके पीछे कोई चाल है। वरन यह सब क्यों हो रहा है ? वे अभी तक टेलीविजन का उत्पादन नहीं कर सके हैं। अब वे केवल नेशनल कम्पनी से आयात करेंगे। आज के ट्रिब्यून में एक लेख है कि भारत के सभी बड़े-बड़े शहरों में नेशनल कम्पनी के बनाये टेलीविजन सेट बेचने के लिये एजेन्ट घूम रहे हैं। हमें यह पता नहीं है कि यह बात कितनी सत्य है। परन्तु यदि यह सत्य है तो यह बड़े दुख की बात है। उदाहरण के लिये यदि नेशनल कम्पनी के टेलीविजन सेट यहां पर आते हैं, तो उनकी मरम्मत आदि की क्या व्यवस्था होगी ? थोड़े दिन बाद यह सेट खाली डिब्बे रह जायेंगे या फिर आपको उनकी मरम्मत की व्यवस्था करनी होगी। आपकी सर्विस सेन्टर और अन्य लोगों को लायसेंस देने पड़ेंगे और कुछ पालतू पुर्जों की आयात की भी इजाजत देनी पड़ेगी। अन्यथा आपको व्यर्थ में काफी हानि उठानी पड़ेगी।

मुझे बताया गया है कि वाणिज्य मंत्रालय ने इस संबंध में निर्णय लिया है। सम्भवतः सम्बन्धित मंत्रालय अर्थात इलेक्ट्रोनिक्स विभाग और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग से परामर्श नहीं किया गया। यह फैसला जल्दबाजी में किया गया है। मुझे पता नहीं कि इन मंत्रालयों के साथ परामर्श क्यों नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण शीघ्र समाप्त करें।

श्री एन० के० शेजवलकर : दोनों का समय पांच-पांच मिनट तो दे दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : बीस मिनट तो आप को दे दिये। आप और क्या चाहते हैं।

श्री एन० के० शेजवलकर : मेरा निवेदन है कि यह निर्णय लेने से पहले संसद से परामर्श क्यों नहीं किया गया। संसद का सत्र चल रहा था। 11 अक्तूबर की अधिसूचना जारी करने का क्या औचित्य था ? यह मामला संसद के परामर्श के लिये लाया जा सकता था। माननीय सदस्यों के साथ परामर्श करके कुछ निर्णय लिया जा सकता था। मेरे विचार में यह एक प्रमुख निर्णय है। इसमें जनता का धन अन्तर्ग्रस्त है। इसके अलावा यह एक नीति सम्बन्धी मामला है।

मैं माननीय मंत्री को याद दिला दूं कि छः महीने पहले एक अधिसूचना जारी की गई थी कि यदि आप अपने किसी निकट सम्बन्धी अर्थात् पिता, माता, पुत्र, पुत्री आदि के लिये कोई उपहार मंगाना चाहते हैं, तो आपको सी० पी० पी० प्राप्त करना होगा। वहां से आप वीडियों सेट उपहारस्वरूप मंगा सकते हैं। यह कहा गया है कि टेलीविजन सेट मंगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। आप वीडियो सेट के साथ टेलीविजन का आयात कर सकते है। यह मामला संसद के समक्ष क्यों नहीं लाया गया।

उद्योग के लोग जो इस समय काम कर रहे हैं उन्हें भारी जोखिम उठाना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री का उत्तर जानता हूं कि मूल्य 25 सौ रुपये अधिक होगा। आप जानते हैं कि दुर्भाग्यवश भारतीय सामान की साख अच्छी नहीं है। इसलिये लोग 2500 रुपये अधिक देना पसंद करेंगे। इसका उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा। कृपया इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। इसका विदेशों में गये श्रमिकों, इंजीनियरों, तथा इन सभी कम्पनियों पर प्रभाव पड़ेगा। यह एक महत्वपूर्ण बात है।

यह सुविधा केवल 4 दिसम्बर तक दी है। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या

हम सादे टेलीविजन पर नहीं देख सकते हैं ? यदि सरकार खेलकूद को आम जनता को दिखाना चाहती थी तो उन्हें बड़े टेलीविजन सेट मंगवाने चाहिये थे और उन्हें मावलंकर आडिटोरियम जैसे सार्वजनिक स्थानों पर रख देना चाहिये था और यह एक लाख टेलीविजन का आयात नहीं करना चाहिये था। हमारे यहां रंगीन टेलीविजन आरंभ करना ठीक नहीं है। इनसेट तो असफल रहा है। हमने अब इन्ट्रेस्टल अपनाया है। मैं नहीं जानता कि इसका भविष्य क्या होगा।

इन परिस्थितियों में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अपने निर्णय के बारे में पुनविचार करे और उन्होंने जो रियायत दी है उसे वापस ले ले। कृपया मेरे द्वारा उठायी गई सभी बातों का उत्तर दें।

श्री शिवराज वी० पाटिल : आपकी कौनसी बातें।

श्री एन० के० शेजवलकर : मेरा विचार था कि आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। मैं अपनी बातों को दोहराता हूं।

1. इस प्रयोजन के लिये हमारी संसद को विश्वास में न लेने का क्या औचित्य था ?
2. इलेक्ट्रोनिक्स और विज्ञान तथा प्रौद्योगिक मंत्रालय और मंत्रियों से परामर्श किये बिना आपने यह निर्णय क्यों लिया।

3. रंगीन तथा अन्य टेलीविजन के निर्माताओं से परामर्श किये बिना आपने यह निर्णय क्यों लिया। क्या यह सच नहीं है कि आपके इस निर्णय से जापान की नेशनल कम्पनी को ही लाभ होगा अन्य कम्पनियों को नहीं क्योंकि नेशनल कम्पनी ही पी० ए० एल० प्रणाली के रंगीन टेलीविजन बना रही है। अन्त में.....

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रसन्नता है कि आप अन्तिम प्रश्न पर पहुंच गये हैं।

श्री एन० के० शेजवलकर : अन्त में क्या आपने निर्माताओं को कोई आश्वासन दिया है कि आप कोई टेलीविजन आयात नहीं करेंगे और क्या आप यह नहीं ससझते कि टेलीविजन के आयात से देश के उत्पादन पर विशेष रूप से मजदूरों, इंजीनियरों और समूचे उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा।

अन्त में सरकार को इसमें राजस्व की कितनी हानि होगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह वास्तव में अन्तिम प्रश्न ही है।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें उत्तर लिखाने दीजिये। हम केवल लिखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह तो ऐसी बात है जैसे कोई महिला अपने पति से कहे कि मैं आपको पिछले एक घंटे से याद दिला रही हूं कि मैं पांच मिनट में आ रही हूं परन्तु आप विश्वास ही नहीं करते। अब मैं आपकी बात पर विश्वास कर सकता हूं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमन् मेरा उत्तर बहुत बड़ा नहीं होगा। पहला प्रश्न यह था कि ससद से परामर्श क्यों नहीं किया गया। हम इस प्रक्रिया को जानते हैं। संसद से परामर्श करना जरूरी नहीं है। हम नीति की घोषणा करते हैं और उसे सभा पटल पर रख दिया जाता है और यह नीति कोई अलग नहीं ह। यह आयात निर्यात नीति का एक अंग है। परन्तु आप चाहते हैं कि मैं इस पर सभा में चर्चा करूं और बाद में इसकी घोषणा करूं। आप एक पुराने सांसद हैं और जानते हैं कि घोषणा करने से पहले इस सभा में चर्चा नहीं की जानी चाहिये।

दूसरा प्रश्न इलेक्ट्रोनिक्स मंत्रालय से परामर्श लेने के बारे में है। आप यह क्यों महसूस करते हैं कि हमने सूचना मंत्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स मंत्रालय से परामर्श नहीं किया। हमने उनके परामर्श से यह निर्णय लिया है। टेलीविजन के उत्पादन के लिये हमने निर्माताओं से परामर्श किया। परन्तु टेलीविजन के आयात के लिये हमें उनसे परामर्श करना जरूरी नहीं है।

श्री एन०.के० शेजवलकर : उनके साथ परामर्श करना जरूरी क्यों नहीं है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यदि आप मुझसे यह अपेक्षा करें कि मैं उद्योग की प्रत्येक फर्म के साथ परामर्श करूं और फिर कोई नीति बनाऊ तो यह सम्भव नहीं होगा। इस मामले में हमने भारत में रंगीन टेलीविजन बनाने की व्यवस्था की है।

आपने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा है कि ई० टी० डी० सी० ने भारत में रंगीन टेलीविजन बनाने के लिए सामान आयात किया है और निर्माताओं को उस सामान को जोड़ने और उनको बनाने तथा उन्हें मार्किट में बेचने की सुविधा दी गई है। हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि हमारे देश में जो टेलीविजन आयेगा और बेचा जायेगा उसकी कीमत अन्य देशों में बनाये जाने वाले टेलीविजन से कम होगी। अब यदि 2500 रुपये का अन्तर है तो मैं नहीं समझता कि इसके अलावा निर्माताओं को और क्या संरक्षण दिया जाना चाहिए। आयात किये जाने वाले टेलीविजन की लागत देश में बनने वाले टेलीविजन से अधिक होगी।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैंने यह नहीं कहा कि.....

श्री शिवराज वी० पाटिल : जब आप बोल रहे थे तो मैंने एक बार भी टोकाटाकी नहीं की थी।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। हमारे यहां संस्थायें हैं और माननीय मंत्री को उनके साथ परामर्श करना चाहिए था। इस अधूरे उत्तर से मुझे कोई मदद नहीं मिलती और उनके लिए मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वह एक बहुत ही अच्छे वकील हैं।

श्री शिवराज वी पाटिल : मैं कह रहा था कि हमने स्वदेशी उद्योग की रक्षा हेतु पर्याप्त कदम उठाये हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे देश में रंगीन टेलीविजन बने और वे देश में विदेशों से उपहार स्वरूप आये टेलीविजनों से कम कीमत पर मिलें, हमने "किट्स" (टेलीविजन उपकरणों) का आयात किया है और उन्हें हमने निर्माताओं को दे दिया है। हमने देखा है कि मूल्य में 2500 रुपये का अन्तर है। टेलीविजन निर्माताओं के लिये और क्या सुरक्षा आप चाहते हैं? एशियाई खेल आ रहे हैं और लोग उन्हें देखना चाहते हैं। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि एशियाई खेलों को देखने हेतु लोगों की मांग पूरी हो जाये।

आपका कहना है कि 'नेशनल कम्पनी' नामक किसी कम्पनी को इससे लाभ होगा। यदि विश्व के अन्य देशों में रह रहे लोगों द्वारा भारत में रहने वाले लोगों को टेलीविजन उपहार में भेजे जाते हैं, तो इससे किसी कम्पनी विशेष को कैसे लाभ होगा, यह मेरी समझ में नहीं आया। किसी व्यक्ति विशेष को होने वाला लाभ किसी कम्पनी विशेष का लाभ कैसे बन जायेगा, यह मेरी समझ में नहीं आयेगा जबकि उपहार विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न देशों से हमारे देश में भिन्न-भिन्न लोगों को भेजे जायेंगे। यह कथन भी अनुमान पर ही आधारित है।

एक प्रश्न यह पूछा गया है कि क्या टेलीविजन निर्माताओं को कोई आश्वासन दिया

गया है कि और टेलीविजन सैट आयात नहीं किये जायेंगे । उन्हें ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है ।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि टेलीविजन उद्योग में कार्यरत निर्माताओं और कर्मचारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैंने पहले ही कह दिया है कि आजकल भारी मांग है और यही मांग है, तो निर्माता टेलीविजनों का निर्माण कर सकते हैं । हमने सुनिश्चित किया है कि उन्हें आवश्यक सामग्री टेलीविजनों के निर्माण हेतु मिले और वे इसका लाभ उठा सकते हैं तथा वे उनकी बिक्री जरूरत मंद लोगों को कर सकते हैं । इस प्रकार मेरे विचार से टेलीविजन उद्योग और उसमें कार्यरत श्रमिकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आपने पूछा है कि इससे सरकार को कितनी हानि होगी ? इस नीति तथा अन्य नीतियों के अन्तर्गत सरकार को कुछ लाभ ही होगा, हानि नहीं । आपका कहना है कि चूंकि शुल्क में कमी की गई है इसलिए सरकार को हानि होगी । बात ऐसी नहीं है । अब तक यह माना जा रहा था कि टेलीविजन सैटों का आयात किया जायेगा यदि शुल्क एक निर्धारित दर पर रखी जायेगी, परन्तु उस दर पर टी० वी० सैटों का आयात किसी ने भी नहीं किया । अब एशियाई खेलों के आने के कारण टी० वी० सैट के आयात के मामले में ढील दी गई है । मुझे बताया गया है कि इस व्यवस्था से सरकार को लगभग 30 करोड़ रुपये की आय होगी, हालांकि इस बारे में ठीक आंकड़े तभी उपलब्ध हो सकेंगे जबकि विभिन विभागों द्वारा इस बारे में अनुमान लगा लिया जायेगा । इस योजना से सरकार को हानि नहीं होगी ।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, कलर टी० वी० आयात करने की छूट अचानक सरकार ने एक महीने के लिए दे दी है । इस बारे पर डिसीजन यहां लगातार हो रहा है । हमारे भूतपूर्व सूचना प्रसारण मंत्री ने भी एशयोर किया था कि कलर टी० वी० के लिए भारत के मैन्युफेक्चर को भी पूरी छूट होगी और उनको बनाने के लिए भी । मैन्युफैक्चर के बहुत से डैलीगेशन मंत्री जी के पास गए हैं । यदि उनको इस तरह की छूट दे दी तो कलर टीवी का फल्ड शुरू हो जाएगा । उससे स्मगलर्स अनुचित लाभ भी उठा लेंगे । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो डैलीगेशन उनसे मिला है, उनसे उनकी क्या-क्या बातें हुई हैं ? उनके आब्जैक्शन्स को निरस्त करने के लिए आपका क्या कहना है ? कलकत्ता के बहुत से इलैक्ट्रानिक्स इन्डस्ट्री वालों ने संसद सदस्यों के पास एक लैटर भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम दो हजार मे कलर टी० वी० बनाकर दे सकते हैं, हमको लाइसैंस दें और करों से मुक्ति दिलायें । इससे कलर टी वी देश के गरीब लोगों तक पहुंच सकता है । लेकिन यह कदम केवल बड़े लोगों को लाभान्वित करने के लिए किया गया है । जिनके बड़े रिलेशन विदेशों में हैं । वे टी बी को मंगा सकते हैं और दूसरे बड़े लोगों को कहां से मिलेगा । गरीब लोग केवल अखबारों में ही पढ़ेंगे, यही तो समाजवाद है । इस तरह की व्यवस्था के संबंध में सरकार को अच्छी तरह से विचार करना चाहिए था । देश की 80 करोड़ जनता गांवों में रहती है । आप कहते हैं कि इनसैट लगा रहे हैं और सारे देश के लिए व्यवस्था कर रहे हैं । देहात के गरीब लोग क्यों देखेंगे, यह एक बहुत गम्भीर महत्वपूर्ण सवाल है । जर्मनी और साउथ कोरिया के साथ 94 हजार टी वी सैट्स ईटीटीडोसी द्वारा यहां पर इसेम्बल किए जायेंगे । इस तरह की छूट से क्या इन को करोड़ों रुपयों का लॉस नहीं होगा । कहते हैं कि लाभ होगा, लेकिन कैसे होगा । सल० सी० खोल दिया, इससे करोड़ों रुपयों का नुकसान होगा ।

एक तो विचार यह है कि इसमें बहुत बड़े घोटाले की गन्ध आ रही है। इसको आपको लोकलेखा समिति को जांच करने के लिए सौंपना चाहिए। इसमें भयंकर करप्शन है। एक महीने की जो छूट दी है, इसका क्या कारण है? वी. आई. पी. लोगों से पता चला है कि कस्टम डिपार्टमेंट में इस तरह के इलैक्ट्रनिक्स गुड्स पहले से जमा हैं। ऐसा लगता है कि शायद ठीक उसी समय निकालेंगे। आपने एक महीने की छूट दी है, ऐसा कौन सा आदमी है, जो तुरन्त मंगा लेगा। यदि आप ने चार महीने छूट दी होती, तो आपकी बात समझ में आ सकती थी। ऐसी कौन सी व्यवस्था है, जो तुरन्त वहां एक महीने के अन्दर भेजा जा सकता है। आपकी कस्टम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की पालिसी में यह कैसा प्रोविजन था। इस में दिया हुआ है कि कोई इंडीविजुअल 5 हजार रुपये तक मंगा सकता है और कोई इंस्टीच्युशन 25 हजार रुपये तक मंगा सकता है। इतनी छूट इसमें दी हुई है। फिर आपने यह 3600 रुपये का ही डिसीजन क्यों लिया? क्या इसको मंगाने का काम एक महीने के अन्दर पूरा हो जाएगा। क्योंकि पहले तो कंट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की दरख्वास्त भेजनी होगी, वह लाइसेंस देंगे तब वह मंगा सकेगा। क्या यह सब काम एक महीने में पूरा हो जाएगा, सब दरख्वास्त एक ही महीने में स्कूटिनाइज हो जाएंगी और लोगों को लाएसेंस मिल जाएंगे? क्या आपका डिपार्टमेंट इतना सक्षम हो गया है कि इतनी जल्दबाजी में वह सब कर सकेगा? या आपने ऐसे ही जल्दी बाजी में यह नोटिफिकेशन निकाल दिया है? क्या इतने समय में तुरन्त सारी कार्यवाही पूरी हो जाएगी और विधिवत् टी वी बाहर से चला आयेगा?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसमें फारन एक्सपोर्टर और अपने इम्पोर्टर्स की साजिस नहीं जिसके कारण आपने यह एक महीने का समय दिया है? मुझे तो लगता है कि ये लोग इस एक महीने में अपना डील पूरा कर लेंगे और जनसाधारण से अधिक मुनाफा कमायेंगे। क्या यह डिसीजन इलेक्ट्रोनिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा लिया गया है या यह पोलिटीकल डिसीजन है? मुझे शंका है कि इस डिसीजन के बारे में सब बातें पी० एम० सैक्रेट्रियेट में तय हुई थीं औ सैक्रेटरी लेवल पर यह डिसीजन हुआ है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनिक्स मिनिस्टर को भी आऊट क दिया गया है।

श्री विलास पासवान (हाजीपुर) : महोदय, उन्होंने एक संवैधानिक मुद्दा उठाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है और घपलेबाजी है। इसकी हाई लेवल पर, लोक लेखा समिति द्वारा जांच करानी ही पड़ेगी।

हमारे देश में इलेक्ट्रोनिक्स के सामान बनाने में बहुत सी कम्पनियां लगी हुई हैं। सब कम्पनियों ने बहुत सा सामान भी मैन्युफेक्चर कर लिया था। केबिनेट वगैरह चीजें बना ली थी। अब इन टी० वी० सैटों के बाहर से आ जाने से उन कम्पनियों को बहुत घाटा होगा और उनका सामान बेकार हो जाएगा। इस उद्योग में पूंजी लगाने की प्रेरणा भी लोगों में कम हो जाएगी क्योंकि विदेश से यह सारा सामान आ जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि यह निर्णय लेने से पहले क्या उद्योग मंत्रालय ने अपनी सहमति दी थी, क्या इलेक्ट्रोनिक्स विभाग ने अपनी सहमति दी थी? यदि दी थी तो कब दी थी?

जहां तक फोरन एक्सचेंज का प्रश्न है, पहले तो आपने कहा था कि जो भी टी वी सैट

बाहर से लायेंगे उन्हें फोरन एक्सचेंज में ड्युटी देनी होगी। बाद में चल कर आपने कह दिया कि रुपये में ड्युटी देने पर भी टी० वी० सैट ला सकेंगे। क्या इस से जो हम फारन एक्सचेंज अर्न करने वाले थे उसका नुकसान नहीं होगा ? मुझे लगता है कि इसके पीछे राजनीति है जिसके कारण यह सारी छूट दी जा रही है। यह फोरन एक्सपोर्टर और अपने इम्पोर्टर के बीच एक साजिश है जिससे कि वे लाभ उठायेंगे। देश की आम जनता को इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है।

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि 11 अक्टूबर से जब से यह नोटिफिकेशन निकला है, आज तक कितने सैट आ चुके हैं ताकि यह पता चले कि उनमें कितने सैट वी० आइ० पी० लोगों के थे जो कि क्लीयर हो गये हैं ? इसके बारे में मन्त्री जी क्लीयर बतायें क्योंकि यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है।

लास्ट जून में वैस्ट जर्मनी और साऊथ कोरिया से जो पैकेज डील हुई थी उसके अन्तर्गत अब तक कितने सैट आ चुके हैं और कितने आने बाकी हैं और उनको आने में कितना समय लगेगा ? 45 हजार सैट्स वेस्ट जर्मनी और 25 हजार सैट्स साऊथ कोरिया से आने थे। उनमें से अब तक कितने आ चुक हैं ? क्या यह सही नहीं है कि साऊथ कोरिया की टैक्नालोजी आऊट डेटिड है, जापान की तुलना में वह पुरानी है ? क्या जापान की टेक्नोलोजी दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में अधिक माडर्नाइज नहीं है ? मन्त्री जी इन सब बातों को स्पष्ट करें।

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमन् जो प्रश्न है वह यह है कि क्या इसकी वजह से ई० टी० डी० सी० को हानि होगी या लाभ होगा ? इसका उत्तर है कि हम समझते हैं कि ई० टी० डी० सी० को इसकी वजह से कोई हानि पहुंचना सम्भव नहीं है क्योंकि टी० वी० सैट्स की मांग बहुत है। जितने भी टी० वी० सैट्स यहां बनाये जायेंगे या उनके लिए सामान लाया जायेगा, उस सभी का उपयोग होगा, ऐसा हमारा अनुमान है।

आप पूछना चाहते हैं कि इतने थोड़े से समय में बाहर से सैट्स क्यों मंगाये जा रहे हैं जबकि हमारे देश में ही ये बन रहे हैं ? इसके बारे में हमारा कहना यह है कि अगर किसी के सम्बन्धी दोस्त बाहर देशों में रहते हैं और वे टी० वी० सैट भेजना चाहते हैं तो उनके लिए यही सहूलियत दी गयी है। अगर किसी के सम्बन्धी नहीं भेजना चाहते हैं तो उनको मजबूर करने की कोई बात नहीं है। यह फेसिलिटी एशियाड के लिए दी गयी है और सारी चीजों को ध्यान में रख कर दी गयी हैं। इसीलिए इसमें समय की पाबन्दी लगायी गयी है कि इस समय के अन्दर टी० वी० आना जरूरी है। अगर वह नहीं आयेगी तो हम उनको लाने के लिए मजबूर नहीं करने जा रहे हैं। आपके प्रश्न से कुछ ऐसा लगता है कि आप और टाइम चाहते हैं, आप समझते हैं कि हमने टाइम कम दिया है। हम इस समय के अन्दर ही यह सब कर रहे हैं।

8 तारीख से आज तक कितने सैट्स आये हैं, यह भी आपने पूछा है। इसके आंकड़े अभी मेरे पास नहीं हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आप को दे दूंगा। आपने यह भी पूछा है कि टी० वी० किट्स बनाने के लिए कितने आये हैं ? जैसा मुझे बताया गया ह कि 50 फीसदी किट्स आये हैं।

अपने टेक्नोलोजी के सम्बन्ध में भी पूछा है। टेक्नोलोजी के सम्बन्ध में तो टेक्नीशियन्स ही कह सकते हैं, मेरे जैसा आदमी उसके बारे में कुछ नहीं बता सकेगा। टी० वी० बनाने वालों के

साथ चर्चा करने के बाद मुझे जो मालूमात हुई है वह वे हैं कि हमारे यहां टी० वी० बनाने वाले एक साल में ब्लैक एण्ड व्हाइट के चार लाख टी० वी० सैट बना सकते हैं। तीन महीने के अन्दर एक लाख ब्लैक एण्ड व्हाईट टी० वी० सैट बना सकते हैं, ऐसा माना जाता है । उनसे पूछने पर यह भी पता चला कि तीन महीने के अन्दर वे 60 हजार कलर टी० वी० बना सकेंगे अगर उनको लाइसेंस दे दिया जाए । उसका इंतजाम तो पहले से ही हुआ है । मगर एशियाड का जो काम है उसके सम्बन्ध में अनुमान लगाया गया है कि 60 हजार से अधिक टी० वी० सैट्स की मांग होगी। यह भी अनुमान है कि यह मांग एक लाख, डेढ़ लाख और दो लाख टी० वी० सैट्स तक पहुंच सकती है । जब टी० वी० की मांग बढ़ेगी तो उसकी वजह से टी० वी० की कीमतें भी बढ़ेंगी और कीमतें बढ़ने से लोगों को नुकसान होगा । इसलिए भी यह किया गया है ।

आपने यह भी पूछा है कि गरीबों के लिए भी कोई इंतजाम होने वाला है या नहीं ? यह दूसरी चीज है । हम देखेंगे कि कुछ कर सकते हैं या नहीं। मगर यह अश्योरेंस नहीं हैं। अगर कहीं टी० वी० नहीं हो, और वे दिल्ली में भी नहीं आ सकते हों तो वे वहां पर प्राइवेट कलर टी० वी० देख सकते हैं। अगर वहां टी० वी० पहुंच सकता है तो पहुंच जाए।

टी० वी० के बारे में काफी टीका टिप्पणी होती है। मगर इसको एक एजूकेशन का साधन समझ कर देखें। फिर इस पर आक्षेप करने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं।

एशियाड को ध्यान में रखते हुए और जो टी० वी० बनाने वाले हैं, उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें आप कुछ बड़ी चीज देखने की कोशिश करेंगे तो हमारा दोष नहीं है। किसका दोष है, आप सोच सकते हैं। आपकी समझ का दोष है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : सोचने का नहीं है। राजनीति का डिसीजन था या सेक्रेटरी लेबल का था।

सभा का कार्य

निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच०के० एल० भगत) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 18 अक्तूबर, 1982 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विधि (संशोधन और विधिमान्यीकरण) अध्यादेश, 1982 का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा तथा लोक सभा द्वारा पारित किये गये रूप में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विधि (संसोधन और विधिमान्यीकरण) विधेयक, 1982 पर विचार और पारित करना।
2. असम की कुछ सेवाओं को अनिवार्य सेवा घोषित करने संबंधी अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।
3. 1982-83 के लिये असम राज्य हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा तथा मतदान।
4. 1982-83 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।
5. आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
6. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना।

(क) आन्ध्र साइन्टिफिक कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1982।

(ख) राज्य सभा द्वारा पारित किये गयें रूप में केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982।

7- छठी पंचवर्षीय योजना पर चर्चा।

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : स्वतन्त्रता सैनिकों को पेंशन देकर सरकार ने उचित ही किया है और भी कुछ सुविधा मिल चुकी है किन्तु कुछ सुविधा अत्यन्त आवश्यक है। वैसे भी उनकी संख्या बहुत कम हो गई है और रोजाना कम हो रही है। उनके पुत्र-पुत्रियों को केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिये। रेल में सफर करने को सीमित किलोमीटर प्रतिवर्ष प्रथम श्रेणी का पास मिलाना चाहिये। दिल्ली में ठहरने का स्थान बनना चाहिये। जिसमें कोई भी दिल्ली आकर ठहर सके। दिल्ली में इलाज कराने की किसी अस्पताल में अलग व्यवस्था होनी चाहिये। इस पर विचार हो।

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित केन्द्रीय विद्यालयों के लिये योग की शिक्षा का प्रबन्ध किया है। उसमें केवल सरकारी नौकरियों में काम करने वालों को ही योग की शिक्षा का अवसर मिलता है। अन्य जनता विशेषकर ग्रामीण जनता के बच्चों को यह सुविधा प्राप्त नहीं। योग की शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार, चरित्र निर्माण, बीमारियों से मुक्ति के लिये आवश्यक है वहां नशीली वस्तुओं से भी घृणा पैदा कराती है। जो शिक्षा ऋषियों और मुनियों को मिलती थी अब जनता को भी उपलब्ध है। केन्द्रीय सरकार को अध्यापकों को शिक्षा देने वाले स्कूलों में योग की शिक्षा देने को अध्यापक रखने चाहिये ताकि वे अध्यापक शिक्षा प्राप्त करके अन्य विद्यार्थियों को भी शिक्षा दे सकें। इसके लिये सरकार को विचार के लिए विधेयक लाना चाहिये।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : देश में बिजली की कमी से कई प्रदेश प्रभावित हैं। बिजली उत्पादन की अनिश्चितता के कारण कई उद्योगों का उत्पादन प्रभावित हुआ है। कृषि उपजों की बुवाई के समय सिंचाई के लिये आवश्यक बिजली नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान सहित अनेक प्रदेशों में ऊर्जा संकट की स्थिति बनी हुई है। आगामी सालों में यह संकट और अधिक गहरायेगा यदि बिजली उत्पादन के लिये समयबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया जावेगा। मध्य प्रदेश में कोरबा राष्ट्रीय ताप बिजली आयोग "एन० टी० पी० सी०" द्वारा कोरबा में निर्मित किये जा रहे ताप बिजली घर के कार्य में तेजी लाकर मध्य प्रदेश को पर्याप्त बिजली का प्रदाय किया जाना चाहिए। नये परमाणु बिजली घरों की स्थापना में मध्य-प्रदेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

"इंसेफ्लाइटिस" ज्वर तथा अन्य ज्वरों की रोकथाम के लिये कारगर उपाय करने की आवश्यकता है। देश के पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार में "इंसेफ्लाइटिस" ज्वर के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गयी है। पश्चिम बंगाल में 200 से अधिक लोग इस ज्वर के कारण मृत्यु की चपेट में आ गये हैं। मिदनापुर जिले के खड़गपुर की "इण्डियन इस्टीट्यूट ऑफ टेकनालॉजी" का छात्रावास इस ज्वर के प्रकोप से खाली हो गया है। दिल्ली में फैले ज्वर के उपयुक्त उपचार के अभाव में कई लोग परेशान हैं। अतएव सरकार देश के कई भागों में ज्वर फैलने से रोकने के लिये तथा उपचार के लिये कारगर उपाय करे।

कृपया उपर्युक्त विषय आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किये जावें ।

प्रो० मधु दंडवते राजापुर : उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के चंडीगढ़ शाखा के प्रेजीडैंट ने इस आरोप की जांच की थी कि रेलवे पुलिस बल ने सैकडों बिहारी यात्रियों को, जिनमें से अधिकांश श्रमिक थे और उनके पास वैध टिकट थे वह गिरफतार कर लिए और उन पर बिना टिकट यात्रा करने का आरोप लगाया गया । इन श्रमिकों को बहादुरगढ़ किले में स्थित जेल शिविर और अमृतसर जेल में रखा गया है ताकि अकाली मोर्चा स्वयंसेवकों से भरी जेलो में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए इनसे काम लिया जा सके । ऐसा आरोप है कि इनसे भंगी और रसोइयों का काम लिया जा रहा है ।

जांच से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि ये आरोप सही थे और इस बात को लेकर रेलवे अधिकारियों, और पंजाब सरकार में टकराव भी पैदा हो गया था ।

विपक्षी सदस्यों के जिस दल ने 13 अक्टूबर को जेलों का निरीक्षण किया था उसने इस बात की पुष्टि की थी ।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस घटना के बारे में सरकार एक विस्तृत वक्तव्य दे और उन लोगों का, जिनके साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया है, कष्ट दूर किया जाये और उन्हें मुआवजा दिया जाये ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल हेराल्ड के कर्मचारियों का सितम्बर 1982 का वेतन और दो वर्ष का बोनस नहीं दिया गया है उत्तम प्रेस के कर्मचारियों को ग्यारह महीने का समय परि भत्ता नहीं दिया गया है और कारीगरी भविष्य निधि की लाखों रुपये की राशि जमा नहीं की गई है । श्रमिकों से सम्बन्धित कुछ अन्य मामले भी हैं जिनकी जांच की जानी अपेक्षित है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मामले की जांच करे और अगले सप्ताह सभा में इस बारे में एक वक्तव्य दे ।

चूंकि कलकत्ता की परिवहन-समस्या गम्भीर है, इसलिए वहां सकुलर ट्रेन सेवा को शीघ्र शुरू किया जाना आवश्यक है । इस बारे में भी सरकार अगले सप्ताह सभा में एक व्क्तव्य दे ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : केवल स्वीकृत पाठ ही रिकार्ड किया जायेगा ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : बरेली जिले के आंवला थाने के गांव कटसारी में एक हरिजन परिवार की हत्या कर दी गई और जब उसकी गर्भवती पत्नी आई तो उसको भी मारा गया और उसके गोद के बच्चे को भी चोट पहुंचाई ।

इस प्रकार हरिजन उत्पीड़न के बड़े गम्भीर मामले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कठोर कदम उठाना आवश्यक है । इस चर्चा को भी आगामी सप्ताह की कार्यवाही में सम्मिलित किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप किसी मद को अगले सप्ताह के कार्यक्रम में सम्मिलित करना चाहते हैं । तब आपसे केवल स्वीकृत पाठ पढ़े जाने की आशा की जाती है । केवल स्वीकृत पाठ ही रिकार्ड में सम्मिलित किया जायेगा । यह आशा की जाती है कि आप स्वीकृत पाठ ही पढ़े ।

* कार्यवाही-वृतांत में समिलित नहीं किया गया ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : इस तरह से संशोधन कर दिये जाने के विरोध में मैं वाक आउट करता हूं। यह हरिजनों का मामला है। इस तरह से अर्थ ही बदल नहीं दिया जाना चाहिये था।

(इसके बाद श्री जयपाल सिंह कश्यप सदन से उठ कर चले गए) :

श्री वी० डी० सिंह (फूलपुर) : मान्यवर, अभी तक भारत एंव जापान का सम्बन्ध आर्थिक विषयों तक ही संकुचित रहा है और वह भी सीमित स्तर तक अभी भी भारत का जापान को निर्यात जापान के आयात का मात्र लगभग, 0-73 प्रतिशत है। इधर जापान के प्रधान मंत्री एंव विदेश मंत्री ने भारत के साथ रानैतिक सम्बन्धों को विकसित करने की बात की है। उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि एशिया की शान्ति एवं समृद्धि के लिये दोनों देशों में राजनैतिक स्तर पर सहयोग होना चाहिये। भारत अपने आर्थिक आधार तथा आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाना चाहता है। हमें विचार करना होगा कि जापान हमारे आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी विकास में किस प्रकार का सहयोग कर सकता है।

आज जापान में अमरीका को छोड़कर कुल राष्ट्रीय उत्पादन सर्वाधिक है। जापान की उत्पादन प्रक्रिया श्रम उपभोगी है। भारत में प्रौद्योगिक श्रम शक्ति की कमी नहीं है, परन्तु इसे उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि हमने जापानी पद्धति का अनुसरण नहीं किया है। हम अभी तक प्रधानतया अमरीका या रूस की ओर अधिक उन्मुख रहे हैं। हमने जापान, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी जैसे देशों से सहयोग बढ़ाने पर कम ध्यान दिया है। अतएव इन विषयों पर सदन में विचार होना चाहिये।

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर, नैनीताल की अपनी एक गरिमा रही है। इस विश्वविद्यालय ने कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया है। कृषि शिक्षा, अन्वेषण, उत्पादन वृद्धि आदि में विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। परन्तु क्षोभ का विषय है कि विगत कुछ वर्षों से वहां का वातावरण अनियमितताओं एवं अशांति का शिकार हो गया है। प्रशासन के आचरण से कर्मचारियों, छात्रों एवं प्राध्यापकों में असंतोष की भावना व्याप्त है।

इसी विषाक्त वातावरण एवं पक्षपात आचरण का परिणाम है कि गत 14 सितम्बर को वहां के एक विद्वान वैज्ञानिक ने आत्मदाह कर लिया। विश्वविद्यालय के प्राध्यापक संघ का एक प्रतिनिधि मण्डल माननीया प्रधान मंत्री से गत 19 सितम्बर को मिला था और अपने प्रत्यावेदन में न्यायिक जांच की मांग किया था परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अतएव, इस सदन में कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर की वर्तमान असामान्य स्थिति पर विचार होना चाहिये तथा वहां के वातावरण को सामान्य बनाने के उपाय निकाले जाने चाहिये।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आयोग एवं आयुक्त अपनी रिपोर्ट हमेशा सदन को प्रस्तुत करते हैं तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के साथ हो रहे अन्याय एवं दुर्दशा तथा सरकारी नौकरियों में उचित स्थान नहीं दिये जाने तथा उसके पूर्ति हेतु आवश्यक कदम का भी सुझाव देते हैं लेकिन संसद में उस पर बहस नहीं हो

पाती । फलस्वरूप इन समुदायों के सदस्यों में काफी रोष है । सदन में बहस के अभाव में ये रिपोर्ट सिर्फ कागज पर ही रह जाती हैं ।

अतः सरकार से मांग है कि अगले सप्ताह में अनुसूचित जाति जनजाति के आयोग एवं आयुक्त की रिपोर्ट पर चर्चा करायी जाय ।

पिछले एक सप्ताह के अन्दर बिहार के संथाल परगना एवं गाजियाबाद में आदिवासियों की हत्याओं के समाचार प्राप्त हुए हैं ।

जहां बिहार के संथाल परगना जिला के पाला जोटी, प्रखंड में भूखे सात आदिवासियों को पुलिस ने गोली चला कर मार डाला, वहीं गाजियाबाद में दस आदिवासी (बनजारे) की हत्या रहस्यपूर्ण है ।

अतः आदिवासियों की इन हत्याओं के सम्बन्ध में सदन में चर्चा करायी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री प्रणव मुखर्जी । अनुपूरक मांगे ली जायेंगी ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : संसदीय कार्य मंत्री को उत्तर देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अफसोस है श्री मुखर्जी । अब श्री भगत ।

श्री एच० के० एल० भगत : मैंने माननीय सदस्यों की बातें ध्यान और सम्मान के साथ सुनी हैं । मैं कार्यवाही-वृत्तांत को ध्यानपूर्वक पढ़ूंगा और कार्य मंत्रणा समिति का ध्यान उन मामलों की ओर आकर्षित करूंगा जो आवश्यक समझे जायेंगे ।

श्री राम विलास पासवान : शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइबस कमिश्नर की रिपोर्ट के सम्बन्ध में तो कुछ कहें, उस पर बात चीत हो गई है, उस पर विचार होना चाहिए ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य), 1982-83

वित्त मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं वर्ष 1982-83 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगे दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

विधेयक

आध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का वर्जन और अंतरण) विधेयक

संसदीय कार्य और निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं श्री आर. वेंकटरामन की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि देश की आवश्यकताओं के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करके जनसाधारण के हितसाधन के लिये आंध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने की दृष्टि से उसके उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : कि देश की आवश्यकताओं के लिए वैज्ञानिक उपकरमों का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करके जनसाधरण के हितसाधन के लिए आंध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड

के उपक्रमों का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने की दृष्टि से उसके उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री भीष्ण नारायण सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से संबंधित विधियों का संशोधन करने और ऐसी विधियों के अधीन संगृहीत उत्पाद-शुल्कों के विधिमान्य करण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है 'कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से संबंधित विधियों का संशोधन करने और ऐसी विधियों के अधीन संगृहीत उत्पाद-शुल्कों के विधिमान्यकरण के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विधि (संशोधन और विधिमान्य करण) अध्यादेश, 1982 के बारे में विवरण

वित्त मन्त्री (श्री प्रवण कुमार मुखर्जी) मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1982 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा- पटल पर रखता हूं ।

रबड़ (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री शिवराज वी० पाटिल द्वारा 13 अक्टूबर, 1982 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार, आरम्भ करेगा, अर्थात् :

"कि रबड़ अधिनियम, 1982 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये ।"

श्री एन डेनिस और श्री बनात वाला को बोलना है। वे पांच पांच मिन्ट लेंगे । उनके बाद मन्त्री उत्तर देंगे । श्री मूल चन्द डागा बोल रहे थे। वे अब उपस्थित नहीं हैं । उनकी जगह श्री डेनिस बोलेंगे

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) संशोधन एक अल्पकालिक चेयरमैन और एक पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति के सम्बन्ध में है । अभी तक केवल पूर्णकालिक चेयरमैन नियुक्त किया गया है । पूर्णकालिक पदों पर आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों जैसे उच्च सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है ।

यह संशोधन इसलिए लाया गया है ताकि रबड़ बागान में प्रतिष्ठित तथा दीर्घ अनुभव वाले लोगों की सेवाओं का लाभ उठाया जा सके ताकि वे लोग रबड़ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकें। इतनी योग्यता वाले लोग पूर्णकालिक चेयरमैन के रूप में कार्य करना पसन्द नहीं करेंगे वे अल्पकालिक चेयरमैन के रूप में कार्य करना चाहेंगे। ऐसी अवस्था में प्रशासन का रोजमर्रा का काम चलाने और कार्य का प्रभावपूर्ण ढंग से निष्पादन करने के लिए एक पूर्णकालिक सरकारी अधिकारी की सेवाओं की आवश्यकता है। उसे सौंपे गये मामलों को वह चेयरमैन की ओर से, निपटायेगा। पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति का प्रश्न अल्पकालिक चेयरमैन की नियुक्ति के बाद ही सामने आयेगा। विचारणीय मुद्दे इस प्रकार हैं :—

1. अभी तक रबड़ बोर्ड के कार्यसंचाल में बोर्ड द्वारा कोई कठिनाई अनुभव नहीं की गई है। इस परिवर्तन के कारण प्रशासनिक व्यवस्था में कोई प्रोचीदगियां और परेशानियां उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

2. इस संशोधन के द्वारा पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक का एक उच्च पद बनाया जायेगा। रबड़ उत्पादन आयुक्त के पद के अतिरिक्त बोर्ड के सचिव का भी एक ऐसा ही पद है। रबड़ आयुक्त का पद तकनीकी सहायता देने और अनुसंधान कार्य करने के लिए बनाया गया है। परन्तु कार्यकारी निदेशक के प्रस्तावित पद के साथ-साथ बोर्ड के सचिव का भी पद है। बोर्ड का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके कर्त्तव्यों की स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए।

रबड़ एक महत्वपूर्ण वस्तु है और इसका बहुत प्रयोग किया जा रहा है। राष्ट्र के हित में और हमारी अर्थव्यवस्था तथा विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार लाने के हित में तथा श्रमिकों रबड़ उत्पादकों और रबड़ बागानों पर निर्भर रहने वाले छोटे किसानों के हित में यह जरूरी है कि पारम्परिक तथा गैर-पारम्परिक क्षेत्रों में सघन और अधिक क्षेत्र में खेती करके उत्पादन में और वृद्धि की जाये।

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : क्या आप एक अल्पकालिक निदेशक चाहते हैं ?

श्रीमती सुशीला गोपालन (अलपी) : अल्पकालिक चेयरमैन और पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति का प्रस्ताव है।

श्री एन० डेनिस : इस प्रश्न पर मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि किसी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, तो यह आलोचना होती है कि देश पर अधिकारी लोग शासन कर रहे हैं परन्तु यदि किसी अल्पकालिक अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है तो यह कहा जाता है कि यह राजनीति है। अतः प्रत्येक अवस्था में आलोचना होती है।

बोर्ड के बनाये जाने के बाद रबड़ के उत्पादन में काफी सुधार हुआ है। गत 20 वर्षों में रबड़ का उत्पादन 20,000 टन से बढ़कर 1,50,000 टन हो गया है। पिछले 30 वर्षों में उत्पादन का क्षेत्र भी 63,000 हेक्टेयर से बढ़कर 2,77,000 हैक्टेयर हो गया है। प्रति हैक्टेयर उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है। यह 234 किलोग्राम से बढ़कर 800 किलोग्राम हो गया है। यह सुधार सफल अनुसंधान कार्य तथा सरकार और रबड़ बोर्ड द्वारा की गई अन्य कार्यवाही के कारण हुआ है। यह सुधार और अधिक करने होंगे ताकि रबड़ का निर्यात किया जा सके।

पिछले तीन वर्षों में रबड़ के उत्पादन में स्थिरता आई है और उत्पादन लगभग 1,50,000 टन हुआ है। इसका कारण यह है कि भारत में प्रति किलोग्राम उत्पादन लागत लगभग 16 रुपये है। केरल के रबड़ उत्पादक क्षेत्रों में, जिसमें कन्याकुमारी का जिला भी शामिल है पायटोथेरा नामक एक रोग फैला हुआ है जिसमें वर्षा ऋतु में पत्ते गिरते हैं। जब यह रोग पौधों को प्रभावित करता है, तो छिड़काव आदि पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। पहले सरकार कुछ सहायता देती थी। पिछले 3 वर्षों से यह सहायता नहीं दी जा रही है। उत्पादन लागत कम करने के लिए उत्पादकों को यह सहायता दी जानी चाहिए। वर्तमान अधिनियम के अनुसार एक 'पूल' निधि है। इस निधि का अब रबड़ बागानों के विकास के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसका प्रयोग छिड़काव आदि के लिए भी किया जा सकता है।

श्रीलंका और मलेशिया में उत्पादन लागत लगभग 7 या 8 रुपये है। वहां पत्ते गिरने का रोग नहीं है। परन्तु रबड़ के आयात का हमारे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चुंगी और अन्य व्यय के बाद रबड़ का प्रति किलोग्राम आयात 12 से 13 रुपये के करीब बैठता है? अतः आयात कोई हल नहीं है। इस समस्या का हल तो उत्पादन बढ़ाकर ही हो सकता है।

दूसरी महत्वपूर्ण समस्या रबड़ उत्पादकों और निर्माताओं द्वारा दिये गये परस्पर-विरोधी अभ्यावेदनों के बारे में है। रबड़ उत्पादक आयात पर प्रतिबन्ध नियन्त्रण की मांग कर रहे हैं। निर्माता चाहते हैं कि आयात और अधिक किया जाये। इस प्रकार परस्पर विरोधी दावे किये जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मांग और पूर्ति के बीच अन्तर 30,000 टन है। इस लिए उत्पादकों और निर्माताओं के हितों की रक्षा करने के लिए आयात करने अथवा उस पर नियन्त्रण लगाने का फैसला बड़ी सावधानी से करना होगा। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाना चाहिए।

उत्पादकों और निर्माताओं के बीच बात-चीत द्वारा तथा सरकार, निर्माताओं और उत्पादकों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक में आयात की मात्रा निर्धारित की जा सकती है।

तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति गठित करके भी रबड़ आयात किये जाने की मात्रा नियत की जा सकती है।

रबड़ के अनियंत्रित आयात का मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा। यदि कीमत कम होगी तो उत्पादक उत्पादन में रुचि नहीं लेंगे। अतः ऐसा निर्यात करने से उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

जब रबड़ का आयात होता है, तो मूल्य गिर जाते हैं। जिसके कारण उत्पादकों की उत्पादन में रुचि नहीं रहती और हमारे राष्ट्रीय हित को हानि होती है।

रबड़ की मात्रा कितनी आयात करनी है इस बारे में स्पष्ट निर्णय लिया जाना है।

रबड़ के विकास के सम्बन्ध में इन बातों पर विचार किया जा सकता है :

उत्पादन को गहन, विस्तृत तथा वैज्ञानिक कृषि द्वारा बढ़ाना है। कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि करनी है। इस समय केवल दक्षिण में रबड़ का उत्पादन होता है। लेकिन उत्तर के कई क्षेत्रों में भी रबड़ की खेती हो सकती है। अन्य क्षेत्रों में रबड़ की खेती के लिए सर्वेक्षण कराया जाना

चाहिए ताकि उत्पादन में वृद्धि हो। इस वस्तु के उत्पादन के लिए, जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, उदारतापूर्वक सहायता ऋण तथा अनुदान दिया जाना चाहिए।

उत्पादन लागत कम की जाये। मलेशिया और श्रीलंका में उत्पादन लागत लगभग 7 या 8 रुपये प्रति किलोग्राम है। अतः राज सहायता व्यापक रूप से दी जानी चाहिए।

रबड़ का विकास इस ढंग से किया जाये जिससे इसका निर्यात किया जा सके। रबड़ उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति में भी सुधार जरूरी है।

रबड़ उद्योग की बढ़ रही जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादकों को कुछ प्रभावी प्रोत्साहन देने जरूरी हैं।

जहां तक प्रति एकड़ या प्रति एकक उत्पादन का सम्बन्ध है हमारे देश में कन्या कुमारी जिला सर्वप्रथम है और यहां की रबड़ की किस्म भी बहुत अच्छी है। इस समय नगर कोइल में केवल एक जिला कार्यालय है। मेरा सुझाव है कि कन्या कुमारी जिला में एक क्षेत्रीय कार्यालय भी खोला जाना चाहिए ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके और उस क्षेत्र में रबड़ की गहन खेती की जा सके।

देश के अन्य भागों में भूमि की जांच सम्बन्धी जो सुविधा प्राप्त है वह कन्या कुमारी जिला में भी मिलनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में रबड़ विकास से संबधित समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार के प्रयास दिखाई पड़ते हैं। इस विधेयक में रबड़ बोर्ड के अंशकालिक आधार पर सभापति की नियुक्ति का उपबन्ध है। सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में ऐसे योग्य व्यक्ति हैं जो रबड़ बागानों के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हैं। पूर्णकालिक सभापति के रूप में वे रवड़ बोर्ड के लिए शायद उपलब्ध न हो सकें। लेकिन वास्तव में यह वांछनीय है कि उनके अनुभव, ज्ञान तथा योग्यता का लाभ उठाया जाये। अतः इस विधेयक में यह उपवन्ध किया गया है कि बोर्ड का एक अंशकालिक सभापति हो। अतः विधेयक में निहित उद्देश्य और भावना स्वागत योग्य है। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

तथापि उद्देश्यों और कारणों के कथन में निम्नलिखित कथन के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं :—

"तथापि ऐसे व्यक्ति पूर्णकालिक आधार पर बोर्ड के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।"

जब यह अनुभव किया गया है कि ऐसे व्यक्ति पूर्णकालिक आधार पर उपलब्ध नहीं हों तो मन्त्रीजी सभा को आश्वासन दें कि अंशकालिक सभापति तभी नियुक्त किया जायेगा जब ऐसा कोई विख्यात व्यक्ति न मिले। इस आश्वासन का पालन करना चाहिए। अंशकालिक सभापति जिसकी रुचि किसी और क्षेत्र में भी हो, सन्तोषजनक समाधन नहीं हो सकता। अतः अपवाद स्वरूप ही अंशकालिक सभापति की नियुक्ति की जानी चाहिए।

साथ ही मैं यह भी कह सकता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से कोई नियुक्ति नहीं की जानी

चाहिए क्योंकि ऐसा संदेह करना उचित ही है कि राजनीतिक नियुक्तियां की जायेंगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो सदा किसी षड्यन्त्र की बात ढूंढ लेते हैं। उनकी तो हम कोई बात नहीं कह सकते लेकिन सरकार को भी देखना चाहिए कि कोई राजनीतिक नियुक्ति न की जाये।

महोदय मैं एक बात पर जोर देता हूं कि रबड़ का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन इस बात पर जोर देते हुए कि सरकार की नीति पराजय की नीति है। वे रबड़ के उत्पादन में कमी होने के सम्बन्ध में योजना बना रहे हैं। उदाहरण के लिए छठी पंचवर्षीया योजना का लक्ष्य 2 लाख टन प्रति वर्ष है। रबड़ बोर्ड का अनुमान है कि वार्षिक मांग 2.37 लाख प्रति वर्ष है। अत: छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार भी मांग की तुलना में उत्पादन में कमी रहेगी उत्पादन में लगभग 37,000 टन प्रति वर्ष की कमी रहेगी अत: मैं इस बात पर जोर देता हूं कि उत्पादन बढ़ाने के सभी प्रयास किए जायें। पुराने बागानों के स्थान पर नये बाग लगाने और नये बागानों सम्बधी कार्यक्रम तेज किये जायें। प्रति वर्ष 30,000 हैक्टेयर बागान में विद्यमान बागान के स्थान पर नये बागान और 30,000 हैक्टेयर में नये बागान लगाने का कार्यक्रम बनाया जाये। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि वास्तव में कम उत्पादन की योजना नहीं बननी चाहिए।

दुर्भाग्य की बात यह है कि रबड़ की आवश्यकता के सम्बन्ध में मांग और उत्पादन के बारे में भी कुछ भ्रम है। विभिन्न अभिकरणों से हमें भिन्न-भिन्न आंकड़े मिलते हैं। विभिन्न अभिकरणों द्वारा 1982-83 के उत्पादन सम्बन्धी मांग और उत्पादन के अनुमानित आंकड़े इस प्रकार हैं।

1982-83 के लिए रबड़ बोर्ड का अनुमान:
मांग 1.97 लाख टन
उत्पादन 1.62 लाख टन
कमी 30,000 टन

इसके साथ ही तकनीकी विकास के महानिदेशक हैं। वर्ष 1982-83 के लिए 2 लाख टन मांग होगी और उत्पादन 1.55 लाख टन है और कमी 45,000 टन की है।

साथ ही रबड़ उद्योग संगठन भी है। वे कहते हैं कि वर्ष 1982-83 में मांग 2.2 लाख टन और उत्पादन 1.15 लाख टन होने से कमी 65,000 टन होगी।

रबड़ उत्पादकों के संगठन का भी अनुमान हमारे पास है। उन्होंने कहा कि मांग 1.8 लाख टन और उत्पादन 1.76 लाख टन होने से वर्तमान वर्ष में तो कमी न के बराबर होगी।

इसीलिए मैं कहता हूं कि उचित सर्तकता जरूरी है। आखिर उत्पादन और मांग कितनी है। रबड़ उत्पादकों को भी विश्वास में लेना है। उनसे भी बात-चीत जरूरी है।

महोदय, हमें रबड़ का उत्पादन बढाने के साथ ही रबड़ के आयात के बारे में भी नीति ठीक करनी है। रबड़ के आयात की नीति से बहुत गड़बड़ हो रही है। केरल राज्य देश में सर्वाधिक रबड़ 90 प्रतिशत पैदा करता है और रबड़ के आयात से केरल की अर्थ व्यवस्था चौपट हो गई है। आपको यह जानकर धक्का लगेगा कि इस भारी मात्रा में आयातित रबड़ में से आंतरिक बाजार को रबड़ उस समय दिया गया जबकि देश का उत्पादन अपनी चरम सीमा पर था। इससे बाजार में भरमार हो गई और मूल्य गिर गये। प्रति किलो ग्राम 10.50 रु० से 16 रुपये की कमी हुई। इससे समस्या

गम्भीर हो गई। कम से कम 4 से 5 वर्ष तक उचित मूल्य की गारंटी दी जानी चाहिये क्योंकि रबड़ के उत्पादन में समय लगता है। अतः मूल्य स्थिर होने चाहिये। मेरा आग्रह है कि रबड़ का आयात बंद किया जाये। केरल के वित्त मंत्री श्री मणि ने सुझाव दिया है कि आयात से पहले कम से कम उत्पादक राज्यों से परामर्श जरूर किया जाये। आशा है सरकार इस मामले में आयात में, जिसके कारण केरल की अर्थ व्यवस्था चौपट हो रही है, केरल सरकार से अवश्य परामर्श करेगी, साथ ही रबड़ उत्पादकों से वार्ता करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। मुझे विश्वास है कि रबड़ का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से रबड़ के आयात की नीति का परित्याग कर दिया जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। विकास के सम्बन्ध में सरकार को चिन्ता है, यह बात स्वागत योग्य है। लेकिन सरकार को यह अहसास होना चाहिये कि अंश कालिक या पूर्णकालिक सभापति या कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति से समस्या नहीं सुलझेगी। देश के प्रमुख उत्पादक राज्यों से परामर्श करके इस समस्या से निपटना होगा।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं इस वाद-विवाद में भाग लेने और बहुमूल्य सुझाव देने के लिए माननीय सदस्यों का आभारी हूं।

सबसे पहले मैं उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो सुझाव उन्होंने दिये हैं उन पर सावधानी से विचार किया जायेगा और मैं उनका उपयोग करना चाहूंगा।

इस विधेयक पर वाद-विवाद 4-5 दिन तक लगातार चला। नि:सन्देह हम रबड़ (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रहे थे और रबड़ के समान इस पर होने वाली बहस भी बढ़ती चली गई।

कुछ सदस्यों ने बहुत ही उचित बात कही है। उन्होंने कहा है कि यदि अध्यक्ष सरकारी सेवाओं से बाहर का आदमी तथा अंशकालिक होगा, तो अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक के बीच मतभेद रहेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि कार्यकारी निदेशक को प्राप्त अधिकार अस्पष्ट हैं तथा बोर्ड द्वारा पास किए गए प्रस्तावों को कार्यकारी निदेशक द्वारा लागू करना असम्भव होगा या उन्हें लागू करना उसके लिए सम्भव नहीं होगा। निश्चय ही यह एक उचित सन्देह है परन्तु सदस्यों को इस संबंध में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो यह जानता हो कि रबड़ किस प्रकार पैदा होता है, उसका उत्पादन किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, बाजार में किस प्रकार का रुख है तथा रबड़ उद्योग इस संबंध में क्या कदम उठा सकता है। वह उत्पादकों के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करेगा। इसलिए यदि ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष होता है, तो वह उत्पादकों और अन्य लोगों के हितों की भी रक्षा करने में सक्षम होगा। परन्तु कभी-कभी हमारे लिए एक पूर्णकालिक अध्यक्ष रखना मुश्किल हो जाता है। बोर्ड में लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए एक कार्यकारी अधिकारी अथवा एक कार्यकारी निदेशक होना चाहिए और इसीलिए हम उसकी व्यवस्था यहां कर रहे हैं।

विधेयक में यह उपबन्ध है कि कार्यकारी निदेशक के अधिकार नियत किये जायेंगे। इस संबंध में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए। जब सरकार ऐसा करती है तो सन्देह की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। साथ ही विधेयक में यह भी कहा गया है कि कार्यकारी विधेयक की शक्तियां अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित की जा सकती हैं। यदि शक्तियां निश्चित कर दी जाती हैं तो यह पता लगाने

में कोई कठिनाई नहीं होगी कि कार्यकारी निदेशक और अध्यक्ष किस-किस क्षेत्र में अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। कुछ अन्य नियमों और बोर्डों में भी अंशकालिक और अध्यक्ष तथा कार्यकारी निदेशक भी हैं। वहां उनके बीच किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूं कि हमें इस संबंध में कोई शंका नहीं करनी चाहिए।

श्री बनातवाला ने अपने अत्यधिक जोरदार और अच्छे भाषण में यह कहा है कि हमें अध्यक्ष की नियुक्ति करते समय राजनीति को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। हमें रबड़ बोर्ड की उन्नतिको ध्यान में नहीं रखना चाहिए।हमें यह भी देखना चाहिए कि बोर्ड में उत्पादकों और अन्य संबंधित लोगों का वास्तविक प्रतिनिधित्व रहे। तथा इस प्रकार की मनोवृति के आदमी को नियुक्त किया जाना चाहिए जो वास्तव में बोर्ड के हितों की रक्षा कर सके। हम ये सब बातें अपने ध्यान में रखें।

दूसरी बात जो कही गई है, उसका संबंध रबड़ के आयात से है। लगभग दोनों ही ओर के सभी सदस्यों ने इस पर प्रकाश डाला है। अतः इस संबंध में सरकार के दृष्टिकोण को बताना मेरे लिए आवश्यक है, यद्यपि यह बात प्रस्तावित संशोधन से संगत नहीं है। कितनी मात्रा में रबड़ का आयात किया जाये, इस प्रश्न का निर्णय किसी एक व्यक्ति द्वारा न किया जाकर एक समिति द्वारा किया जाता है। उस समिति में रबड़ बोर्ड के अध्यक्ष स्वयं और वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा तकनीकी विकास महानिदेशालय के प्रतिनिधि होते हैं। वे रबड़ के उत्पादन का अनुमान लगाते हैं। वे इस बात का पता लगाने का प्रत्यन करते हैं कि रबड़ की मांग कितनी होगी और तब वे यह सुझाव देते हैं कि कितनी मात्रा में आयात किया जाये। सामान्यतः और मैं तो कहूंगा कि निश्चय रूप से उनके द्वारा दिये गये निर्णयों का ही पालन हम करते हैं।

इस संबंध में कल बोलने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा कि कभी-कभी उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को घटाकर दिखाया जाता है और आवश्यकता संबंधी आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर। इस प्रकार इनमें एक बड़ा अन्तर दिखाया जाता है और इससे उत्पादकों को कठिनाई होती है। अब हम और अधिक वैज्ञानिक ढंग से आंकड़े इकट्ठा करने का प्रयत्न करेंगे और यह भी प्रयत्न करेंगे कि वे सही प्रकार इकट्ठे किये जायें। ऐसा किस प्रकार किया जायेगा यह इस समय बताना मेरे लिए बड़ा कठिन है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : रबड़ की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए आप एक समिति क्यों नहीं बनाते ? उत्पादक इसकी लम्बे समय से मांग कर रहे हैं।

श्री शिवराज पाटिल : यही मैंने कहा है। रबड़ बोर्ड में रबड़ उत्पादक, श्रमिक तथा अन्य लोगों के प्रतिनिधि होंगे। रबड़ बोर्ड के प्रतिनिधि अथवा उसके अध्यक्ष समिति में बैठते हैं, जो यह निर्णय करती है कि कितनी मात्रा में आयात किया जाये। वह·····(व्यवधान)

श्री शिवराज वी० पाटिल : इसी कारण हम एक अंशकालिक·····(व्यवधान)

श्री शिवराज वी० पाटिल : कृपया समझने का प्रयत्न कीजिये। अब तक हम सामान्यतः एक प्रशासक की नियुक्ति करते थे। परन्तु अब हम उत्पादकों और अन्य लोगों के प्रतिनिधि भी

रखना चाहते हैं। परन्तु यह हो सकता है कि वह एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में वहां काम न करना चाहे। इसलिए हम अंशकालिक अध्यक्ष रखने जा रहे हैं। और वह अंशकालिक अध्यक्ष निर्माताओं और अन्य लोगों के विचारों को व्यक्त करेगा जबकि वह उस समिति में बैठेगा, जो यह निर्णय करेगी कि कितनी मात्रा में रबड़ का आयात किया जाये। तथा उसके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को रबड़ का आयात करते समय ध्यान में रखा जायेगा।

श्री जी० एम० बनातवाला ने यह सही ही कहा है कि आंकड़े आपस में मेल नहीं खाते। कृषकों द्वारा दिये गये आंकड़ों का निर्माताओं द्वारा दिये गये आंकड़ों से मेल नहीं रहता। यह कठिनाई भी इस समिति द्वारा हल की जा सकती है। वे इस कठिनाई का पता लगाने के संबंध में किसी निर्णय पर पहुंच चुके हैं और तब यह निर्णय कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में रबड़ का आयात किया जाये।

हमें यह बताया गया था कि रबड़ की मांग 1,18,000 टन होगी और उसका उत्पादन 1,50,000 टन होगा और आयात की जाने वाली रबड़ की मात्रा 30,000 टन होगी। जो एक दम वही मात्रा है जिसका सुझाव उन्होंने दिया था। इसी मात्रा में रबड़ का आयात किया गया···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब मंत्री महोदय अपना भाषण समाप्त कर लें।

श्री शिवराज वी० पाटिल : परन्तु यह समझे बिना कि वास्तव में कितनी मात्रा में रबड़ का आयात किया गया, प्रत्येक सदस्य यह कह रहा है कि सरकार ने बडी मात्रा में रबड़ का आयात किया। इसका परिणाम यह हुआ है कि उत्पादकों ने यह अनुभव किया उनके उत्पाद की बिक्री बाजार में नहीं होगी और इसलिए उन्हें उसकी बिक्री मजबूरी में कम मूल्य पर करनी पड़ी।

अतः यह आवश्यक है कि माननीय सदस्य जिम्मेदारी के साथ कोई वक्तव्य दें। यदि यह जाने बिना कि वास्तव में कितनी मात्रा में रबड़ का आयात किया गया, वे यह कहते हैं कि बड़ी मात्रा में रबड़ का आयात किया गया तो यह स्वाभाविक है कि जिस उत्पादक के पास सही आंकड़े पता करने का कोई साधन नहीं है और जो बहुत शिक्षित नहीं है वह समझेगा कि रबड़ का आयात बड़ी मात्रा में किया गया है तथा उसे अपना माल किसी भी मूल्य पर, जो उसे दिया जाये, बेच देना चाहिए।

इस प्रकार की भावना को नहीं फैलने देना चाहिए। मैं आपको आंकड़े देता हूं।

(व्यवधान)

श्री शिवराज वी० पाटिल : केवल 30,000 टन रबड़ का आयात किया गया।

(व्यवधान)

श्री शिवराज वी० पाटिल : इस 30,000 टन रबड़ के आयात का मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

यदि समय का महत्व है तो मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि हम इस आयातित रबड़ की सप्लाई को इस प्रकार नियंत्रित करेंगे कि इसका उत्पादकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस संबंध में आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

परन्तु यह भी समझना चाहिए कि उद्योगों में माल का निर्माण होता है और उसे बाजार में बेचा जाता है। यदि कच्चे माल के न मिलने पर उस उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो अगले वर्ष वह उद्योग नहीं चलेगा और यदि अगले वर्ष वह उद्योग नहीं चलता है तो इसका उत्पादको पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए हमारे लिए यह आवश्यक हो गया कि टायर और अन्य सामान बनाने वाले उद्योगों को आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध करायें। हमारे लिए यह भी आवश्यक हो गया कि हम निर्माण इस प्रकार करें जिससे स्थानीय माँग भी पूरी हो जाये और हम उसका निर्यात भी कर सकें। अब प्रश्न है उत्पादकों और निर्माताओं के हितों में सन्तुलन बनाये रखने का। यदि हम एक ओर अधिक ध्यान देते हैं तो उस क्षेत्र पर इस वर्ष भले ही कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े परन्तु अगले वर्ष उस पर प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इसलिए सरकार को सन्तुलन बनाये रखना पड़ता है और मैं सभा को यह विश्वास दिला सकता हूं कि सरकार सभी संबंधित व्यक्तियों के हितों की रक्षा इस प्रकार करेगी जिससे सभी को लाभ हो।

इसके लिए मैकेनिज्म भी तैयार किया जाता है। उत्पादकों के लिए आपकी जो चिन्ता है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं और मैं आपको सदन में आश्वासन दे चुका हूं कि जिस दिशा में आप अपना विचार रखने की कोशिश कर रहे हैं वह गलत दिशा नहीं है लेकिन कृपया दूसरों की बातों को भी समझने की कोशिश करें और अपना विचार सदन में अथवा बाहर इस तरह रखें कि उत्पादकों के हितों पर प्रत्यक्ष तथा आपकी जानकारी में बुरा प्रभाव न पड़े।

यहां तथा सदन के समक्ष जो बात मेरे पास आई है वह यह है कि हमने बड़ी मात्रा में आयात नहीं किया है, इसके बावजूद कीमतें गिर रही हैं तो इसका कारण यह है कि आप सभी ने यह कहना शुरू कर दिया है कि आयात आवश्वकता के अनुपात में नहीं किया गया है यदि ऐसी मनःस्थिति तैयार की गई तो लाजिमी है मूल्य नीचे गिरेंगे। अतः वक्तव्य देने में सावधानी बरतें।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया तीसरा मुद्दा रबर के उत्पादन से संबंधित है। यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। महोदय, मैं उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई स्कीमों को पढ़कर सुनाता हूं। ये ऐसी स्कीमें हैं जिन्हें सरकार ने रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार की हैं :—

रबड़ बागान विकास स्कीम :

(क) छोटे उत्पादकों के लिए प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपये पर नकद राज सहायता।

(ख) अपेक्षाकृत छोटे गरीब उत्पादकों के लिए—रोपड़ सामग्री की लागत के आधे की प्रतिपूर्ति, उर्वरकों की लागत के आधे की प्रतिपूर्ति, प्रति हेक्टेयर 150 रुपये की भू-संरक्षण राज सहायता।

(ग) कृषि पुनर्वित तथा विकास निगम के जरिए प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपये पर टर्म ऋण। इस टर्म ऋण पर 3 प्रतिशत पर ब्याज राज सहायता।

(घ) मुफ्त तकनीकी तथा विस्तार समर्थक।

रबड़ के पौधों का रख-रखाव :

बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे नर्सियों की संख्या—10 नर्सियों की क्षमता—12 लाख रबड़ पौधे ।

लघु धारक रबड़ के शोधन में सुधार :

इस स्कीम के अधीन विश्व बैंक की सहायता से एक परियोजना शुरू की जा रही है । इस परियोजना में नौ प्रखंड रबड़ फैक्टरी स्थापित करने तथा वर्तमान एक फैक्टरी का विस्तार करने का प्रस्ताव है सभी सहकारिता क्षेत्रों में । इन फैक्टरियों की क्षमता 25,000 टन है । शोधन फैक्टरियों की स्थापना के लिए सहकारी विपणन सोसाइटियों को रबड़ बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है । इस स्कीम के अन्तर्गत सहायता को विशिष्ट करें :

(एक) शेयर पूंजी अंशदान-प्रति सोसाइटी 2 लाख रुपये ।

(दो) परख प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए प्रति सोसाषटी ऋण—1 लाख रुपये ।

गैर-तकनीकी क्षेत्रों में रबड़ की खेती का विस्तार :

कल श्री जे० एस० पाटिल ने इसके बारे में बोला था । मैं यह सूचना दे रहा हूं ।

आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, महाराष्ट्र तथा गोवा के गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में बोर्ड द्वारा सर्वेक्षण तथा परीक्षण के तौर पर रोपाई किए गए हैं । त्रिपुरा में अगरतला, असम में गोहाटी और गोवा में पोंडा में रबड़ बोर्ड के तीन क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं । त्रिपुरा और महाराष्ट्र में रबड़ बोर्ड द्वारा एक क्षेत्रीय अनुसधान सेंटर भी स्थापित किया गया है ।

ये विकास संबंधी स्कीमें हैं जो रबड़ बोर्ड द्वारा शुरू किए गए हैं । हमारी यह कोशिश है कि ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु देश में ही पैदा कीया जाए और हमारी जरूरतों की पूर्ति हमारे देश में उत्पादित रबड़ से ही पूरी हो तथा निर्यात भी कर सकें । इस उद्देश्य को दृष्टिकोण में रखते हुए हम रबड़ अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं । मैं आशा करता हूं कि सभी मुद्दों का उत्तर दे दिया गया है । तथापि, यदि एक या दो सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वे पूछ सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बालानन्दन ।

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : अभी केरल में यह भारी मात्रा में जमा हो गया था । उत्पादकों में घबराहट फैल गई है । क्या सरकार बाजार में हस्तक्षेप करेगी और रबड़ की कुछ मात्रा उचित दर पर खरीदेगी ताकि उत्पादकों द्वारा मजबूरन बिक्री को रोका जा सके तथा जो घबराहट की स्थिति पैदा हो गई है उस पर काबू पाया जा सके ?

श्री शिवराज बी० पाटिल : मैं पहले ही कह चुका हूं कि आवश्यकता 1,80,000 टन की है विनिर्माताओं की मांग 1,80,000 टन रबर की है । उत्पादन 1,50,000 टन है । आयात केवल 30,000 टन है । माननीय सदस्यों को उनके पास जाकर यह कहना चाहिए उन्हें उस कीमत पर बेचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है । मैं पहले ही आश्वासन दे चुका हूं कि हम रबड़ करें बाजार में इस तरह रिलीज करने नहीं जा रहे हैं कि जिससे मूल्य काफी गिर जांए और यदि रबड़ की कीमतें बहुत बढ जाएंगी तो हम निश्चित रूप से रबड़ मार्कीट में रिलीज करेंगे । आप उत्पादकों के हितों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं । मैं यह समझता हूं । लेकिन

ऐसा करते समय आप सरकार तथा आयात पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करके आप ऐसा वातावरण बना रहे हैं कि बाजार में रबड़ की भरमार है। ऐसा वातावरण तैयार न करें ; इससे केवल कुछ निहित स्वार्थ वालों को ही लाभ होगा। आप हमेशा कह रहे हैं कि आयात हो रहा है.....(व्यवधान) आप सभी कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ी मात्रा में रबड़ का आयात कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं ? ऐसा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहते हैं कि मूल्यों में गिरावट आएगी।

श्री ई० बालानन्दन : मैंने कुछ भी नहीं कहा है। मैं केवल इतना कहा हूं कि मूल्यों में गिरावट आ रही है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : रबड़ का रोजाना 1000 टन उत्पादन में से केवल 200 टन रबड़ ही खरीदा जाता है। क्या तरीका है। स्वभावत: वे मजबूरन मूल्य पर रबड़ बेचेंगे। केवल 200 टन रबट ही खरीदा जाता है। यही कारण है कि केरल से यह मांग उठ रही है कि रबड़ बोर्ड को जाकर रबड़ खरीदना चाहिए बफर स्टाक बनाना चाहिए। 800 टन रबड़ बिना बिके बचा रहता है। आपको इस पर विचार करना चाहिए और बफर स्टाक बनाना चाहिए।

श्री जार्ज जोसेफ मुंडाकल (मुवत्तुपुजा) : आजकल, जबकि उत्पादन कधिकतम हो रहा है, उत्तरी भारत के कुछ कारखाने हड़तालों, श्रमिक कठिनाईयों बिजली कटौती तथा ताला-बन्दी के कारण रबड़ की खरीद नहीं कर रहे हैं तथा वे 6 सप्ताह के लिए रबड़ का स्टाक नहीं रख रहे हैं, जैसा कि पहले समझौता हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने रबड़ बोर्ड की नोटिस में इसे लाया है ?

श्री जार्ज जोसेफ मुंडाकल : रबड़ मार्केटिंग फेडरेशन वहां है। राज्य व्यापार निगम वहां है तथा रबड़ पूल फंड भी वहां है। लेकिन किसी को वहां जाकर रबड़ खरीदना होगा। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि बाजार में खरीदारी के लिए टीम भेजा जाए और उत्पादकों के अधिशेष रबड़ को खरीदा जाए।

श्री शिवराज वी० पाटिल : अनजाने हम जाल में फंस रहे हैं। हमने बड़ी मात्रा में रबड़ का आयात नहीं किया है।.....(व्यवधान) मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सिर्फ उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिनसे बाजार में रबड़ की भरमार होने का वातावरण बनता है। अब आप यह कह रहे हैं कि हड़तालें चल रहीं हैं अथवा बिजली उपलब्ध नहीं है तथा रबड़ का आयात किया जा रहा है। मूल्यों पर इसका क्या असर पड़ेगा, अनजाने में आप रबड़ की बाजार में भरमार का आप समर्थन कर रहे हैं ? कृपया ऐसा न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि रबड़ अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेंगे।

"प्रश्न यह है।"

"कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 6 तक विधेयक में जोड़े गये।

खंड 1, अधिनिनम सूत्र तथा विधेयक या पूरा नामविधेयक में जोड़ा गया।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण विधि (संशोधन) विधेयक

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

(श्री वी० एन० गाडगिल पीठासीन हुए)

जैसा कि माननीय सदस्यों को पहले ही मालूम है चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 चूनापत्थर और डोलोमाइट पर लेवी तथा उपकर उगाहने के लिए अधिनियमित किया गया था ताकि चूनापत्थर और डोलोमाइट खानों में नियुक्त व्यक्तियों के कल्याण का संबर्धन करने वाली गतिविधियों का वित्तपोषण किया जा सके। अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों को 1 दिसम्बर 1973 से लागू किया गया था। अधिनियम के अधीन उपग्रहणीय उपकर की दर प्रति मीट्रिक टन चूनापत्थर तथा डोलोमाइट पर 20 पैसे तय की गई थी।

चूंकि, निधि के प्रारम्भ किए जाने की तारीख से वित्तीय वर्ष 1980-81 की समाप्ति तक उपकर के रूप में चार करोड़ रुपये से अधिक राशि जमा हो गई है, जिसमें से 2.3 करोड़ रुपये चूनापत्थर तथा डोलोमाइट खान श्रमिकों के लिए अधिनियम में उल्लिखित विभिन्न कल्याण उपायों पर खर्च किए गए हैं। इस तरह, इन खानों में नियुक्त 49,752 चूनापत्थर मजदूर तथा 7,527 डोलोमाइट मजदूर इस अधिनियम के अन्तर्गत लाए गए हैं।

चूनापत्थर के अलावा, अन्य चूनेदार निक्षेप, अर्थात् लाइमसेल, चूनेदार बालू तथा लाइमसेल, मार्ल, कंकड़ अथवा चूनाकंकर से निर्मित समुद्री बालू, हैं। इन सभी वस्तुओं का चूनापत्थर के समान ही रासायनिक बनावट है और इनका सीमेन्ट फैक्टरियों में उपयोग होता है। ऐसे खनिज निक्षेपों को सामान्यत चूनापत्थर माना जाना चाहिए था और उस अधिनियम के अधीन लाया जाना चाहिए था, लेकिन मूल अधिनियम में चूना पत्थर की परिभाषा के आभाव में उस अधिनियम के अधीन नहीं लाया जा सका। चूनेदार बालू, चूना कंकड़, कंकड़ तथा लाइमसेल खानों में वर्ष 1980 के दौरान नियुक्त श्रमिकों की संख्या 4978 है तथा 1980 के दौरान कुल उत्पादन 19, 48,000 टन है। सीमेन्ट कारखानों में इन सामग्रियों की खपत 10,43,714 टन है। मार्ल का उत्पादन की सूचना नहीं है।

चूनापत्थर को परिभाषित करने का अभिप्राय यह है कि ताकि उन खनिजों की खपत

पर उपकर लगाया जाए तथा उसका उपग्रहण किया जा सके जो प्रतिवर्ष 2 लाख रुपये होने की आशा है और इन 5000 श्रमिकों के लिए भी उसी समान कल्याण सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें जो इस तकनीकी त्रुटि के कारण इन सुविधाओं से वंचित हैं। तथापि, इस संशोधित अधिनियम में लागू होने पर ही इन खनिजों की खपत/बिक्री/निपटान पर लगाया जाएगा।

यह मान कर, कि मूल अधिनियम की धारा के अधीन शुल्क लगाया जा सकता है, इस अधिनियम को, न केवल ऐसी स्थिति में जबकि चूना पत्थर या डोलोमाइट का मालिक सीमेंट, लोहा या इस्पात बनाने के लिए इसका उपयोग करता है बल्कि इस समय भी जब वह इसका उपयोग औद्योगिक कार्यों के लिए करता है, लागू किया गया है। सम्बन्धित व्यक्तियों ने इस प्रवृत्ति को चुनौति दी है। हाल ही में अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन की गई अपील में यह दृष्टिकोण अपनाया गया है। कि चूनापत्थर और डोलोमाइट खान मालिक जो अपनी खान में पैदा किये गये चूनापत्थर या डोलोमाइट का उपयोग सीमेंट, लोहा या इस्पात बनाने के अतिरिक्त किसी अन्य चीज के निर्माण के लिए करता है तो उसे अधिनियम के अधीन उपकर की अदायगी का उस पर दायित्व नहीं है।

इसी कारण रसायनिक कारखानों पर लगभग 9 लाख रुपये का लगाया गया उपकर इकटठा नहीं किया जा सका। यदि यही दृष्टिकोण स्वीकार किया जाता है तो पहले एकत्र किया गया उपकर न केवल सरकार को वापस करना पड़ेगा बल्कि प्रतिवर्ष लगभग 5.75 लाख रुपये की हानि भी होगी।

अत: अधिनियम की धारा 3 और 4 के संशोधन का उद्देश्य हमारे इस अभिप्राय: को स्पष्ट करना है कि सभी विवाद समाप्त किये जायें और विधिमान्य करण के खण्ड का अभिप्राय: सरकार द्वारा लगाये और एकत्रित किये गये उपकर को वैध माना जाये और कानूनी विवादों के कारण जो उपकर की राशि सरकार द्वारा एकत्रित नहीं की जा सकी, उसे एकत्र कर लिया जाये।

विधेयक में प्रस्तावित अन्य संशोधन साधारण प्रकार के हैं। अधिनियम के अधीन मन्त्रणा समिति कई बार यह अनुभव करती है कि कुछ सहयोगी सदस्य बनाये जायें ताकि सुनिश्चित किया जाये कि इन समितियों में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों को इन समितियों में शामिल किया जाये ताकि विशेषज्ञों का परामर्श मिल सके। इसी कारण विधेयक में समिति को सहयोगी सदस्य बनाने का अधिकार दिये जाने का प्रावधान है।

इस समय कारखानों और खानों का निरीक्षण केवल कल्याण प्रशासकों द्वारा ही किया जाता है। उनके उच्च अधिकारी कल्याण आयुक्तों को भी ये अधिकार मिलने चाहियें।

इसी प्रकार खनिजों के निपटान सम्बन्धी जानकारी रखने के लिए न केवल खान मालिकों कारखाने दारों से बल्कि खरीद एजेंटों तथा भण्डारकर्ताओं से भी आंकड़े एकत्र करना जरूरी है। इस से उपकर एकत्र करने के काम पर कड़ी सतर्कता रखी जा सकेगी।

मेरे विचार से इस विधेयक में ऐसी अन्य कोई चीज नहीं है जिसके बारे में स्पष्टीकरण

या विशेष टिप्पणी की जरूरत हो। यह मामला, जैसा कि सभा को पता है, अत्यावश्यक है। अत: मैं चाहता हूं कि इसे यथा शीघ्र विधि का रूप दे दिया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि चूनापत्थर तथा डोलोमाइट खान श्रम कल्याण (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाये और उसे पास किया जाये।

सभापति महोदय : निम्नलिखित प्रस्ताव पेश हुआ :

"कि चूनापत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री अजित बाग (सीरमपुर) : सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं "चूनापत्थर तथा डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1982" पर बोलने हेतु खड़ा हुआ हूं।

इस विधेयक पर बहुत कम चर्चा की जा सकती है। इसका उद्देश्य 'चूनापत्थर' की उचित परिभाषा करना तथा कल्याण निधि के प्रयोजनार्थ उत्पाद शुल्क लगाने का क्षेत्र विनिश्चित करना है। मूल विधान में जो त्रुटियां थीं उन्हें दूर करना है। कुछ साधारण संशोधन भी हैं। महोदय, सत्ताधारी दल में इच्छा शक्ति की कमी के बारे में इस सम्मानीय सभा में इस अवसर पर मैं बताना चाहता हूं।

महोदय, वे केन्द्रीय मंत्रणा समिति को सहयोगी सदस्य बनाने का अधिकार देना चाहते हैं। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम इस ढंग का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए ऐसे निकायों को लोकतंत्रात्मक आधार पर गठित किया जाये।

यदि ये समितियां काम ही नहीं करती तो उन्हें गठित करने का क्या प्रयोजन है? आठ वर्षों के बाद पिछली 2 जनवरी को समिति की बैठक हुई थी। सी० आई० टी० यू तथा अन्य कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों ने व्यावहारिक रूप से समिति को निश्चेष्ट बनाने के लिए सरकार की आलोचना ठीक ही की है। बैठक की कार्य-सूची भी नहीं दी गई। अत: श्रमिकों का भला करने के लिए सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। यदि वास्तव में इस काम में उनकी रुचि होती तो कम से कम वे यह देखते कि समिति ठीक ढंग से अपना कार्य करती।

महोदय, वे इसे श्रम कल्याण निधि कहते हैं। क्या वास्तव में ऐसा है? श्रमिकों को इस से क्या लाभ मिलता है? श्रममंत्रालय का प्रतिवेदन, 1981-82, में उन्होंने दावा किया है कि चिकित्सा आवास, शिक्षा, जल-पूर्ति और मनोरंजन पर क्रमश: 1980-81 और 1981-82 में 41.59 लाख रुपये, 70.99 लाख रुपये खर्च किये गये। लेकिन प्रत्येक मामले में उन्होंने लाभ उठाने वालों की संख्या नहीं लिखी। अन्यथा उनके दावों का खोखलापन स्पष्ट हो जाता। मंत्री जी इस पहलू पर प्रकाश डाल सकते हैं।

वास्तविकता यह है कि चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों के श्रमिकों की हालत दयनीय है? उन्हें घातक बीमारियां लग जाती हैं। वन खनिजों के धुएं में सांस लेने में श्रमिकों को टी. बी. कैंसर तथा सांस की अन्य बीमारियां आसानी से लग जाती हैं। उन्हें चर्म रोग भी हो जाते हैं।

उनका जीवन बहुत दयनीय है और अयस्क और मैंगनीज की खानों में काम करने वाले श्रमिकों जितनी सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिलती। क्या सरकार उन करोड़ों रुपये कमाने वाले खान मालिकों को बाध्य नहीं कर सकती कि इन मेहनतकश लोगों को ये सुविधाएं दी जायें। उन्हें 'प्रोटेक्टिव इनहेलर' जैसे उपकरण दिये जाने चाहियें जिन्हें फैक्टरी एडवाइस एण्ड लेबर इन्सटीट्यूट, बम्बई ने तैयार किया है।

खान मालिक श्रमिकों को उचित चिकित्सा, दोपहर के भोजन, पेय जल, शिक्षा आदि की सुविधाएं क्यों नहीं देते? मजदूरों की आय इतनी नहीं कि वे प्रोटीन तथा घी युक्त भोजन कर सकें। सरकार मालिकों को बाध्य करे कि ये चीजें उन्हें मुफ्त दी जायें। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो कम से कम कल्याण निधि से इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये। लेकिन इस प्रयोजनार्थ निधि की राशि अपर्याप्त है। इस समय उत्पाद शुल्क की दर भी 20 पैसे प्रति मीट्रिक टन है जो बहुत कम है।

महोदय, 1972 में जब से मूल अधिनियम विनियमित हुआ था खनिजों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अक्तूबर, 1981 में खनिजों का मूल्य सूचकांक 1216.6 हो गया जो 1971 में 114.4 था अर्थात् 11 गुना या 1100% की वृद्धि हुई। अतः मूल्य अधिनियम में और संशोधन करके उत्पाद शुल्क कम से कम 10 रुपये प्रति मीट्रिक टन होना चाहिये। इस में निधि की राशि बढ़ेगी और श्रमिकों को कुछ राहत मिल सकेगी। अन्यथा केवल उनकी भलाई की इच्छा व्यक्त करके हम उनका कुछ भला नहीं कर सकते।

केन्द्रीय मंत्रणा समिति की गत जनवरी में हुई बैठक में सी० आ० टी० यू० के प्रतिनिधियों ने श्रमिकों के कल्याणार्थ कुछ बहुमूल्य सुझाव दिये थे। मैं उनका पूर्ण समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से सरकार से कार्यान्वित करने का अनुरोध करता हूं। वे सुझाव ये हैं' :

(1) सामुदायिक केन्द्रों के लिए अनुदान सहायता की राशि को 10,000 रुपये से बढ़ा कर 15,000 रुपये करना।

(2) लौह और मेंगनीज अयस्क खानों की तरह टाइप II के कर्वाटर, दोपहर का भोजन और स्कूली बच्चों के लिए बसों की व्यवस्था

(3) क्षय-पीड़ित रोगियों के लिए 50 रुपये मासिक भत्ता

(4) कृत्रिम अंग लगाने के लिए व्यय पूर्ति और

(5) पुस्तकें आदि देना।

आशा है मंत्री जी मेरे सुझावों पर विचार कर उन्हें कार्यान्वित करेंगे। उन्हें उत्पादन शुल्क बढ़ा कर निधि बढ़ानी चाहिये जिससे श्रमिकों का कल्याण हो।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस सदन में जो चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने इस प्रकार के बहुत सारे फंड्स स्थापित किए हैं लेकिन देखने की बात यह है कि उन फंड्स को ठीक प्रकार से खर्च

किया जा रहा है या नहीं। अभरक के लिए भी आपने ऐसी निधि स्थापित की है। डोलोमाइट के लिए भी आपने यह निधि बनाई है तथा अन्य प्रकार की धातुओं के सम्बन्ध में भी आपने निधियां कायम की हैं लेकिन फिर भी अभी बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं जिनके सम्बन्ध में आपने कोई कदम नहीं उठाया है। पिछले साल भी मैंने इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन किया था कि डोलोमाडट स्टोन और चूना-पत्थर के अलावा और भी इस प्रकार के दूसरे मिनरल्स हैं, जैसे कि सोप स्टोन है, उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। पुराने श्रम मन्त्री ने उस समय यह कहा था कि यह बिल ड्राफ्ट हो चुका है और संसद में पेश किया जा चुका है इसलिए इसमें इस प्रकार के संशोधन लाए नहीं जा सकते हैं परन्तु कोई दूसरा बिल लाकर आपको इन मिनरल्स को भी कवर करना चाहिए जिनमें कि काफी मजदूर काम करते हैं। मेरे जिले में ही कम से कम 8-10 हजार लोग सोप-स्टोन की खदानों में काम करते हैं। वहां पर इतना बढ़िया सोप-स्टोन निकालता है जोकि दुनिया के बहुत कम स्थानों पर निकलता होगा। उदयपुर में भी निकलता है। इस प्रकार से जगह-जगह पर कई हजार मजदूर इसमें काम करते हैं। यह ऐसा मिनरल है जोकि देश को फारेन एक्सचेंज भी दिलाता है और हजारों मजदूरों की रोटी-रोजी भी चलाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी माइन्स को भी इस कानून की तहत लाया जाना चाहिए। अन्यथा उन मजदूरों के साथ बड़ा अन्याय होगा। उनको भी इसका लाभ मिलना ही चाहिए। इसकी व्यवस्था आप जल्दी से जल्दी करें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने जो डोलोमाइट और लाइम-स्टोन के लिए फंड स्थापित किया है, उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। आज तक तो जो भी फंड आपने स्थापित किए हैं उनका ज्यादातर हिस्सा कर्मचारियों पर ही व्यय कर दिया जाता है। मजदूरों की वेलफेयर एक्टिविटीज पर, उनके बच्चों की एजूकेशन पर, उनकी दवा-दारू पर, उनके रेक्रिएशन पर, उनके लिए लाइब्रेरी बनाने पर, उनके लिए मकान बनाने पर, उनके लिए पीने का पानी मोहैया करने पर या जो भी दूसरी सहूलियतें हो सकती हैं उन पर इस फंड का कितना पैसा व्यय किया जाता है, इसकी तरफ भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं माइका माइन्स वैलफेयर कमेटी में सदस्य हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ज्यादा पैसा कर्मचारियों और अधिकारियों पर खर्च हो जाता है, लेकिन वैलफेयर एक्टिविटीज पर बहुत कम पैसा लगता है। जैसे मजदूर के लड़के को पढ़ाने के लिए स्कालरशिप की बात है। आपने 10-20-30 रु० का क्राइटेरिया बना रखा है। मजदूर अपने लड़के को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, टैक्नीकल लाइन में भेजना चाहते हैं, मैडिकल में भेजना चाहते हैं या इंजीनियरिंग में भेजना चाहते हैं—उनके लिए इन सब जगहों के दरवाजे बन्द हैं। क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है जिसकी वजह से ये गरीब लोग इस प्रकार की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था खास तौर से होनी चाहिए।

इनके जो होस्टल्स आपने जगह-जगह पर खोल रखे हैं, वहां पर उनके बच्चों के लिए खाने पीने की ठीक प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। इस ओर भी देखभाल करने की जरूरत है। यह आपका पुराना डर्रा है, चाहे वह प्रान्तीय सरकार हो या केन्द्रीय सरकार हो कि हमने 10-

15-20 रु० खर्च करना है। आप जब देखते हैं कि प्राइसेंस में एसक्लेशन हो रहा है, चार-चार साल में पैसे की कितनी कीमत बढ़ गई है। वहां जो पैसा दिया जाता है, उससे वहां उनको ठीक तरीके से खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कपड़ों की व्यवस्था हो रही है या नहीं हो रही है, किताबों की व्यवस्था हो रही है या नहीं हो रही है। जो फण्ड आप मुकर्रिर करते हैं, उसका उपयोग लगातार चलता रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिसकी वजह से वहां के होस्टल के लड़कों की लाइफ बहुत खराब हो गई है। जिस पर आपकी तवज्जह जानी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मंहगाई बढ़ती है, उसी प्रकार से आपको होस्टल के बच्चों के लिए ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उनके ऊपर आपकी तवज्जह नहीं जाती है। जिसकी वजह से गरीब लोगों के बच्चों को तकलीफ उठानी पड़ती है। वहां उनको घटिया सामान दिया जाता है। ऐसा सामान जो शायद आप भी खाना न पसन्द करें। जो आपकी वेलफेसर सर्विस में लोग हैं, उनको आपको विशेषकर हिदायतें देनी चाहिएं। यदि वहां पर किसी प्रकार की कठिनाई पैदा होती है, तो वह आपको रिपोर्ट करें, उसकी माकूल तरीके से व्यवस्था हो सके। जहां-जहां आपके बड़ी तादाद में मजदूर रहते हैं, चाहे वे बड़ी-बड़ी खदानों में काम करते हों, डोलोमाइट में काम करते हों, हमारे भीलवाड़ा राजस्थान में इसके बहुत बड़े डिपाजिस्ट हैं, वहां उनके बच्चों के लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। डिसपैंसरी की व्यवस्था नहीं है, रिक्रिएशन की व्यवस्था नहीं है और न मैडिकल फैसिलिटीज़ हैं। मैं खास तौर से कोटा में, बून्दी में भीलवाड़ा के अन्दर और चित्तौड़ के अन्दर और मध्य प्रदेश में मन्दसौर जिला हैं, जहां पर कि बहुत बड़ी मात्रा में सीमेन्ट के पत्थर के डिपाजिट्स हैं, वहां उन लोगों के लिए कोई फैसिलिटी की व्यवस्था नहीं की गई है। आपने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि 4 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है और ढाई करोड़ खर्च किया है। बाकी पैसा यूं ही पड़ा हुआ है। इन फेसिलिटीज को इन स्थानों पर प्रोवाइड किया जाना चाहिए। जहां 50000 मजदूर भीलवाड़ा जिले में रहते हैं, इसी प्रकार चित्तौड़ कोटा, बूंदी और मंदसौर इन सब जिलों में बहुत बड़ी तादाद में मजदूर इस तरह के काम करते हैं। इनको सारी सुविधाएं दी जानी चाहिएं। एजूकेशनल, मेडीकल, वाटर रेक्रिएशन, होस्टल आदि सब सुविधाएं दी जानी चाहिएं। तब यह व्यवस्था ठीक हो सकेगी। यह नितांत आवश्यक है।

मैं इस बिल का इसलिए भी स्वागत करता हूं कि इससे बहुत बड़ी राहत मिलती है। लेकिन एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। मैंने पहले भी जब माइका अमेंडमेट बिल आया था, तब भी कहा था कि वेलफेयर इंस्पेक्टर, वेलफेयर आफिसर्स जो हैं, उनको कुछ अधिकार दिए जाएं, ताकि वे यह देख सकें कि मजदूरों को समय पर वेतन मिल रहा है या नहीं। वेतन पूरा दिया जाता है या नहीं। कोई ज्यादा डिडक्शंस तो नहीं किए जा रहे हैं। रीजनल कमिशनर जो आपने बिठाए हुए हैं, वे बड़े-बड़े पूंजीपतियों से मिल जाते हैं और मजदूरों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए इन सारी चीजों को वेलफेयर एक्टीविटीज़ के साथ-साथ देखने के लिए वेलफेयर आफिसर और वेलफेयर इंस्पेक्टर को कुछ अधिकार देने की आवश्यकता है। माइका के अन्दर मैंने देखा है कि जो मिनिमम वेज आपने 10-11 रुपए तय की है, उसके बजाए

6-7 रुपए मजदूरों को दिए जाते हैं और दस्तखत पूरे पैसों पर करा लिए जाते हैं। इन सब चीजों को रोकने के लिए इस तरह का प्रावधान करना आवश्यक है। मुझे आशा है कि उनकी तकलीफों को दूर करने में वेलफेयर आफिसर अच्छा काम कर सकते हैं।

सभापति महोदय, इस बिल में पैसा खर्च करने के लिए कुछ आइटम्स मुकरर किए गए हैं, लेकिन वसूली बहुत सारी चीजों के लिए की गई है। मैं यह नहीं कहता हूं कि पैसा वसूल नहीं करना चाहिए, इससे तो हमको फायदा होगा, लेकिन पैसा वसूल करने में गड़बड़-घोटाले बहुत होते हैं। इन सब चीजों को देखने की बहुत सख्त आवश्यकता है। अगर कानून कायदों में कुछ गड़बड़ है तो उसको भी देखना चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय, नहीं थे, मैं उनसे अब एक बात कहना चाहता हूं कि साफ्ट स्टोन मेरे यहां बहुत तादाद में निकलता है, उसको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। एक ही तरह का मेटीरियल है, एक ही स्थान से निकलता है। कहीं पर डोलोमाइट कहीं पर लाइम स्टोन और कहीं पर साफ्ट स्टोन निकल जाता है। उन सब को इन्क्लूड करना चाहिए। पहले मुझे कहा गया था कि यह गल्ती से रह गया है, इसलिए आइन्दा अलग बिल लाकर कुछ व्यवस्था करेंगे। आजाद साहब जब श्रम मंत्री थे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह आइटम भी आपको ध्यान में रखना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसके सम्बन्ध में इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए, जिससे उन लोगों को वेलफेयर एक्टीविटीज का फायदा मिल सके।

मकानों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। लाइम स्टोन में काम करने वाले मजदूरों की बहुत दुर्दशा है। शहरों की गंदी बस्तियों की तरह वहां पर हजारों मजदूर रहते हैं। ठेकेदारों की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए चाहे मालिक इस प्रकार की व्यवस्था करें या किसी फण्ड से व्यवस्था की जाए। कम से कम वे शेड बनाकर तो रह सकें, इस प्रकार की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। नहीं तो बरसात और सर्दी में कितनी तकलीफ होती है, इसको आप समझ सकते हैं। अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। माइका माइन्स में आपने 5-6 सौ रुपया प्रोवाइड किया है। इतने में क्या रहने की व्यवस्था हो सकती है? इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए ताकि हजारों की तादाद में जो ये मजदूर हैं, इनको रहने की सुविधा मिल सके।

इसी प्रकार वेलफेयर एक्टीविटीज में रेक्रिएशन, खेलकूद, एडल्ट एजूकेशन और अन्य प्रकार की जो कार्यवाहियां चलती हैं वे सिर्फ अफसरों के बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिएं, मजदूरों के बच्चों के लिए होनी चाहिएं। कई जगह मैंने देखा है कि खेलकूद की जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उनसे सिर्फ अधिकारियों के बच्चे खेलते हैं। अफसरों की औरतों के काम में आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।

अभी एक भाई ने कोआप्शन की बात कही। एडवाइजरी कमेटी में प्रत्येक यूनियन, चाहे इंटक हो, एटक हो या कोई भी यूनियन हो, उनके प्रतिनिधि मेंबरशिप के आधार पर उसमें रहते हैं। कहा गया कि चुनाव के जरिए से आने चाहिएं, चुनाव के जरिए उनकी बात करने के लिए

तो हम यहां पर बैठे हैं। इसलिए जो व्यवस्था की गई है मेंबरशिप के आधार पर प्रतिनिधित्व देने की, यह बिल्कुल ठीक है ।

मुझे आशा है कि मजदूरों की सुविधाओं के लिए मैंने जो निवेदन किया है, उनको उपलब्ध करवाने की कृपा करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री त्रिलोक चन्द्र (खुर्जा) : सभापति महोदय, यह जो बिल लाया गया है, देखने में बहुत अच्छा है और जहां तक गवर्मेन्ट की भावना का सवाल है वह भी ठीक है। मैं मन्त्री जी से एक ही बात पूछना चाहता हूं कुछ कहने से पहले, दस साल का समय बीत गया । 1972 में यह एक्ट पास हुआ और उसमें चूना-पत्थर और डोलोमाइट की खान में काम करने वाले मजदूर थे जो इसके अन्तर्गत नहीं आते थे । लेकिन 1972 से दस साल तक क्यों सोचते रहे और जो अब लाने की कोशिश की गई। मैं इसका एक ही कारण समझता हूं कि गवर्मेन्ट ने सैस तो इकट्ठा कर लिया एक्साइज ड्यूटी लगाकर और जब वे लोग कोर्ट में पहुंच गए तो रेगुलराइज़ करने के लिए आप यह संशोधन लाए । इसमें मजदूरों के ज्यादा वैलफेयर की बात होगी, उससे में इत्तफाक नहीं करता या मजदूरों के हित की बात होती तो गवर्मेन्ट इसे पहले ही ले आती। जब तक लाइम-स्टोन और डोलोमाइट की खान के मालिक कोर्ट में नहीं गए तब तक बिल में संशोधन नहीं हुआ और आपने इसकी डैफिनिशन को बढ़ाकर यह दिखाया है कि इसमें ज्यादा मजदूरों का हित होगा, ऐसा इससे महसूस होता है ।

मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, जो सैस इकट्ठा हुआ था 20 पैसा प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से, पर इअर इकट्ठा होता है, और संशोधन न होता तो हमको सब लौटाना पड़ेगा ।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपने सैस लगा दिया तो उस सैस का कैसे यूटिलाइजेशन किया मजदूरों में जैसा व्यास जी कहते हैं। मुझे तो मजदूरों की खान का पता नहीं है और न मजदूरों की यूनियन से मैं सम्बद्ध रहा । देहरादून में मजदूरों की हालत देखने लायक है। इतनी बुरी हालत है, पता नहीं ठेकेदार लोग कैसे काम कराते हैं। वहां ऐसी लेबर थोड़ी है, जो आपके रजिस्टर पर चढ़ी हो। जब चाहे रख लिया और जब चाहे निकाल दिया। जो आपकी फीगर्स हैं, वह उन लोगों की होगी जो रेगुलर तरीके से काम करते हैं। बहुत सी खाने ऐसी हैं जहां रेगुलर तरीके से नहीं होता । यह व्यवस्था आपकी इन खानों के मजदूरों की है। जो लोहे की और कोयले की खाने हैं, उनमें मजदूरों की कन्डीशन में और खनिजों के मजदूरों की कन्डीशन में बहुत बड़ा फर्क है। उन मजदूरों को पूरी सुविधा नहीं मिलती है। जो कोयले और लोहे की खानों में काम करते हैं उनको कुछ सुविधा नहीं मिलती है ।

मैंने मिर्जापुर में देखा है, वहां फैक्टरी में मजदूरों को जो पैसा दिया जाता है उनकी बदतर कन्डीशन है। मजदूरों के लिए खाने, पहनने और कोई सुविधा नाम की चीज नहीं, दवादारू छोड़िए, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है ।

मंत्री जी इस बात की जांच करा लें कि जितना पैसा सैस से इकट्ठा हुआ, उसका सदुपयोग हुआ या नहीं या उसका दुरूपयोग हुआ। सैस क्यों लगाया जब मजदूरों को उसका लाभ

नहीं है। मैं समझता हूं, उसके जरूर खर्च कर लिया होगा, उसका मिस-यूटिलाइजेशन हो गया होगा। खुले आम नहीं होता है, डाइरेक्ट नहीं होता है लेकिन थोड़ा बहुत होता जरूर है। मजदूरों के नाम पर पूरा का पूरा तो नहीं दिया जाता।

जहां तक इस बिल की भावना का सम्बन्ध है जैसे मैंने पहले कहा वह वह बहुत अच्छी है। लेकिन आप एडवाइजरी बोर्ड बना रहे हैं। पहले भी था। आपने कहा है कि इस में मैम्बर को ओप्ट होगा। वह कहां से होगा, कौन होगा? आप कहते हैं एक्सपर्ट भी हो सकता है, मजदूरों में से भी हो सकता है, राज नेताओं में से भी हो सकता है। लेकिन इस में कहीं कोई प्राविजन इस बात का नहीं है कि किस को किया जाएगा। कोआप्ट करना है तो मजदूरों को करिये। जब भी निगम बनते हैं और उनके लिए एडवाइजरी बोर्ड आप बनाते हैं तो देखा यह गया है कि आई० ए० एस० या पी० सी० एस० को उठा करके वहां आप बिठा देते हैं, जो कहीं फिट नहीं हो रहा होता है उसको वहां फिट कर देते हैं, रिजैक्टिड तरीके के जो अफसर होते हैं उनको यहां चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, कि जाओ और मौज करो। यह एक परिपाटी सी हो गई है कि जब भी निगम बनते हैं, संस्थायें बनती हैं तो उनमें ज्यादा से ज्यादा अफसरों का कोओप्शन हो जाता है, उनका नामिनेशन हो जाता है। यहां मैं चाहता हूं कि साफ किया जाए कि किस का रिप्रिजेंटेटिव होगा, फिर चाहे किसी का भी आप करें, अफसरों को करना चाहते हैं तो उनको करें, कोई दिकक्त नहीं है, आई० ए० एस० का करना चाहते हैं तो उसका करें। इसको साफ कर दिया जाना चहिये। एडवाइजरी बोर्डज को थोड़ा सा बचा कर भी रखना चाहिये। उनको थोड़ी सी ताकत भी देनी चाहिये। ताकत नहीं देंगे तो वे हिम्मत से काम नहीं कर सकेंगे। हमने पार्लिमैंटरी कमैटीज में देखा है, कंसलटेटिव कमैटीज में देखता है और उनकी कुछ अहमियत नहीं है। मैं पार्लिमैंट में पहली बार आया हूं। असैम्बली में मैं रहा हूं। वह छोटी होती है। तब भी मैंने इन एडवाइजरी कमेटीज को देखा है, इनकी अहमियत को देखा है। मुझे तो कुछ अहमियत इनकी दिखाई नहीं दी। पार्लिमैंट की भी एडवाइजरी कमैटीज को देखा है, कंसलटेटिव कमैटीज को देखा है, वे भी कोई ज्यादा कारगर नहीं है। वहां बात करने का हक हासिल जरूर हो जाता है लेकिन उसका कुछ नोटिस नहीं लिया जाता है। एडवाइजरी बोर्ड बनाने का लाभ क्या है? मैंने तो देखा है कि जो इम्पार्टेंट कमैटीज है उनका भी कोई लाभ नहीं है। वहां जरा से रहस्य खुल जाते हैं, जरा सी परेशानी हो जाती है और कुछ नहीं। एडवाइज़री बोर्ड बनाना है तो ताकतवर बनाइये ताकि वह कुछ काम कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिये कि जो आएं वे टी० ए० और डी० ए० सीधा करें और चले जाएं। जैसे कंसलटेटिव कमैटी का होता है कि आए और चले गए, स्टाफ परेशान हुआ कि मीटिंग हो रही है, बोले और चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिये। एक्शन और रिएक्शन का कुछ यहां पता नहीं लग सकता है। मुल्क का पैसा खर्च होगा इस पर तो दिखाई भी देना चाहिये कि मुल्क का इससे भला होगा। वहां जो बात हो उसका रिएक्शन और एक्शन जो हो उसका भी पता लगना चाहिये।

कानून से कुछ नहीं होगा। मजदूरों की हालत को मंत्री जी भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। हम दोनों मजदूर परिवार से आते हैं। बड़े परिवार के हम नहीं हैं। उनको भी मालूम

है कि मजदूरों की हालत क्या है। लाइम स्टोन, डोलोमाइट की खाने बहुत छोटी खाने होती हैं। आपने सैस की बात की है। अब आप देखें कि डोलोमाइट किस काम में आएगा। शूगर बनाने में, पेपर बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में और कैमिकल बनाने में आएगा। आपने जो सैस लगाया है क्या आप यह समझते हैं कि डोलोमाइट खानों के मालिकों पर इसका असर पड़ेगा ? नहीं पड़ेगा। यह प्रभावित करेगा उन चीजों के दामों को जिन पर यह सैस लगेगा यानी कैमिकल्ज, दवाओं, फर्टिलाइजर, पेपर, शूगर आदि के दामों को। इन चीजों के उत्पादन में अब तक भी डोलोमाइट यूज होता था। जितना सैस आप लगा रहे हैं इससे दुगुना इन वस्तुओं का उत्पादन करने वाले लोग मुनाफा कमा लेंगे। यह जो एक्साइज ड्यूटी लगेगी इस से इन चीजों की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। उनकी कीमतें वैसे ही बढ़ रही हैं। एक्साइज लगाने से और भी ज्यादा बढ़ेंगी। इस वास्ते इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिये।

पुन: मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूरों की हालत को वह देखें। उनका जो हक है वह उनको मिलना चाहिये। कानून बदलने से ज्यादा लाभ नहीं होगा।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, चूना पत्थर डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि विधेयक, 1982 का मैं समर्थन करता हूं क्योंकि यह श्रमिकों के हितों के लिये किया जा रहा है। फिर भी जितना होना चाहिये उस स्थिति में इसमें संशोधन नहीं किया जा रहा है। सारे देश में चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों में काम करने वाले 58,000 श्रमिक हैं जो डायरेक्ट और कांट्रैक्ट लेबर, मिला जुला कर रहे हैं। और बिहार, मध्य प्रदेश, यू० पी० यह अधिक मात्रा में हैं। डोलोमाइट चूना पत्थर लोहा, इस्पात और सीमेंट बनाने में काम आता है। इसका फर्टिलाइजर, कागज और चीनी में भी प्रयोग होता है। मंत्री जी ने इसके स्कोप को भी बढ़ा दिया है परिभाषा में जो पहले अस्पष्ट थी उसको अब स्पष्ट कर दिया है। कोई भी चीज जो इसके द्वारा निर्माण होगी उस पर भी सैस लगाया जा सकता है। इन सब कारणों से सैस की मात्रा बढ़ाने का प्रयास किया है।

जितनी श्रमिकों की संख्या है उनकी हालत बहुत जगह दयनीय है। जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा है इन खानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत दयनीय है। आप खान पर जा कर देखिये बेचारे नंगे बदन पत्थर तोड़ते हुए मिलेंगे। उनके शरीर पर चोटें आती हैं, लेकिन उनके वेलफेयर का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। मैं पलामू जिले में भवनाथपुर प्रोजेक्ट देखने गया था, क्योंकि मेरा वी० एम० एस० से सम्बन्ध है, वहां मैंने देखा उनके कल्याण की कोई व्यवस्था नहीं है। न जाने सैस कहां खर्च होता है ? 15, 16 सालों से यह चल रहा है, न उनके लिये अस्पताल है, न बच्चों के लिये कोई स्कूल, न आवास की व्यवस्था और न परिवार के अन्य सदस्यों को कोई और ट्रेनिंग दे कर जिससे मजदूर के जीवन से बच कर आदमी बन सकें ऐसी कोई टेक्नीकल शिक्षा की व्यवस्था है। सुदूर पर्वतों के बीच में उनकी झुग्गी झोंपड़ी भी नहीं है, बेचारे घास फूस की कुटिया बना कर रहते हैं सैंकड़ों, हजारों की तादाद में, और उसमें से बहुत कम लोगों का ऐनरालमेंट किया है, शेष को कांट्रैक्ट पर छोड़ दिया गया है जिससे कांट्रैक्टर लोग उनका शोषण कर रहे हैं। पलामू के अन्य कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को माइन्स अलाउन्स मिलता

है, स्टील और सीमेंट प्लान्ट्स की कैप्टिव माइन्स हैं, जैसे गिरिवुरू में माइन्स भत्ता मिलता है, भिलाई के स्टील प्लान्ट की बुन्दनी, हीरा, राझेरा, दुर्गापुर स्टील प्लान्ट की गुलाबी, और बोकारो स्टील प्लान्ट की डोलोमाइट और चूना पत्थर की खानों पर काम करने वालों को भत्ता मिलता है, लेकिन भवनाथपुर में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां के लिये न अस्पताल की व्यवस्था है, न मजदूरों के रहने और शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था है। सारे लोग मलेरिया से ग्रस्त हैं आज 15 बरस होने के बाद भी वहां पर डाक्टर नहीं है। मैंने वहां के व्यवस्थापक को बहुत जोर दिया है तो उन्होंने डाक्टर के लिये लिखा है। उन लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांट्रेक्ट लेबर के रूप में उनसे सारा काम लिया जा रहा है। उनका नाम लिस्ट में भी नहीं है। मंत्री जी जवाब में यह बताने की कृपा करें कि उन मजदूरों को कांट्रेक्ट लेबर से कब मुक्ति दिला रहे हैं और उनके लिये भी माइन्स भत्ता दिलवाने की व्यवस्था करें।

सलाहकार समिति जो आप बना रहे हैं, उसमें श्रमिकों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। बिल में स्पष्ट नहीं है कि सलाहकार समिति के कौन मेम्बर होंगे। यह जरूरी है कि मजदूरों के नेताओं में से ही उसमें मजदूर प्रतिनिधि हो। खाली बड़े लोग या बड़े अधिकारी ही उस समिति में होंगे तो वहां मजदूर की पहुंच नहीं हो पाती है। इसलिये श्रमिकों का प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से इस सलाहकार समिति में होना चाहिये। अगर नहीं होता है तो यह सैस का दुरुपयोग होगा।

मैं एक महीना पहले भवनाथपुर देखकर आया हूं, वहां कोई व्यवस्था नहीं है। वहां ऐसी दुर्दशा है कि मजदूर को 10, 10, मील से पैदल या साइकिल पर चलकर आना पड़ता है। उसको कोई साइकिल एलाउन्स भी नहीं मिलता है। बस की भी व्यवस्था नहीं है जिससे वह आ सके। देहात में ऐसे लोग हैं जो चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान में काम करते हैं, उनके लिये उचित व्यवस्था होनी चाहिये।

भवनाथपुर प्रोजेक्ट में जितने स्टील प्लान्ट्स और उनकी कैप्टिव माइन्स हैं, उनमें मजदूरों के लिये जो व्यवस्था है, वह डोलोमाइट खान में मजदूरों के लिये व्यवस्था करें। उनके साथ सौतेला व्यवहार समाप्त करना अत्यन्त आवश्यक है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जब हम सलाहकार समिति बना रहे हैं, जिसमें मजदूरों के प्रतिनिधि और अधिकारी वर्ग का होना आवश्यक है ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके, जब इतना इसका स्कोप बढ़ा रहे हैं, तो इसमें काफी रकम आ सकती है, लेकिन इस कोष का सदुपयोग कैसे करेंगे, इसकी गारन्टी कैसे देंगे, इसका कहीं प्रावधान नहीं है। इसका भी जिक्र होना चाहिये।

मजदूरों में थोड़ा चूड़ा या बिस्कुट बांटकर बाकी का सब अधिकारी वर्ग हजम कर जाते हैं। इसमें मजदूर प्रतिनिधियों को भी साथ रखने की व्यवस्था होनी चाहिये, लेकिन इसकी कहीं गुंजाइश नहीं है।

मैं चाहूंगा कि मंत्री जी मंत्री जी इस दिशा में विचार करें और मजदूरों को राहत देने के

लिये जो राशि हो, उसका सदुपयोग करें और जितना पहले एक रुपये मांग की जा रही थी, सैस उससे ज्यादा भी लगा सकते हैं 58 हजार मजदूरों के परिवार मिलाकर 2 लाख लोग हो जाते हैं। ताकि 2 लाख लोग अपने जीवन को अच्छी तरह बिता सकें और उन मजदूरों की जो दयनीय अवस्था है, उसमें सुधार आ सके। इस दिशा में आपको कारगर कदम उठाने चाहिएं। साथ ही साथ, पलामू के भवनाथपुर चूना-पत्थर और डोलोमाइट माइन्स में काम करने वाले मजदूरों को भी वैसा ही वेतन और दूसरी सुविधाएं जैसा वेतन और सुविधाएं दूसरे स्थानों पर काम करने वाले मजदूरों को मिलती हैं। क्यों कि वह इलाका डैवलप्ड नहीं है, काफी समय से नैग्लैक्टिड रहा है और बहुत पिछड़ा हुआ है। यदि आप उनके लिए ऐसी सुविधाएं नहीं देते, वेतन नहीं देते तो यह उन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार होगा। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस पर विचार कर उचित पग उठायेंगे।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस में जो चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूं और स्वागत भी करता हूं। श्रमिकों के कल्याण के लिए हम जितने भी कार्यक्रम हाथ में लेते हैं, प्रजातन्त्र को हम उतना ही मजबूत करते हैं, जितना हमारे सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होता है, हमारे देश में उतनी ही सामाजिक क्रांति आती है। इस कानून के अन्तर्गत इस विधेयक के द्वारा हम जितने संशोधन करने जा रहे हैं, वे सभी परिवर्तन स्वागत योग्य हैं।

चूना पत्थर के बारे में पहले कोई निश्चित डैफीनीशन नहीं थी। इस विधेयक के पारित होने के बाद अब स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती है। जिन फैक्टरियों में पहले चूने के पत्थर का उपयोग सीमेंट, लोहा और इस्पात आदि के लिए किया जाता था, या डोलोमाइट का प्रयोग होता था, अब उसका क्षेत्र व्यापक बना दिया गया है। उसके क्षेत्र को बढ़ा कर अब उसमें लोहा, मिश्र धातु, रसायन, चीनी, कागज, उर्वरक, लौह अयस्क तथा पैलैटीसेशन आदि कर दिया गया है। इन सब चीजों के बढ़ने से हमारी आय में निश्चित रूप से बढ़ोत्तरी होगी। जब हमारी आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हम श्रमिकों के कल्याण के बारे में योजनाएं बनाने की स्थिति में हो जाएंगे।

अभी यहां पर एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि उन्होंने ओरीजीनल एक्ट को पढ़ा नहीं है। इसीलिए उनको पूरी जानकारी नहीं। ओरीजीनल एक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि—

केन्द्रीय सलाहकार समिति में इतने सदस्य होंगे जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएं और सदस्यों का चयन ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए :

परन्तु केन्द्रीय सलाहकार समिति में सरकार का, चूनापत्थर और डोलोमाइट खान के स्वामियों का और चूनापत्थर और डोलोमाइट की खानों में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या बराबर होगी।

केन्द्रीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

इससे स्पष्ट है कि इस में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाएगा और उन्हें भी गवर्नमैंट के प्रतिनिधियों के साथ तथा एम्पलायर्स के प्रतिनिधियों के साथ भाग लेने का मौका मिलेगा। उनको भी कोप्शन का अधिकार दिया गया है। इससे उनकी संख्या भी आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाई जा सकती है। कोप्शन होने के कारण इस एडवाइजरी कमेटी में योग्य व्यक्तियों को भी लिया जा सकेगा, जिनको इस लाइन का अनुभव होगा, जिनको अच्छी जानकारी होगी। ऐसा प्रावधान भी इस विधेयक में रखा गया है। ऐसे प्रावधान के कारण इसकी महत्ता बढ़ जाती है।

अब प्रश्न उठता है कि इस विधेयक के पास होने के बाद जो लाइम स्टोन और डोलोमाइट माइन्स लेबर वैल्फेयर फण्ड बनाया जाएगा, उसका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न हो। उसको सही तरीके से उपयोग में लाया जाए। उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। समय समय पर उसका निरीक्षण हो और किसी समय यदि कोई त्रुटि नज़र आती है तो उसको दूर करने की कार्यवाही की जाए। वैसे मैंने सारे सैक्शन्स को पढ़ा है और इसमें कोई प्रतिकूल प्रावधान नहीं हैं। कोई भी कोष, निधि या फण्ड जब बनता है तो उसका उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि उसका उपयोग श्रमिकों के कल्याण कार्यों के लिये किया जाए। श्रमिकों के स्वास्थ्य, चिकित्सा और अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये उपयोग किया जाये। जितने हमारे कारखानों या माइन्स में काम करने वाले श्रमिक हैं उनको इससे फायदा पहुंचाया जा सके। आज हम देखते हैं कि हमारे श्रमिकों को उतना वेतन नहीं मिल पाता जिससे वे आसानी से अपना जीवन निर्वाह कर सकें। उनको कई आवश्यक सुविधायें भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पातीं। इसीलिये यह विधेयक यहां पर लाया गया है ताकि उनको आवश्यक सुविधायें देने के साथ साथ उनके उत्साह को बढ़ाया जाये, उनके कल्याण के लिये योजनायें बनाई जायें, उनको क्रियान्वित करके वे उत्साह से काम करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, जो विधेयक यहां उपस्थित किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री धर्मवीर : उपाध्यक्ष महोदय, लाइमस्टोन एण्ड डोलोमाइट माइन्स लेबर वैल्फेयर फण्ड एक्ट संसोधन विधेयक पर बहुत से माननीय सदस्यों ने जो अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। मैं उनका स्वागत करता हूं। जैसा कि इस संशोधन विधेयक से स्पष्ट है, इसमें जितने भी संशोधन हैं वे सब मजदूरों के हित के लिए लाये गए हैं। इस संशोधन विधेयक के द्वारा एक्ट में कोई बहुत बड़ा प्रावधान नहीं किया जा रहा है। इस के द्वारा सिर्फ श्रमिकों के हित में जो कुछ किया जा सकता है, उसी को करने का प्रयास किया गया है। शासन का उद्देश्य हमेशा से यहीं रहा है कि श्रमिकों का हित किस प्रकार अधिक से अधिक किया जा सकता है। हम हमेशा इस पर विचार करते रहते हैं और इस सदन के समक्ष समर्थन प्राप्त करने के लिए समय समय पर आते रहते हैं। यह सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम 10 वर्ष की लम्बी अवधि के पश्चात् श्रमिकों के हित में यह विधेयक यहां लाये हैं, क्योंकि 1972 में यह एक्ट बना था। इसके लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि एक तो इसकी डैफीनीशन का स्कोप ऐसा था जिसको खान मालिकों ने चुनौती दी थी और उसके कारण हमारा काफी बड़ा बकाया

(एरियर) रुक गया था। इस विधेयक के जरिए हमने उस सीमा को बढ़ाया है। अब तक यह एक्ट चूना पत्थर और डोलोमाइट खान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए ही था और दूसरी सी-सैंड, कालकैरस सैंड, लाइम शैल्स आदि की जितनी भी किस्में थीं, उन पर किसी प्रकार का सैस वसूल नहीं होता था। इसलिए उन पर सैस लागू करने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। ताकि इसके जरिए अधिक से अधिक सैस हमें प्राप्त हो सके और हम मजदूरों के हित में काम कर सकें। इसी उद्देश्य के लिए यह संशोधन लाया गया है।

अभी हमारे माननीय अजित बाग जी ने यह शंका प्रकट की कि इस माइन्स लेबर वैल्फेयर फण्ड के द्वारा मजदूरों को वे सुविधायें प्राप्त नहीं हो पाएंगी, जो कि होनी चाहिएं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस फण्ड के जरिए, उन 3 हजार मजदूरों को भी फायदा होगा, जो कि अभी तक इन सुविधाओं से वंचित थे। इसका स्कोप बढ़ जाने से बाकी बचे मजदूरों का भी हित होने वाला है। अब उनको भी वे सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी, जो कि लाइमस्टोन और डोलोमाइट खान में काम करने वाले मजदूरों को प्राप्त थीं। जैसा मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया लाइमस्टोन खानों में हमारे यहां लगभग 50 हजार मजदूर काम करते हैं, एक्चुअल फीगर्स 49, 752 है और डोलोमाइट खानों में काम करने वालों की संख्या 7527 है। इस विधेयक के पास हो जाने से इनके अतिरिक्त 4978 श्रमिकों को और फायदा होगा जो कि लाइम शैल तथा अन्य कलकेरिपस सैंड इत्यादि भी निकालने का काम करते हैं।

जहां तक प्राडक्शन का सम्बम्ध है, 1980 में लाइमस्टोन का प्राडक्शन 27,956,000 टन, डोलोमाइट का 1,308,000 टन और कैलकेरियस सैंड, लाइम-कंकर, कंकर, लाइमशैल का 1,948,000 टन था।

एक्ट के अन्तर्गत 1 रुपया प्रति मीट्रिक टन के सैस का प्रावधान है। लेकिन सैस का वर्तमान रेट 20 पैसा प्रति मीट्रिक टन है। इस सैस को लगाने से जो फंड इक्ट्ठा होता है, उसके द्वारा मजदूरों के वेलफेयर के काम किए जाते हैं, उनके दवा-दारू की व्यवस्था की जाती है और डिसपेंसरियां खोली जाती हैं। अभी तक पांच रीजिन्स हैं : इलाहाबाद, बंगलौर, भीलवाड़ा, भुवनेश्वर और जबलपुर। जहां जहां ये खानें हैं, वहां हमने मैडिकल फैसिलिटीज दे रखी हैं।

एक स्टैटिक-कम-मोवाइल डिसपेंसरी देहरादून में है। एक मोवाइल मैडिकल यूनिट मिर्जापुर में है। एक मोवाइल मैडिकल यूनिट रोहतास, बिहार में काम करता है। एक मोवाइल मेडिकल यूनिट भवनाथपुर, डिस्ट्रिक्ट पालामू में है। श्री वर्मा ने कहा है कि आदिवासी क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। वहां पर भी श्रमिकों के दवा-दारू का इन्तजाम है।

श्री शिव प्रसाद साहू (रांची) : पालामू में नाम के लिए डिसपेंसरी है। वह नहीं के बराबर है।

श्री धर्मवीर : मेरा तात्पर्य यह है कि वहां व्यवस्था कम हो सकती है, लेकिन वह क्षेत्र उपेक्षित नहीं है।

जहां तक भीलवाड़ा का सम्बन्ध है, एक ऐलोपैथिक डिसपेंसरी डूंगरपुर क्वैरी, डिस्ट्रिक्ट

जूनागढ़ में है। एक स्टेटिक-कम-मोबाइल मैडिकल डिसपैंसरी पोरबंदर के नजदीक रनावाव, डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ में है। एक मोवाइल डिसपेंसरी गडू, डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ में है। एक मोवाइल मेडिकल डिसपेंसरी सतलखेरी, डिस्ट्रिक्ट कोटा, राजस्थान में है। इसी तरह एक मोवाइल मैडिकल डिसपैंसरी चरखी-दादरी में और एक मोबाइल डिसपेंसरी चंदरैया में काम कर रही है।

डिस्ट्रिक्ट बड़ोदा, डिस्ट्रिक्ट जयपुर, डिस्ट्रिक्ट नागपुर, डिस्ट्रिक्ट डिसपेंसरी पाली और लखेरी में एक-एक आयुर्वेदिक डिसपेंसरी है।

भुवनेश्वर में भी मैटर्निटी-कम चाइल्ड वेलफेयर सेंटर और मोवाइल मैडिकल डिसपेंसरी है। जबलपुर में भी बहुत सी डिसपेंसरीज़ हैं।

माननीय सदस्य ने कहा है कि टी वी पेशेंट्स के लिए सुविधा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि धूल से श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है और उनको चर्म रोग हो जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि टी वी पेशेंट्स के इलाज की व्यवस्था भी की गई है। हम सतत प्रयत्नशील रहते हैं कि श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े।

सीरियस और फैटल एक्सिडेंट्स होने पर श्रमिकों और उनके आश्रितों को इस फंड के द्वारा सहायता दी जाती है।

जहां तक एजूकेशनल फैसिलिटीज का सम्बन्ध है, स्कालरशिव का रेट भले ही कम समझा जा सकता है, लेकिन हम 10 रुपए से लेकर 75 रु० माहवार तक छात्रवृत्ति के रूप में देते हैं, ताकि गरीव श्रमिकों के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें।

श्रमिकों के मनोरंजन के लिए मोवाइल सिनेमां यूनिट्स की व्यवस्था है। जबलपुर में 1, भुवनेश्वर में 1, इलाहाबाद में 4 और बंगलौर में 3 मोबाइल सिनेमा यूनिट काम कर रहे हैं। पुरी, उड़ीसा में एक हालिडे होम बनाया गया है, जहां श्रमिक लोग ठहर सकते हैं।

पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 13 योजनाएं काम कर रही हैं, जिनमें से 3 जबलपुर रिजन में, 1 इलाहाबाद में, 3 बंगलौर में और 6 भुवनेश्वर में हैं। आठ और कुंओं के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। और इसके लिये योजना तैयार हो गई है उसको हम चलायेंगे। रहने की व्यवस्था के बारे में व्यास जी ने कहा था। चूंकि वे माइका माइन्स वेलफेयर कमेटी के मा० सदस्य हैं, वहां उन्होंने इस बात को उठाया था। जैसा कि आप जानते हैं हम उनको इस सम्बन्ध में 75 प्रतिशत सहायता देते हैं। जो भी सहायता हम देते हैं, इससे उनके लिए मकान बनाये जाते हैं। 1905 मकान तो तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा बिल्ड इयोर ओन हाउस स्कीम के अन्तंगत 1500 रुपए की सहायता दी जाती है-600 रुपया सब्सीडी के तौर पर और 900 रुपया बिना ब्याज के दिया जाता है ताकि वे अपनी जमीन पर मकान बनाकर रहने की सुविधा प्राप्त कर सकें।

मै माननीय-सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं और निवेदन करता हूं कि जो संशोधन यहां

पर हमने पेश किया है इसे वे स्वीकृत कर हमारा उत्साह-वर्धन करें । मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि इस वेलफेयर फन्ड का सही कलेक्शन किया जाता है और उसका हिसाब रखा जाता है ।

जहां तक एडवाइजरी कमेटी का सम्बन्ध है, उसमें बराबर-बराबर प्रतिनिधित्व रहता है, मजदूरों की तरफ से, खान की तरफ से और साथ ही उसमें कुछ ऐसे योग्य लोगों की आवश्यकता पड़ जाती है जिनकी राय से श्रमिकों के कल्याण की योजनायें भली भांति चलाई जा सकें । इसीलिए इसमें कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोगों को कोआप्ट करने का प्राविजन रखा गया है । (व्यवधान)

साफ्ट स्टोन के बारे में व्यास जी ने जो प्रश्न उठाया था वह विचाराधीन है (अण्डर रेव्यू) है । उनके सुझाव का हम स्वागत करते हैं । शासन ने एक स्तर पर तो उसको स्वीकार कर लिया है और उस सम्बन्ध में वैधानिक प्रक्रियायें चल रही हैं । मुझे विश्वास है कि उसको भी किसी न किसी कल्याण निधि के अन्तर्गत लाया जा सकेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस बिल का समर्थन किया और मुझे विश्वास है कि आगे भी इन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में वे हमारा उत्साहवर्धन करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1972 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेंगे ।

खण्ड 2 से 4

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3 और 4 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2, 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड 5

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुधीर गिरि, आप अपने संशोधन के सम्बन्ध में बोल सकते हैं ।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है कि जानकार व्यक्तियों को बोर्ड में सहयोजित किया जायेगा ।

मैं इस त्रुटि को दूर करने के लिये कि ऐसे किसी व्यक्ति को सहयोजित नहीं किया जाना चाहिये । जो कल्याण निधि से सम्बन्धित कार्यों से भलीभांति अवगत न हो, यह संशोधन लाया हूं । कई अवसरों पर ऐसा देखा गया है कि जानकार व्यक्तियों के नाम पर कुछ आश्रय प्राप्त

लोगों को कल्याण निधि बोर्डों में सहयोजित किया गया था। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन, वास्तव में, इन कर्मकारों के कल्याणकारी क्रियाकलापों के विकास में सुविज्ञ लोगों को भी बोर्ड में सहयोजित किया जाना चाहिये।

इस प्रयोजनार्थ मैं यह संशोधन लाया हूं, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह मेरा संशोधन स्वीकार करें। मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 2,

पंक्ति 17 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"परन्तु इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति कल्याण निधि से सम्बधित कार्यकलापों से भली भांति अवगत होगा। होंगे।"

श्री धर्मवीर : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं एडवाइज़री कमेटी में जो सदस्य कोआप्ट किये जाते हैं वह निश्चित से नियमों के अनुसार किए जाते हैं ताकि उनकी एक्सपर्ट राय और योग मजदूरों के लाभ के लिए प्राप्त हो सके। माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत किया है। उससे यहां पर संशोधन द्वारा कोई विशेष समाधान नहीं निकलता। दूसर कमेटीज़ को भी इस प्रकार का अधिकार मिला हुआ है और उसमें एक्सपर्ट ही कोआप्ट किये जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सुधीर गिरि द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 1 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 6 और 7 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 8

श्री सुधीर कुमार गिरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3

पंक्ति 19 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

"परन्तु तुरन्त ही ऐसी वसूलियां की जायेंगी तथा चूनापत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि में जमा की जायेंगी।"

खानो में काम करने वाले श्रमिक अपने जीवन को जोखिम में डालकर काम करते हैं और उन्हें उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त खान मालिक मजदूरों का शोषण कर रहे

हैं। और स्वयं असीम धन एकत्र करते जा रहे हैं। सरकार श्रमिकों के कल्याणार्थ यह विधेयक लाई है। खान-मालिकों की ओर जो राशियां बकाया है, उन्हें तुरन्त वसूल किया जाना चाहिये ताकि उस धन को श्रमिकों की कल्याण निधि में जमा कराया जा सके। मैं यह संशोधन इस आशय से लाया हूं कि इससे श्रमिकों को लाभ होगा। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह उसे स्वीकार करें।

श्री धर्मवीर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो शंका व्यक्त की है, इस फण्ड का पैसा तुरन्त वसूल नहीं होता है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे ही यह नियम पास हो जाएगा, वैसे ही पैसा वसूल होने लगेगा। एक २ पैसा श्रमिकों के कल्याण के लिये है। जहां तक श्रमिकों के शोषण और उनको उचित वेतन न मिलने का प्रश्न है। इस चीज़ को दूसरे तरीके से देखा जायेगा, लेकिन इस संशोधन से इसका अभिप्राय नहीं है। इसलिये मैं उन से निवेदन करूंगा कि वे इस संशोधन को वापिस ले लें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 8 पर संशोधन संख्या 2, जो श्री सुधीर कुमार निधि ने पेश किया है, सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री

(श्री धर्मवीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर विशेष नहीं बोलना था। अभी-अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब में दो बातें कहीं हैं। एक तो उन्होंने यह कहा है कि कुछ मिलाकर 50 हजार से ज्यादा मजदूर है, जिसके लिए यह कानून बना रहे हैं। आपने यह भी कहा है कि अभी तक जो मजदूरों के लिए मकान बनाए गए हैं, वे कुल मिलाकर 1905 हैं। आपने यह भी कहा है कि मजदूरों को मकान के लिए जो हम सहायता दे रहे हैं, वह 1500 रु० है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आज कल के युग में क्या 1500 रु० में मकान बन सकना है। अच्छा है, आप मकान का नाम न लें। वह मकान भी किस के द्वारा बनाया जाता है। 1500 रु० देते हैं कन्ट्रैक्टर को, उसमें से सात सौ रुपया उसकी जेब में चला जाएगा और बाकी का वह बांस ला कर रखेगा दूसरी बात आपने पलामू जिले के संबंध में कही है कि वहां हैल्थ की सुविधा है, हास्पिटल है। हकीकत यह नहीं है। कागजों में आपके होगा, लेकिन ऐसी बात है नहीं।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक मजदूरों का मामला है, इसमें आपको स्वयं दिलचस्पी लेनी चाहिए । आप अपने से दिलचस्पी लें । माइंस के मजदूरों के सम्बन्ध में हम को जानकारी है कि उनका शोषण किया जाता है । यह ठीक है कि जब से उन्हें कुछ राहत मिली है । अब आपको उनके बारे में यह देखना चाहिए कि उन्हें साइकिल भत्ता मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मजदूरों को पूरा वेतन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ।

आपने कहा कि वहां लेबर लाज के मुताबिक काम किया जाता है । जब आप लेबर लाज की बात करते है तो क्या आप उनको चूना-पत्थर के मजदूरों के कानून के मुताबिक दे रहे हैं ? मुझ को जानकारी है कि इन मजदूरों के बीच में इन लेबर लाज को लागू नहीं किया जा रहा है । इस को भी आप देखें ।

उनके स्वास्थ्य का, हाउसिंग का, साइकिल भत्ते और दूसरी सुविधाओं का मामला है । उनका स्वास्थ्य काफी दयनीय है । जिस रूप में वहां काम करते हैं उसमें उनके स्वास्थ्य और जीवन के लिए बहुत ही खतरा है । इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप इसको भी देखें और उनके लिए अधिक से अधिक पैसे का प्रावधान करें। मजदूरों के लिए अधिक फण्ड की व्यवस्था करने के लिए जब आप हमसे सहयोग मांगेंगे तो हम लोग जरूरत आपका साथ देंगे । आप यह देखें कि मजदूरों के हितों की सही मायनों में रक्षा हो और उनके लिए निर्धारित धन उनके कार्यों पर ही लगे ।

श्री धर्मवीर : मान्यवर, माननीय, सदस्य ने कहा है कि श्रमिकों को सुविधाएं कम हैं । मैं उनसे इतना ही निवेदन करूंगा कि वे भी इस देश के रहने वाले हैं, इस देश की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को वे अच्छी तरह से जानते हैं । हमने भी यह स्वीकार किया है कि यह हमारा केवल प्रयास मात्र है, यह पर्याप्त नहीं है । लेकिन जितनी भी अधिक से अधिक सुविधाएं हम श्रमिक बन्धुओं को दे सकते हैं, उसकी तरफ हमारे कदम हैं । मैं समझता हूं कि उनको सुविधाएं देने के जो भी हमारे प्रयास हैं उनमें आपका हमें सहयोग मिलना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि विधेयक पास किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नियम 66 के प्रस्ताव को निलम्बित करने के बारे में प्रस्ताव

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक को, जहां तक वह चीनी उपकर (संशोधन) विधेयक, 1982 और चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार करने और पास करने के प्रस्तावों पर लागू होता है, निलम्बित करती है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

चीनी उपकर (संशोधन) विधेयक
और
चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चीनी उपकर अधिनियम 1982 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चीनी विकास निधि अधिनियम 1982 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

उपरोक्त अधिनियम इस वर्ष मार्च में ही संसद ने पास किये थे । इन्हीं में ये साधारण संशोधन लाये गये हैं । इस बीच हमने पांच लाख टन चीनी का रक्षित भंडार बना लिया है । और इस रक्षित भंडार को रखने के लिए प्रभारों का भुगतान करने के उद्देश्य से हमने यह आवश्यक समझा कि कर की उपकर के रूप में लिये जाने वाले कर की दर 5/ – रुपये से बढ़ाकर 14/— रुपये प्रति क्विन्टल कर दिया जाये । हमने यह उपबंध किया है कि अतिरिक्त उपकर के रूप में वसूल की गई राशि को, इस रक्षित भंडार को रखने के लिये देय प्रभारों के भुगतान के लिए उपयोग में लाया जाये । ये साधारण से संशोधन हैं और मैं आशा करता हूं कि सभा इन्हें स्वीकार करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किये गये :

"कि चीनी उपकर अधिनियम, 1982 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

"कि चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

***श्री जायनल अबेदिन (जंगीपुर)** : उपाध्यक्ष महोदय, विचाराधीन विधेयक चीनी उपकर (संशोधन) विधेयक 1982 में चीनी का रक्षित भंडार बनाने की व्यवस्था की गई है और इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त उपकर लगाने की व्यवस्था है चीनी का रक्षित भंडार रखना आवश्यक है, इसमें दो राय नहीं हो सकती । प्रारम्भ में ही मैं माननीय कृषि मंत्री के उस उद्घाटन भाषण से उद्धृत करना चाहूंगा, जो उन्होंने 3 फरवरी 1982 को हुई इंडियन सुगर मिल्स एसोसिएशन की 48 वीं वार्षिक आम सभा में दिया था । इससे यह सिद्ध होगा कि रक्षित भंडार बनाने का विचार सरकार के मन में यकायक नहीं आया है बल्कि यह विचार काफी पहले बन गया था । इससे चीनी मिल और चीनी मिल मालिकों के प्रति सरकार का रवैया भी स्पष्ट होता है । मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में कहा था :

*मूल बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

"रक्षित भंडार बनाने का निर्णय भी हमने किया है और इससे खुले बाजार में चीनी के मूल्य उस स्तर पर बनाये रखने में सहायता मिलेगी जो मिलों, किसानों और उपभोगताओं सभी के हित में होगा। हम स्तर प्रतिशतत्व को 65 से बढाकर 70 कर सकते थे परन्तु हमने ऐसा नहीं किया, परन्तु आपने इस बात को सराहा ही नहीं । उचित दर दुकानों से राशन की मात्रा में वृद्धि की मांग की जा रही है। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। इस समय चीनी का प्रतिव्यक्ति का कोटा 425 ग्राम है। वर्तमान जनसंख्या को देखते हुए 425 ग्राम का कोटा बनाये रखने के लिए हमें आपकी कम से कम 70 प्रतिशत चीनी लेनी होगी । यदि आप हमें इतनी चीनी लेने देंगे तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। परन्तु हम जानते हैं कि आप यह नहीं चाहेंगे। इसीलिए आपसे पूछे बिना हमने ऐसा नहीं किया है। हम किसी न किसी तरह काम चलाने का प्रयास करेंगे। जब भी हमें खुले बाजार की चीनी से आवश्यकता होती है तब आपकी प्रतिक्रिया अनुकूल होती है, यह बात भी हम ध्यान में रखते हैं।"

महोदय, इस विधेयक द्वारा जिस मूल अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है, वह इस सभा द्वारा 4 मार्च 1982 को पारित किया गया था और राज्य सभा द्वारा इसे 9 मार्च 1982 को पारित किया गया था। परन्तु इससे एक महीने पूर्व फरवरी 1982 में ही माननीय मंत्री ने एक भाषण दिया था। मैं कहना यह चाहता हूं कि जब रक्षित भंडार बनाने का विचार पहले से ही बना हुआ था तो यह व्यवस्था उस मूल अधिनियम में ही क्यों नहीं की गई थी जिसमें अब संशोधन किया जा रहा है। मूल अधिनियम के पारित होने के साथ महीने के भीतर ही हम इसमें संशोधन कर रहे हैं। उस विधेयक में उस समय यह व्यवस्था न किये जाने का कारण यह था कि तब आप चीनी उद्योग के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के नाम पर उपकर लगा रहे थे। यदि रक्षित भंडार के नाम पर आप अतिरिक्त उपकर उस समय लगाते तो चीनी का मूल्य बहुत अधिक बढ जाता और उससे लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। आपके मन में यह डर था। आपका प्रयास यह होता है कि उपकर किस्तों में लगाया जाये जिससे लोग अतिरिक्त भार के धीरे-धीरे आदि हो जायें और उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। क्या मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करेंगे।

आज चीनी केवल अमीर लोगों के लिए मौज की वस्तु नहीं है बल्कि यह आम आदमी के दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तु बन गई है। इसलिए चीनी के मूल्य में मामूली सी वृद्धि भी लोगों को अखरती है। विधेयक व उद्देश्यों और कारणों के कथन में मंत्री महोदय ने कहा है :

"इन संशोधनों के परिणामस्वरूप जो अतिरिक्त उपकर उद्ग्रहीत किया जाएगा, उसका उपभोक्ता पर एक सीमित प्रभाव होगा और चीनी के सुरक्षित भंडार बनाए रखने के परिणामस्वरूप मूल्यों के बार-बार उतार-चढ़ाव से उसे जो संरक्षण प्राप्त होगा उससे उसकी और अधिक क्षतिपूर्ति हो जाएगी।" यही बात मूल विधेयक, जो मार्च 1982 में पारित किया गया था, में

कही गई थी। उसमें भी कहा गया था कि "उपकर से उपभोगताओं पर नाम मात्र का प्रभाव पड़ेगा।"

महोदय, मूल्यों में ठहर-ठहर कर जो वृद्धि की जा रही है उससे मूल्य इतने अधिक बढ गये हैं कि वे आम आदमी की क्रय शक्ति से परे हो गये हैं। यह सर्वविदित है कि बूंद-बूंद से समुद्र बन जाता है। इसलिये मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं।

महोदय, इस विधेयक के 'उद्देश्यों और कारणों के कथन' में यह भी कहा गया है :

"सुरक्षित भंडारों की मात्रा के लिये शतप्रतिशत बैंक प्रत्यय दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त सुरक्षित भंडार रखने के लिये मिलों को सुरक्षित भंडार रखने की लागत और ब्याज प्रभार देकर उनकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।"

इसी कारण से यह नया उपकर इस विधेयक द्वारा लगाया जा रहा है। इस प्रकार मिल-मालिकों को अनेक लाभ दिये जा रहे हैं। इस संदर्भ में, मैं माननीय मंत्री कुमारी कमला द्वारा 12-7 1982 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 517 के उत्तर से उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने अपने उत्तर में कहा था :

".....उत्पादन शुल्क में छूट, गन्ना खरीद कर में छूट और उपलब्ध गन्ने में से अधिक से अधिक की पेराई सम्भव बनाने तथा गन्ना उत्पादकों को गन्ना मूल्य की बकाया राशि का भुगतान करने हेतु अतिरिक्त ऋण लेने की सुविधा के रूप में इस उद्योग को पर्याप्त प्रोत्साहन दिये गये हैं।"

महोदय, साथ ही उसी तारीख को प्रश्न संख्या 425 के भाग (ख) के उत्तर में यह कहा गया था :

"योजना में किसानों के लिये प्रत्यक्ष प्रोत्साहन की कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है परन्तु यह तभी होगा जबकि कारखानों को प्रोत्साहन मिलेगा, अन्यथा वे पेराई मौसम के गर्मी के महीनों में पेराई नहीं करेंगे और इस मौसम का पूरा गन्ना, जो अपने आप में कीर्तिमान उत्पादन है, नहीं लेंगे।"

इसका मतलब यह है कि चीनी मिलों को प्रोत्साहन दिये जाने चाहिये अन्यथा वे ग्रीष्म ऋतु के महीनों में गन्ने की पेराई नहीं करेंगे। हमें यह सोचना चाहिये कि यदि गन्ना उत्पादक ऐसा निर्णय कर लें कि प्रोत्साहन न मिलने की और चीनी मिलों का व्यवहार ठीक न होने की स्थिति में वे भविष्य में गन्ने का उत्पादन नहीं करेंगे, तो क्या स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। वे फैसला कर सकते हैं। कि वे अपने खेतों में गन्ना की बजाय अन्य फसलें बोयेंगे।

महोदय, चीनी उद्योग में केवल चीनी मिल-मालिक ही नहीं आते। हमें तो चीनी मिल-मालिको के साथ-साथ गन्ना-उत्पादकों और चीनी मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के हित भी देखने होते हैं। सम्पूर्ण चीनी उद्योग का विकास तभी हो सकता है। परन्तु मिल-मालिकों को तो हर प्रकार के प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं जबकि किसानों के सम्बन्ध में यह कह दिया जाता है कि

"योजना में किसानों के लिए किसी प्रत्यक्ष प्रोत्साहन की व्यवस्था नहीं है।" इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार का मिल-मालिकों और किसानों के प्रति कैसा रुख है।

महोदय, किसान को अपनी उपज का उचित और लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर उसकी उत्पादन लागत बढती जा रही है। उवर्रक आदि आदानों का मूल्य प्रति वर्ष बढता जा रहा है। परिणमतः गन्ने के मूल्य में भी वृद्धि की जानी चाहिए। ताकि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि को पूरा किया जो सके। परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है।

मैं यहां 26 जुलाई 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2608 के भाग (ख) के उत्तर से उद्धृत कर रहा हूं जो निम्न प्रकार है :

"कृषि मूल्य आयोग ने 8.5 प्रतिशत अथवा इससे कम मूल रिकवरी के लिये 15.50 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की सिफारिश की है लेकिन इसमें उस स्तर से रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि होने पर आनुपातिक प्रीमियम की व्यवस्था होनी चाहिये। इसमें गन्ना उत्पादक द्वारा अपने खेत से फैक्ट्री द्वार तक 16 किलो-मीटर के घेरे के अन्दर गन्ने की ढुलाई पर किया गया खर्च भी शामिल है।"

महोदय, यहां तक कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा सुझाये गये मूल्य भी गन्ना उत्पादकों को नहीं दिये जा रहे हैं। कृषि मूल्य आयोग ने 15.50 रुपया प्रति क्विन्टल की सिफारिश की थी परन्तु गत वर्ष उन्हें केवल 13 रुपये प्रति क्विन्टल की दर से भुगतान किया गया। कृषि मूल्य आयोग की भी अवहेलना की गई। इस प्रकार किसानों को हर बार धोखा दिया जाता है। उसे उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। 9 मार्च 1982 को जब मूल विधेयक पर राज्य सभा में चर्चा की जा रही थी तब एक माननीय सदस्य ने वहां कहा था :

> "उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ना-उत्पादकों को अपनी खड़ी फसल इस कारण से जलानी पड़ी क्योंकि उन्होंने यह सोचा था कि उन्हें उतनी राशि भी नहीं मिलेगी जो वे गन्ने को मिल तक ले जाने पर खर्च करेंगे।"

ऐसी स्थिति में मिल-मालिकों के साथ सहानुभूति दर्शाना और किसानों की उपेक्षा करना अनुचित है। साथ ही आम उपभोक्ता पर भी अधिक भार डाले जाने को ठीक नहीं माना जा सकता। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता हूं कि मिलों को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है परन्तु साथ ही निर्धन किसानों के साथ भी सरकार वैसा ही सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार क्यों नहीं करती, यह मेरी समझ में नहीं आता विधेयक के 'उद्देश्यों और कारणों के कथन' में यह कहा गया है कि इस रक्षित भंडार के द्वारा मूल्यों में उतार-चढाव को नियमित किया जायेगा और उन्हें जो हानि होगी उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।

महोदय, हमारे पास चावल का रक्षित भंडार हैं, हमारे पास गेहूं का भंडार है, परन्तु क्या हम इससे मूल्यों में उतार-चढाव को रोक सके ? हर राज्य में खाद्यान्न के मूल्य आसमान को छू रहे हैं वे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गये हैं। अतः यह सोचना गलत है कि चीनी का रक्षित भंडार बनाने से चीनी के मूल्य में उतार-चढाव को रोका जा सकेगा और लोगों को चीनी उचित मूल्य पर मिल सकेगी।

महोदय, किसानों को उनके गन्ने का बकाया रहा मूल्य काफी समय से नहीं मिल रहा है और उन्हें विभिन्न प्रकार से तंग किया जाता है। 2 अगस्त 1982 को अतांराकित प्रश्न संख्या 3778 के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था :

> "पिछले 14 दिनों में खरीदे गये गन्ने के मूल्य को छोड़ते हुए, सरकारी और सहकारी चीनी मिलों की ओर 15 जून 1982 को गन्ना मूल्य की बकाया राशि....."

राव बीरेन्द्र सिंह : बकाया राशि के प्रश्न पर सभा में कल ही काफी समय तक चर्चा हुई थी। इस प्रश्न को आप आज पुनः क्यों ले रहे हैं ? गन्ना.....के बारे में विशेष चर्चा आप ने नहीं सुनी।

श्री जायनल अबेदिन : सरकारी समितियों की ओर बकाया राशि है। और सरकार की ओर भी बकाया है। इस बात पर सहानुभूतिपूर्वक विचार क्यों न किया जाये ? उनकी बकाया राशि वर्ष प्रति वर्ष बढतो जा रही है। बेचारे किसान कठिन परिश्रम से गन्ना उगाते हैं परन्तु उन्हें गन्ने का मूल्य समय पर नहीं मिलता। दूसरी ओर सरकार सदा ही मिल-मालिकों के हित के प्रति चिन्तित रहती है और उन्हें अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है। यह अवांछनीय है।

महोदय, रक्षित भंडार जरूरी है परन्तु इससे गरीब उपभोक्ताओं पर भार क्यों पड़े। उपकर अन्य स्रोतों से भी वसूल किया जा सकता है। चीनी का एक महत्वपूर्ण उत्पाद शीरा है। जिससे अल्कोहल बनाया जाता है। अल्कोहल उत्पादक शीरा मामूली दामों पर खरीदते हैं और उससे अल्कोहल बनाकर करोड़ों रुपये का लाभ कमाते हैं। रक्षित भंडार बनाने के लिए उपकर उनसे वसूल किया जा सकता है। परन्तु वर्ग विशेष के हित को देखते हुए सरकार ऐसा नहीं करेगी। चीनी सम्बन्धी नीति सरकार वैसी बनाती है जैसा कि चीनी के बड़े-बड़े व्यापारी और चीनी उद्योग में निहित स्वार्थ वाले लोग (सुगर लॉबी) चाहते हैं। ये ही लोग शासक दल को चुनावों के दौरान चंदा देते हैं। इन लोगों के हित को सर्वोपरि रखते हुए ही चीनी सम्बन्धी नीति बनाई जाती है। एक ओर सरकार चीनी का रक्षित भंडार बनाने जा रही है जबकि दूसरी ओर लम्बे समय से चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की मांग की जा रही है ताकि गरीब आदमी को दैनिक उपयोग यह वस्तु उचित मूल्य पर आसानी से मिल सके। आम आदमी, किसान और कई जन संगठन यह मांग कर रहे हैं। सरकार चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर रही है ? अडचन क्या है ? अडचन केवल यह है कि ये मिल मालिक ही सरकार को धन उपलब्ध करते है और उसकी अन्य कई प्रकार से सहायता करते हैं। चीनी का रक्षित भंडार बनाये जाने की आवश्यकता है, यह तो मैं मानता हूं परन्तु मैं उपकर लगाये जाने का विरोध करता हूं। इसके साथ ही मैं समाप्त करता हूं।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल (कोपरगाव) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिये धन्यवाद देता हूं।

मैं यही चाहता हूं कि किसान के लिये हमारी चीनी उत्पादन और गन्ने की नीति कम-से-कम 15 साल के लिये दीर्घकालीन नीति होनी जरूरी है। हर 5 साल में जो साइकल आता है, कभी गन्ना ज्यादा होता है और चीनी ज्यादा तैयार हो जाती है, इसलिये उसके दाम गिर जाते हैं। तो बाद में गन्ना कम होता है—उपभोक्ता को ज्यादा दाम देना पड़ता है।

5 लाख टन का जो वफर स्टाक है, इसका हम स्वागत करते हैं। मैं इसके लिये राव साहब का आभारी हूं कि उन्होंने इसकी कोशिश की है, लेकिन कम-से-कम 3 महीने का स्टाक यानी 15 लाख टन का वफर स्टाक करना जरूरी है। लेकिन सरकार ने चीनी पर टैक्स लगाया है और वही वफर स्टाक के लिये दिया है। हम चाहते हैं कि जब 15 लाख टन चीनी का वफर स्टाक हो जाय तो टैक्स और न बढ़ाया जाये, क्योंकि इसके अलावा कंज्यूमर की चीनी के दाम बढ़ जाते हैं लेकिन किसान को इसमें फायदा नहीं होता है।

आज चीनी के दाम इतने गिर गये हैं कि किसान को अगले साल मुश्किल से हम कितना दे सकते हैं? किसान को कम से कम 18 रुपये या 8.5 रिकवरी पर मिलना जरूरी है, यह हम मानते हैं। लेकिन मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि लैवी शुगर या फ्री सेल शुगर का रेशियो बिल्कुल न बदला जाये क्योंकि अगर यह बदल जायेगा तो किसान को और भी दाम नहीं मिलेंगे और अभी भी भारी बकाया है पिछले साल का। मिल मालिक इस तरह से कहेंगे कि हमें दाम मिलता नहीं, इसलिये किसान को ज्यादा पैसा नहीं दे सकते। इसलिये मैं चाहता हूं कि लैवी और फ्री सेल की रेशियो कायम रखनी चाहिये।

चीनी का निर्यात बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। सरकार ने 6 लाख टन का निर्यात तय किया था। यह ठीक है कि यह इस मंत्रालय का काम नहीं है, लेकिन सब कुछ चीनी और गन्ने के काम को आप ठीक से देखते हैं, चीनी का निर्यात साढे 4 लाख टन का हुआ है जो कि साढ़े 6 लाख टन होना चाहिये था।

मौलेसेस के निर्यात की भी हम मांग कर रहे थे मंत्री जी ने एक साल में इसकी इजाजत दी नहीं, अभी वह खूब होता है। हम महाराष्ट्र के लोग मौलेसेस मुफ्त देने के लिये राजी हैं, सरकार उसका निर्यात करे और जितना फोरन एक्सचेंज सरकार उससे ले सकती है, वह ले ले, ऐसा मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

एक बात और है आप 15 लाख टन चीनी का वफर स्टाक बढ़ाइये और ऐलान कीजिये कि गन्ने का दाम इस मौसम में कम से कम 22 रु० होगा। इससे कम में किसान को नुकसान होता है। बफर स्टाक बढायेंगे तो 10 लाख का जो इंटरेस्ट सेव होगा उससे किसान को कुछ न कुछ दाम दे सकेंगे। यही मुझे कहना है।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष जी, यह दो बिल आये हैं और सरकार की ओर से उसमें जो उद्देश्य की घोषणा की गई है उसको मैंने ध्यान से पढ़ा है। लेकिन लगता है कि भारत सरकार अभी जिस चीनी नीति पर चल रही है वह बिल्कुल मिल चालकों के सामने साष्टांग दंडवत है और उनका मुंह ताक रही है कि मिल मालिक लोग क्या कहते हैं, उनकी कृपा

रहती है कि नहीं, दया हम पर है कि नहीं । सही माने में यह नीति किसान विरोधी है और मिल मालिकों को छूट पर छूट देने की है । वफर स्टाक बनाया जाय ठीक है । लेकिन क्या स्थिति है किसानों की ? आप किसान परिवार से आते हैं, बिहार, यू० पी० महाराष्ट्र में गन्ना होता है तो पिछले साल 15 लाख टन से भी अधिक गन्ना खेतों में सूख गया, जला दिया गया और आपने मिल मालकों को सुविधाओं पर सुविधायें दीं, इंसेन्टिव दिये, टैक्सों में छूट दी गई, फिर मौडर्नाई-जेशन के नाम पर छूट दी गई । लेकिन किसानों का गन्ना सूख गया उसके लिये दर्द आपको हुआ कि नहीं ? नहीं हुआ ।

कल माननीय पासवान जी ने कहा था कि पिछले साल गन्ना उत्पादकों का करोड़ों रु० मिल मालिकों पर बाकी है । वसूली के लिये क्या हो रहा है ? आप क्या पंगु हो गये है ? पीस मार्च करने वालों पर, हड़ताल करने वालों पर तो आप डी० आई० आर० लगाते हैं लेकिन गन्ना किसानों का जो पैसा मिल मालकों पर बाकी है उसकी वसूली के लिये आप क्यों नहीं सख्ती करते ? हमारे यहां मौतिहारी में, मझौलिया में, बारा चकिया में किसान दुखी हैं, उनको नहीं लगता कि गन्ने की खेती से उनका काम चलेगा । इस साल राज्य सरकारों ने मांग की है कि गन्ने की कीमत 30 रु० की जाय । आप ऐलान कीजिये कि किसानों को गन्ने की कीमत 30 रु० क्विंटल देने जा रहे हैं । किसान जो गन्ना पैदा करते हैं उसमें लगी खाद, सिंचाई, बिजली, उर्वरक, कीटनाशक दवाओं की कीमतें, श्रम की कीमत में कोई कमी नहीं है, फिर क्यों किसान को उसके गन्ने की कीमत कम मिले इस साल ? इसका कोई कारण नहीं है । इसलिये आज ही ऐलान कीजिये उससे किसानों में विश्वास पैदा होगा कि अच्छी कीमत गन्ने की मिलेगी ।

दूसरी बात यह है कि मिल मालिक कांटे पर तोल में गड़बड़ करते हैं । किसान बैलगाड़ी पर गन्ना लाता है, दो, दो दिन उनको तोल के लिये इंतजार करना पड़ता है, उनके लिये कोई शैड की व्यवस्था नहीं होती, तोल में, रिकवरी में गड़बड़ी होती है । आप चीनी उद्योग का विकास चाहते हैं तो अगर आप सोचते हैं कि मिल मालिकों को केवल सुविधायें दे कर काम हो जायगा, इससे काम नहीं चलेगा । आप बफर स्टाक बना रहे हैं तो उसको भी मिल मालिकों के पास ही रखा जायगा इसके लिये भी इनको और सुविधायें दी जायेंगी ।

राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की थी कि हमारी सरकार आयेगी तो चीनी उद्योग का राष्ट्रीय-करण हमारी सरकार करेगी । उस मांग को क्यों नहीं मानते हैं ? आप स्पष्ट कीजिये कि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण आप चाहते हैं कि नहीं ? देश की मांग है कि चीनी उद्योग आज ऐसी हालत में पहुंच गया है कि उसका राष्ट्रीयकरण किया जाय । सरकार गन्ने की नई और बेहतर वैरायटीज विकसित करने के लिए क्या कर रही है ? बिहार में इस सम्बन्ध में कोई तरक्की नहीं हुई है । हमारी मांग है कि हर एक चीनी मिल के एरिया में एक शोध संस्थान खोला जाए । यह देखा जाए कि उस क्षेत्र विशेष में मिट्टी, पानी और जल-वायु की क्या विशेषता है, जिससे वहां पर गन्ने की खेती के विकास और किसानों के संरक्षण के बिना चीनी उद्योग प्रगति नहीं कर सकता है । किसानों के बकाया का भुगतान किया जाए । आज उन्हें पंगु बना दिया गया है ।

अगर मिल-मालिकों के पास किसानों का बकाया रह जाए, तो उसका सूद देना चाहिए। मंत्री महोदय बताएं कि किस मिल-मालिक ने सूद के साथ किसानों का बकाया दिया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस बारे में कई घंटे तक बहस हो चुकी है।

श्री कमला मिश्र मधुकर : लेकिन उस बहस से फायदा क्या हुआ? खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका कुछ परिणाम निकलना चाहिए।

किसानों को सब प्रकार की सुविधाएं देनी चाहियें। उन्हें खाद, उर्वरक, उन्नत बीज और कीट-नाशक दवाएं नहीं मिलती हैं। गन्ने के तोल में गड़बड़ी होती है। केन डेवेलपमेंट डिपार्टमेंट में केन डेवेलपमेंट आफिसर और केन डेवेलपमेंट इंस्पैक्टर बैठे हुए हैं, लेकिन वे तमाम लोग मिल-मालिकों की सेवा करते हैं और उनसे पैसा पाते हैं। मंत्री महोदय किसानों की सब समस्याओं को हल करें और यह ऐलान करें कि हम गन्ना-उत्पादकों को इतना दाम देने जा रहे हैं। गन्ने के दाम में वृद्धि होने पर ही चीनी उद्योग का विकास हो सकता है। पिछले साल का अनुभव है कि गन्ना किसानों के खेतों में पड़ा रह गया, उसकी कटाई नहीं हुई और उसको जलाना पड़ा। इस तरह आगे चल कर गन्ने की खेती करने में किसानों को कठिनाई होगी?

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : अब की बार तो कठिनाई नहीं हुई?

श्री कमला मिश्र मधुकर : कठिनाई यह है कि दाम का ऐलान नहीं हुआ है। मंत्री महोदय दाम का ऐलान करें, तभी यह उद्देश्य पूरा हो सकता है। चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाए और गन्ने का भाव 35 रुपए प्रति-क्विंटल घोषित किया जाए। आज किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। हमें आशा है कि मंत्री महोदय ये सब काम करेंगे।

मैं बफर स्टाक बनाने का विरोध नहीं करता, लेकिन इस बिल के जरिये चीनी मिल-मालिकों को जो बहुत सुविधाएँ दी गई हैं, उनका मैं विरोध करता हूं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कल इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है। कल यहां पर जो मामला उठाया गया था, मैं उसको टच नहीं करूंगा। 4 मार्च को यहां पर जो डीबेट हुई थी, उसमें मंत्री महोदय ने सदन को आश्वासन दिया था कि यह सैस क्यों लगाया जा रहा है और उससे किसानों को फायदा होगा। पिछले छः सात महीनों के अनुभव से पता चलता है कि इस सैस का फायदा अगर किसी ने लिया है, वो मिल-मालिकों ने लिया है। कल मंत्री महोदय ने बताया कि किसानों का बकाया 6 करोड़ रुपए से बढ़ कर 33 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

(डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी पीठासीन हुईं)

उससे फायदा हुआ मिल मालिक को, किसान को कोई कायदा नहीं हुआ है।

मैं माननीय मन्त्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि जो आप सेस बढ़ाने जा रहे हैं उसका कोई इम्पैक्ट प्राइसेज पर पड़ेगा या नहीं और उपभोक्ता को तो कोई परेशानी नहीं आयेगी?

दूसरे, जैसा कि आपने कल भी कहा था कि किसानों की बकाया राशि दिलाने में आप अक्षम हो जाते हैं, आप सूद का पैसा भी नहीं दिला पाते हैं तब फिर यह सब काम करने में कैसे सक्षम हो जाते हैं ? आप लेवी लगाते हैं और मजदूरों के वेलफेयर की बात भी सोचते हैं, आप यह भी चाहते हैं कि चीनी उद्योग का विकास हो, अधिक चीनी का प्रोडक्शन हो—इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि यह सब होना चाहिए—लेकिन चीनी उद्योग के विकास का मतलब यह नहीं है कि चीनी मिल-मालिकों का विकास किया जाए और दूसरी तरफ मजदूरों का विकास न हो, गन्ना पैदा करने वाले किसानों का विकास न हो और उपभोक्ताओं को भी परेशानी हो। यदि ऐसा होता है तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। इस दृष्टिकोण से इस मामले में अगर आप किसानों और मजदूरों को लाभ दिलाने में सक्षम हैं तो आपको यह भी सोचना चाहिए कि मिल-मालिक किसानों का जो पैसा नहीं देते हैं, जो ब्याज नहीं देते हैं, जिसमें आपने अपनी लाचारी दिखाई है, आप राज्य सरकारों पर निर्भर करते हैं और आपके लिखने के बावजूद वे उत्तर नहीं देते हैं, उसके लिए भी आपको विचार करके कदम उठाने चाहिए।

सभापति महोदय : श्री चित्त बसु

राव बीरेन्द्र सिंह : आप श्री पासवान से कुछ सीखें।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं नहीं सीखूंगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस आयु में भी आप सीख सकते हैं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदया, जिस विधेयक पर चर्चा हो रही है, उसके दो पहलू हैं। एक तो हमारे देश में चीनी के सुरक्षित भंडार बनाने और दूसरा उपकर को प्रति क्विंटल 5 रु० से बढ़ा कर 14 रु० करने के बारे में है।

इस विधेयक के गुणावगुण पर विचार से पूर्व जरूरी है कि चीनी की स्थिति और अर्थ व्यवस्था पर उसके प्रभाव को देख लिया जाये। मेरे विचार से चालू वर्ष में चीनी का उत्पादन लगभग 84 लाख टन है।

राव बीरेन्द्र सिंह : 84 लाख टन से अधिक है।

श्री चित्त बसु : पिछले वर्ष की चीनी 9.93 लाख टन बची हुई थी। इस प्रकार उपलब्ध चीनी की मात्रा 94 लाख टन थी। इस बारे में आन्तरिक खपत और निर्यात की कुल मात्रा लगभग 62 लाख टन होती है। अतः आज 32 लाख टन के लगभग चीनी का सुरक्षित भंडार है। यह मान भी लिया जाये कि देश में खपत अधिक भी होगी तो भी यह मात्रा 70 लाख टन से अधिक नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में सुरक्षित भंडार का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। मैं तो सदा यह मांग भी करता रहा हूं कि चीनी सम्बन्धी अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए सुरक्षित भंडार बनाना बहुत जरूरी है ताकि मूल्यों के घटने बढ़ने और निर्यात के कम या अधिक होने की स्थिति का मुकाबला किया जा सके। लेकिन प्रश्न यह है कि यह भंडार कितना हो। आपके पास 32 लाख टन का भंडार है। आशा है इस बार भी उपज भरपूर होगी। शायद गत वर्ष से भी अधिक।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह जरूरी नहीं।

श्री चित्त बसु : ऐसी सम्भावना है। ऐसा न भी हो तो भी हमारे पास 32 लाख टन तो है ही। यदि उत्पादन अधिक हुआ तो भंडार और बढ़ जायेगा। इससे किसानों में भय है कि उन्हें कभी भी उचित मूल्य नहीं मिलेगा। इस पहलू पर भी विचार होना चाहिये। अतः मेरा सुझाव है कि भंडार को केवल 5 लाख टन तक सीमित न करके उसे अधिक बढ़ाया जाना चाहिये।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह तो ठीक बात है।

श्री चित्त बसु : एक सेन समिति 1965 में बनाई गई थी जिसने चीनी के सुरक्षित भंडार सम्बन्धी विचार किया था। जहां तक मुझे स्मरण है इस समिति ने सिफारिश की थी कि कुल उत्पादन का 33% भंडार के रूप में रखा जाये। स्पष्ट है कि यह सिफारिश चीनी मूल्यों के मुकाबले में मूल्यों में स्थिरता लाने के बारे में है। 94 लाख टन का $\frac{1}{3}$ भाग लगभग 30 लाख बनता है। लेकिन सरकार अब केवल 5 लाख टन का भंडार चाहती है। इस पर मुझे आपत्ति है। यदि सरकार मूल्यों में स्थिरता लाना चाहती है, यदि उसे किसानों से सहानुभूति है तो सरकार को सुरक्षित भंडार में चीनी की मात्रा बढ़ानी होगी।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : वे उपकर बढ़ा देंगे।

श्री चित्त बसु : विधेयक का दूसरा पहलू उपकर को 5 रु० प्रति क्विंटल से बढ़ा कर 14 रु० प्रति क्विंटल करना है। यह उपकर भंडार के अनुरक्षणा की लागत को पूरा करने के लिए है। इसे कौन सहन करेगा वही मिल मालिक। योजना में उपबंध है कि चीनी का सुरक्षित भंडार चीनी मिलों में ही रखा जाये। भंडार अलग-अलग स्थानों पर रहेगा न कि किसी एक जगह पर और इस कार्य के लिए आप चीनी मिलों को कुछ राशि दे रहे हैं जब कि बैंक से इन मिलों को 100 प्रतिशत ऋण अनुरक्षण हेतु मिलेगा। पैसा तो मिल मालिकों की जेब में चला जायेगा। और आप इतने उदार हैं कि उन्हें और पैसा भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं आप उन्हें ब्याज भी दे रहे हैं। शायद आप मेरे से नाराज भी हो जायें।

कल श्री राम विलास पासवान यह तथ्य स्पष्ट कर रहे थे कि गन्ना उत्पादकों को 83 करोड़ रु० देना बाकी है। आप मिल मालिकों से यह पैसा तो दिला नहीं सकते। आप राज्य सरकारों को इस दिशा में कार्य करने के लिए नहीं कह सकते। लेकिन मिल मालिकों की ओर आप काफी उदार हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : मिल मालिक बैंक को जो ब्याज देंगे उसके लिए उन्हें पैसा दिया जा रहा है।

श्री चित्त बसु : आप बैंकों को ब्याज दे रहे हैं न कि मिल मालिकों को जो कि ब्याज देते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : किसी को तो देना ही है।

श्री चित्त बसु : विधेयक में व्यवस्था है कि बैंक वित्त घोषणा करेंगे। बैंक कुछ ब्याज लेंगे और उसका भुगतान सरकार उपकर बढ़ा कर करेगी। यह वसूली 50.50 से 51 करोड़ रुपये तक की होगी। एक जातिगत वसूली लागत को घटाकर यह 50.50 करोड़ रुपये होगी। 50 करोड़

रुपया आप उपभोक्ताओं से ले रहे हैं। चीनी का मूल्य बढ़ जाएगा। और इसका भार उपभोक्ता को उठाना होगा। इसका कुछ भार जितनी चीनी का आप उपयोग करेंगे—आपको भी उठाना होगा। चीनी का मूल्य बढ़ने से नहीं रोका जा सकता। चीनी पर अतिरिक्त उप-कर लगा कर चीनी मिलों को मुआवजा देने के लिए धन राशि इकट्ठा की जाएगी। लगता है यह पर्याप्त नहीं है। उनको मुआवजा देने के लिए एक और निधि बनाई जा रही है। अतिरिक्त उत्पादन के बावजूद हमारे पास क्रय शक्ति नहीं है और हम अधिक चीनी का उपभोग नहीं कर सकते। हमारी जनता गरीब है, वे चीनी नहीं खा सकते, अतः इसे आवश्यकता से अधिक उत्पादन नहीं कह सकते। अब भी उत्पादन कम ही है। लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आगे उत्पादन बढ़ाने की और आवश्यकता है। क्रय शक्ति के अभाव में लगता है कि उत्पादन अधिक है। इस स्थिति को समाजवाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था ही दूर कर सकती है।

इस बात का डर है कि अधिक उत्पादन होने के इस तथ्य को देखते हुए उत्पादक कम गन्ने का उत्पादन करें। अतः मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य मिलेगा। कृषि मूल्य आयोग लागत मूल्य को ध्यान में रख कर लाभप्रद मूल्य की सिफारिस करेगा जिससे गन्ना उत्पादकों का भय दूर हो।

गन्ने की खरीद अनिवार्य रूप से एकाधिकारी ढंग से की जाए। यह काम सरकार करे तथा उसकी पिराई मिलों से कराए और चीनी के रूप में उसे बाजार में बेचे। मैं राष्ट्रीयकरण करने की बात नहीं कर रहा हूं। महाराष्ट्र में जिस प्रकार सरकार रुई की खरीद कर रही है उसी प्रकार गन्ने की खरीद भी एकाधिकारी ढंग से की जाए।

राव बीरेन्द्र सिंह : क्या कपास और गन्ना एक ही चीज है।

श्री चित्त बसु : लाभकारी मूल्य की बात मैं इस लिए कह रहा हूं क्योंकि वे मिल-मालिकों के प्रति उदार हैं। किसानों का कहना है कि 1 क्विंटल गन्ने से 10 कि० चीनी बनती है। उत्तर प्रदेश चीनी मिल मालिकों का कहना है कि एक क्विंटल गन्ने की पिलाई में 4 रुपये लगते हैं। आपके राज्य में गन्ने का मूल्य 22 रुपया है जबकि कृषि मूल्य आयोग का मूल्य उससे कहीं कम है। इसका अर्थ है कुल 26 रुपये की लागत होती है पर 10 कि० चीनी का मूल्य क्या है। माननीय मंत्री के कथन के अनुसार 5.50 प्रति किलो० के भाव से यह 55 रुपये आता है।

एक क्विंटल गन्ने से मिल मालिक 29 रुपये का लाभ कमाता है। यह है औद्योगिक शोषण। मिल मालिक को 55 रुपये मिलते हैं। और उत्पादक को 22 रुपये। क्या यह न्याय है? क्या यह समाजवाद है? क्या यह लोक तंत्र है? क्या यह किसान हितकारी नीति है। यह उद्योगपतियों का हित करने वाली नीति है। सरकार अपनी इस नीति को बदले।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं आपको एक चीनी मिल शुरु करने की सलाह दूंगा, उसके लिए मैं आपको लाइसेंस दूंगा। तब आपको पता चलेगा।

श्री चित्त बसु : मुझे अपने दल के सूची कालिक भत्ते के अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मोहतरमा, मोहतरम राव बीरेन्द्र सिंह साहब आज कुछ गुस्से में मालूम पड़ते हैं।

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री रशीद मसूद : वजह पता नहीं क्या है, लेकिन मैं उनको ज्यादा गुस्से का मौका नहीं दूंगा, सिर्फ कुछ खास मुद्दों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करूंगा।

हम यहां नुमाइंदे हैं अवाम के, पब्लिक के और जब हम नुमाइंदगी करते हैं तो मिल ओनर्स की भी करते हैं, इसमें शक की बात नहीं है। नुमाइंदगी मजदूर की भी करते हैं और किसान की भी करते हैं। जब भी हमारे सामने कोई चीज आती है तो उसको हम देखते हैं।

हमें यह देखना पड़ेगा कि उस कानून का फायदा किन लोगों को पहुंच रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि उसका फायदा चन्द उंगली पर गिने जाने वाले लोगों को हो रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि उसका फायदा उन लोगों को हो रहा है जिनके बारे में अमुमन यह कहा जाता है कि इलैक्शन के दिनों में वह बहुत काम की चीज है या उन लोगों को हो रहा है जो इस मुल्क की सियासत को बदलने में काम आते हैं तो हमें यकीनन तौर पर उस पर एतराज होगा।

मोहतरमा, इस बिल को देखने के बाद यह अन्दाज होता है कि सरकार मिल ओनर्स को फायदा पहुंचाना चाहती है। लेकिन, उनकी भी कुछ परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वे दूर होनी चाहिए। मसलन इसमें जो माडर्नाइजेशन और रिहेविलीटेशन मिल की बात कही गई है, मैं समझता हूं मिलों को माड्रर्नाइज़ करना चाहिए, उनकी कैपेसिटी को भी बढ़ाना चाहिए क्योंकि उसकी इन-डाइरेक्ट तरक्की से किसान की तरक्की होगी। जब आप मिल-ओनर्स को इतना रुपया देना चाहते हो, उनकी मदद करना चाहते हो तो हमारी सरकार को उन गरीब किसान और मजदूरों की तरफ भी देखना चाहिए। आपने बताया था कि 83 करोड़ रुपया एरियर्स में पड़ा हुआ है। सन् 1977 में भी मैंने यह मसला इस सदन में उठाया था और तब भी यह एश्योरेन्स दिया गया था कि आज के बाद जो किसान हैं उनका जो एरियर मिल-मालिकों या को-आपरेटिव की तरफ है तो जब किसान को पैसा दिया जायेगा, उसके साथ सूद भी दिया जायेगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : ब्याज नहीं ?

श्री रशीद मसूद : मैंने उस वक्त भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि किसान इस मुल्क की बद्किस्मत कौम है। मैं तो किसान को एक कौम कहता हूं। जब उसके ऊपर सरकार या बैंक का पैसा होता है, उसके जानवर बेच दिये जाते हैं, उसको जेल में डाल दिया जाता है। जब उसका पैसा मिल-मालिक पर होता है तब उसका कोई हल नहीं होता है। जब वह अपना गन्ना डाल चुकता है तब उसे कोई इन्टरेस्ट नहीं मिलता है और उस गरीब को बन्द कर देते हैं, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। मिल-ओनर्स आपके नोटिफिकेशन का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन करते हैं तब उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, तब तहसील का कोई आदमी नोटिस लेकर जाने वाला नहीं है कि उन्हें भी लॉक-अप का मजा मिलना चाहिए।

मेरे कुछ साथियों ने जो मामला उठाया है, मैं समझता हूं वह सही उठाया है। जहां माड-

नाइजेशन की जरूरत है मिल की, वहां एक्सपेन्शन की भी जरूरत है आपने एक्सपेन्शन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है। हमारा अपने यहां सहारनपुर का तर्जुबा है कि जिन मिल्स की कपेसिटी 1250 लाख टन है, वे मिल कोई ज्यादा प्रॉपिटेबल नहीं समझी जाती उनकी मिनिमम कैपेसिटी दो हजार लाख टन तक पहुंचनी चाहिए। मैंने एक खत भी मिनिस्टर सहाब को लिखा था, उम्मीद है उन्हें मिला होगा।

मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बिल से यह अन्दाज होता है कि कोई खास सैक्शन को फायदा पहुंचाने के लिए यह बिल लाया गया है। मैं माफी चाहता हूं अगर मेरी यह बात बुरी लगी हो। इसके अन्दर जो किसानों को राहत पहुंचाने वाली बात हो सकती है, वह नहीं है। आपका यह नोटिफिकेशन है कि जिन मिल्स के ऊपर 10 फीसदी से ज्यादा किसानों का बकाया रह जायेगा, उन मिल्स को ए-डमिनिस्ट्रेशन गवर्मेन्ट टेक-अप कर लेगी।

मैं समझता हूं ज्यादातर मिलें आज ऐसी हैं जिन के ऊपर किसानों का दस परसेंट से ज्यादा बकाया है लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आज भी किसानों को मामूली से कर्जे के लिए तहसील के लाक आउट में बन्द कर दिया जाता है। कानून के मुताबिक अगर वह कर्ज अदा नहीं कर पाता है। लेकिन किसानों का पैसा आपके नोटिफिकेशन के मुताबिक उस लिमिट से भी ज्यादा है जो आपने तय की है तो क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। कोई न कोई उनके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिये। उनको भी एहसास होना चाहिये कि किसानों का गरीबों का कोई नाम लेने वाला है, उनका भला सोचने वाली सरकार है।

एक टैगिंग का सिलसिला होता है, एनुअल टैगिंग होता है। उस में मिल ओनर्ज के नुमाइंदे होते हैं, किसान यूनियनों के होतें हैं, गवर्नमैंट के होते हैं, बैंक्स के होते हैं। वहां पर एक एग्रीमैंट हो जाता है कि इस साल में इतना रुपया बैंक एडवांस करेंगे, मिलों को कुछ रुपया एडवांस करेंगे, कुछ रुपया यूनियनों को भी उस में से दिया जाएगा। हमारे यहां भी 6-7 मिलें हैं लेकिन आज तक कोई पैसा उनको नहीं मिला है, यूनियंज को नहीं मिला है। इसके बरअक्स होता यह है कि यह जो आपका कानून है कि चौदह दिन के अन्दर किसान का पेमैंट हो जाना चाहिये इस चौदह दिन के अन्दर तो होता ही नहीं है और अब एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। कानून किसान के लिए है, मिल ओनर्ज के लिए, बड़े आदमियों के लिए नहीं है। किसान युनाइटेड नहीं है, वह मजबूर है, वह कोई एफर्टस कर नहीं सकता है, हंगामा कर नहीं सकता है, पैसा दे कर इलैक्शन लड़वा नहीं सकता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। मिलों की तरफ से उनको चैक काट दिए जाते हैं। किसान के नाम चैक काट दिए जाते हैं ताकि पकड़े न जाएं और किसान चैक लिए हुए घूमता फिरता रहता है लेकिन पेमैंट उसका नहीं होता है, वह भुनता नहीं है। चौदह दिन के अन्दर भुगतान हो जाना चाहिये यह आपका कानून कहता है। एक स्पेसेफिक मिसाल मैं आपको देता हूं। हमारे यहां देवबन्द की मिल है। उस पर 99 लाख रुपया हमारे किसानों का बकाया है। उन्होंने दस जुलाई को चैक काट दिया। नौ अगस्त तक सिर्फ 34 लाख का पेमैंट हुआ। आज भी किसान लोग अपने चैक लिए हुए फिर रहें हैं, उनको पेमैंट नहीं हो रहा है। खुल्लम-खुल्ला कानून का उल्लंघन हो रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं। कानून का उल्लंघन करने पर किसान को तो

जेल हो सकती है लेकिन यहां मिल-मालिकों को तो मजीद मुराआत दी जा रही हैं। इसके बजाय उनको भी जेल का मुंह आपको दिखाना चाहिये ताकि उनको भी अंदाजा हो सके कि कानून का उल्लंघन करने पर क्या होता है। पूरे का पूरा आप देखेंगे तो पता चलेगा कि किसान को कोई फायदा नहीं मिल रहा है।

आपने स्टेटमैंट आफ आवजैक्ट्स एंड रीजंज में खुद माना है कि कीमतें कुछ बढ़ी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कीमतें बढ़ेंगी तो उनका असर किन लोगों पर पड़ेगा ? हिन्दुस्तान की 95 पर-सेंट से भी ज्यादा आबादी पर पड़ेगा, किसानों को राहत न दिए जाने से, दोनों को मिला कर, किसानों को और कंज्यूमर्ज को मिला कर। इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिये। उसका पैसा किस तरह से मिलों से निकलना चाहिये ? सैंटर का इसके बारे में कानून नहीं हो सकता है तो आप स्टेट्स को कहें कि वे कानून बनाएं। जहां चीनी मिलें हैं वहां तो ज्यादा तर आपकी पार्टी की ही सरकारें हैं। उनको आप कह सकते हैं कि वे सैंट आफ का कानून बना सकती हैं, जिन के पास गन्ने के पैसे की पर्चियां मौजूद हैं और उनके ऊपर कर्ज भी है उनको तो कम से जेल न भेजा जाए, वे आकर अपनी पर्चियां तहसील में डिपाजिट कर दें, ताकि उनको जेल न हो और उनका कर्जा सैंट आफ हो जाए। इस तरह का कानून क्या बन नहीं सकता है?

एक और मिसाल मैं देता हूं। यह सूद के बारे में है 1978 में भानु प्रताप सिंह जी स्टेट मिनिस्टर थे। उन्होंने एलान किया था कि किसानों का जो पैसा बकाया है मिलों की तरफ या कोओप्रेटिव्ज की तरफ उस पर उनको सूद दिलाया जाएगा। वह सूद आज तक नहीं मिला है।

मैं इस में ज्यादा नहीं जाऊंगा। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इन चीजों पर आप ध्यान दें। एक्सपैंशन का भी होना चाहिये। कौन सी एजंसीज होंगे जो इस तरीके से क्लैकशन होगा उसके लिए जिम्मेवार होंगी ? यह साफ नहीं है या मैं इसको समझ नहीं सका हूं। किस तरह पर आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला इवाल्व करेंगे जो लोगों को मिलों को देना होगा ? क्या क्राइटीरिया होगा जो माडर्नाइजेशन या एक्सपैंशन के लिये आप बढ़ायेंगे ? यह दो चार चीजें ऐसी हैं, जिन पर सोचने की जरूरत है।

जब आपने यह कर दिया है, और बिल लाये हैं तो कुछ न कुछ जब डिस्ट्रीब्यूशन का मसला आये, इसमें कोई कमेटी ऐसी होनी चाहिये जिसमें किसानों के नुमाइन्दे भी शामिल हों। मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं कि हमें शक है कि यह ईमानदारी के साथ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनको इसकी जरूरत है। लिहाजा जब कमेटी बनायें, एसेस करें कि किन-किन मिल का एक्सपैंशन और माडर्नाइजेशन होना चाहिये और उसमें किसानों के नुमाइन्दे भी रहें ताकि किसान भी अहसास करें कि जिस मिल में वह अपना गन्ना बेचता है, वह ठीक है। हो सकता है आप सब कमेटी मिल के लेबल पर बनायें उनके पास से रिकमैंडेशन आये कि यह खराबी है। मैं जानता हूं कि किसान अभी तक उतना पढ़ा लिखा नहीं है कि टैक्नीशियन्ज और ब्यूरोक्रेट्स के मुकाबले में अपनी राय इजहार करे, वहां से तो वही रिकमैंडेशन्ज आयेंगी जो ब्यूरोक्रेसी चाहेगी, मिल ओनर्स चाहेंगे, लेकिन इनके नुमाइन्दे रहने पर इतना जरूर होगा कि कल किसान को जब

अहसास होगा, आज किसान के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वह जब पढ़-लिखकर काबिल हो जायेंगे तो सारी बातों को समझने लगेंगे तो मैं समझता हूं कि उन्हीं मिलों को यह पैसा एक्सैपशन और माडर्नाइजेशन के लिये मिलेगा जिन को किसान ईमानदारी से समझेंगे कि यह किसान की खिदमत कर रहे हैं। उन मिलों को नहीं मिलेगा जो किसान समझ रहा है कि उनके मालिक किसानों को लूट रहे हैं।

मैंने मिसाल दी है देवबन्द के मिल की, आप वहां की इन्कवायरी कर लें, क्या हालत है। इसमें अगर आप किसानों के डैवलपमैंट के लिये भी कुछ प्रावीजन रख दें तो बहुत अच्छा हो। बाकी सारी चीजें कही जा चुकी हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि आप ठंडे दिल से गौर करेंगे ताकि किसान के इन्टरेस्ट की बात इसमें आ जाये।

आपने बफर स्टाक का भी बताया कि 32 लाख टन के करीब बचता है क्योंकि आपकी कंजम्पशन 55,56 लाख टन है इसलिये 32 लाख टन तो बचता है, और आप 5 लाख टन और चाहते हैं। अगले साल का अच्छा रहेगा और ज्यादा हो जायेगा। यह साइकिल है, 4,5 साल के बाद आती है उसमें कमी पूरा हो सकती है।

जब बफर स्टाक करना आप शुरु करेंगे और मुस्तकिल फीचर बना लेंगे कि स्टाक के लिये खरीदना है तो उसमें यह पासिब्लीटीज भी देखनी चाहिये कि कहां-कहां हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं।

जिस तरह से आयल प्रोडयूसिंग कंटरीज ने अपनी एसोसियेशनज बनाली हैं, एक्सपोर्ट के लिये आप भी शुगर प्रोडयूसिंग कंटरीज की एसोसियेशन बना लें तो मिलकर इन्टरनेशनल प्राइस को कन्ट्रोल कर सकेगा ताकि हर आदमी को अपने यहां से एक्सपोर्ट करने में परेशानी और दिक्कत न हो।

इसलिये इस पर आप गौर फरमायें, क्यों नहीं इंडिया इस मामले में इनीशियेट करे कि शुगर इंडस्ट्री की एसोसियेशन बने।

इसके साथ मैं इस बिल का आधा समर्थन करता हूं और आधा विरोध करता हूं।

राव बीरेन्द्र सिंह : कन्टरीज का नेशनल शुगर एग्रीमैंट है, उसके मुताबिक होता है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटुर) : मैं इस विधेयक के पक्ष में हूं, मैं सामान्यतः सरकार की नीतियों का पक्षधर हूं। इस नीति के अनुसार निर्धनतम उपभोक्ताओं तथा निर्धनतम किसानों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। इसी बीच मिल मालिकों को हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए ताकि वे कारोबार छोड़ दें। लेकिन स्पष्ट बात यह है कि न केवल इस सरकार ने बल्कि जनता सरकार ने भी यही बात कही थी। उन्होंने भी इसी नीति का पालन किया था।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : लेकिन वे प्रगतिशील नहीं थे।

प्रो० एन० जी० रंगा : साथ ही साथ, किसान सन्तुष्ट नहीं हैं। मिल मालिक संतुष्ट नहीं हैं। निर्धनतम किसानों की बहुत सीमा तक ठीक सेवा की जा रही है।

लेकिन, औद्योगिक मजदूर, जो चीनी उद्योग में कार्यरत हैं, संतुष्ट नहीं हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री चित्त बसु चीनी मिलों को दोष देंगे और उसके बाद कहेंगे कि वे लोग ही पैसा बना रहे हैं। सभापति महोदया, मैं अपने किसानों को सहकारी चीनी मिल सहयोगी समिति संगठित करने के लिये मना रहा हूं, लेकिन हमें उन स्थानों पर सफलता नहीं मिली है जहां हम किसानों के नाम में लाइसेंस प्राप्त करने की स्थिति में थे यह बहुत ही मुश्किल काम है।—

यदि विलम्ब होता है, तो वे पर्याप्त संख्या में पूंजी शेयर इक्ट्ठा नहीं कर सकते ताकि काम आगे बढ़ाया जा सके। जहां कहीं उन्हें थोड़ी बहुत सफलता मिली है वहां वे चीनी मिल स्थापित करने के लिए पर्याप्त निधि जमा करने में सरकारी विशेषज्ञों का समाधान नहीं कर सके। इस समय चीनी मिल स्थापित करना एक बहुत बड़ी बात है। करोड़ों रुपये की जरूरत होती है। चीनी मिल स्थापित करने में लगने वाले कुल धन का लगभग 75 प्रतिशत सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा खर्च किया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इन वित्तीय संस्थाओं के प्रभारी हैं, वे ऐसी शर्तों निर्धारित करेंगी कि सहकारी समितियों के ग्रुपों अथवा किसानों के समूह उन सभी शर्तों का समाधान कर सकते हैं और उनसे धन प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें ही काफी समय लगता है। तत्पश्चात्, उन्हें चीनी मील की मशीनों के निर्माताओं के पास मशीनें खरीदने के लिए जाना पड़ता है। इन सारी प्रक्रियाओं में विलम्ब होता है। अत: इसमें लगभग 5 वर्ष अथवा कभी-कभी 6 वर्ष भी लग जाते हैं। दूसरे, कारखानें आधुनिक प्रणाली पर चलाए जाते हैं। प्रबन्धक काफी वेतन लेते हैं तथा निदेशक तथा अन्य कर्मचारी भी काफी वेतन लेते हैं। उन्हें भी संतुष्ट करना होगा तथा लाभ कमाना होगा। वे लाभ न केवल स्पष्ट तरीके से कमाते हैं, बल्कि अस्पष्ट तरीके से भी कमाते हैं। यदि आप इसे केवल चीनी विनिर्माताओं के पक्ष से देखेंगे तो वे प्रभारी मंत्री को संतुष्ट कर देंगे।

अब, वे अधिक पैसा अर्जित नहीं कर रहे हैं, यद्यपि मैं समझता हूं कि उन्होंने काफी पैसा अर्जित किया है। उनके पास उप-कंपनियां होती हैं तथ. विभिन्न उप-उत्पादों के जरिये वे पैसा कमा लेते हैं, जो चीनी के उत्पादन के दौरान तैयार होते है जैसे छोया, स्पिरिट शराब तथा विभिन्न अन्य सामग्रियां। इन सभी वस्तुओं का लेखा-जोखा नहीं रहता। वे अपनी उप-कंपनियों का अपना तुलन-पत्र दिखाते हैं। इस तरीके से वे काफी धन उपार्जित करते हैं। वे इसे अपने मंत्री और उनके अधिकारियों को भी नहीं दिखाते। हम इन सभी चीजों की गणना नहीं कर सकते।

जहां सरकरी चीनी मिले हैं, वहां वे उप-कंपनी स्थापित करने की स्थिति में नहीं है, इसके बाद हम किसानों पर आते हैं। जब श्री रफी अहमद किदवई खाद्य और कृषि मंत्री थे तब उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह किया था कि उन्होंने सुझाव दिया था कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार के अन्य सभी मिलों को उनका समय समाप्त हो जाने पर बन्द हो जाने दिया जाए। इसके बाद, नई मिलें खोलने की अनुमति केवल उन राज्यों जैसे महाराष्ट्र आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक, जहां के गन्ना में शक्कर की मात्रा अधिक है, दी जाए। लेकिन उत्तरप्रदेश और बिहार, जो गन्ना का उत्पादन कर रहे हैं,। में हुए विस्तार का क्या होगा। इसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें

अन्य फसल उगाना चाहिए। लेकिन अन्य फसल लाभप्रद नहीं है जितना कि गन्ना लाभप्रद है। ये लोग कई पीढ़ियों से गन्ना की फसल उगा रहे हैं और आप उनसे यों ही नहीं कह सकते कि आप गन्ना के स्थान पर अन्य फसल उगाएं। इसलिए वह विचार छोड़ देना पड़ा। अब हमें उसका यह कीमत चुकाना पड़ रहा है। गंगाजी और यमुनाजी के पवित्र जल से जो गन्ना पैदा किया जा रहा है उसमें शक्कर की मात्रा कम है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मुझे नहीं मालूम है कि हिमालय तथा हिमालय से निकलने वाली नदियों का पानी जिस भूमि से होकर बहता है उस मिट्टी में क्या कमी है। परन्तु शक्कर की मात्रा कम है। शकर की मात्रा महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश तथा अन्य दक्षिणी राज्यों में ज्यादा है। सरकार को दक्षिणी भारत में उत्पादन का भी ध्यान रखना होगा तथा गंगा की घाटी में उत्पादन का भी ताकि कहीं संतुलन स्थापित किया जा सके। कठिनाई तभी उत्पन्न होती है।

इसके बाद किसानों द्वारा उपजाए गए पूरी गन्ना की पिराई करने के लिए पर्याप्त संख्या में चीनी मिलें नहीं हैं। अतः किसानों को खाण्डसारी और गुड़ निर्माताओं पर निर्भर रहना पड़ता है और हमारे माननीय मित्र श्री राजगोपाल नायडू गुड़ के उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक अलग संस्था बनाने की सिफारिश कर रहे हैं। अभी तक, सरकार ने इसके लिए कोई बोर्ड स्थापित नहीं किया है। इसकी आवश्यकता है और मैं आशा करता हूं कि वे एक अलग बोर्ड की स्थापना करने हेतु समय पर कदम उठाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके लिये न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जा सके तथा जब गुड़ का अधिक उत्पादन हो तब गुड़ की बिक्री तथा भंडारण की उचित व्यवस्था की जा सके। खांडसारी कारखानें भी हैं। एक खान्डसारी कारखाना स्थापित करने में 25 लाख रुपये से अधिक लगता है। इतना ही पर्याप्त नहीं है। इन सभी दावों तथा प्रति दावों में संतुलित स्थापित करना होगा, जहां पर मंत्री के समक्ष कठिनाई होती है मेरे माननीय मित्र श्री चित्त बसु चाहते हैं कि इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। मैं भी चाहता हूं। कि इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। लेकिन राज्य संचालित कारखानों तथा उद्योगों की क्या हालत है। उसका परिणाम यह होगा कि इससे हमारे मित्र, जो साम्यवादी हैं तथा अन्य उनसे सम्बन्ध व्यक्तियों, के हितों की रक्षा होगी, क्योंकि वे आसानी से श्रमिकों के ग्रुप संगठित कर लेंगे और उन्हें आसानी से दिग्भ्रमित किया जा सकेगा, जैसा कि आज बम्बई में मजदूरों को किया जा रहा है और देश की वही स्थिति हो जायेगी जैसा कि आजकल भारतीय खाद्य निगम की हो रही है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह मजदूरों का अपमान है।

प्रो० एन० जी० रंगा: इससे बर्बादी होगी। कुप्रबंध होगा। इससे भ्रष्टाचार फैलेगा और सबसे अधिक इससे स्थापना व्यय में काफी वृद्धि होगी। और मजदूरों की मांगों का ऐसा सिलसिला होगा कि सरकार के लिये मिलों का प्रबन्ध करना मुश्किल हो जायेगा।

इसलिये, सरकार के दृष्टिकोण से, चाहे वह सरकार कोई भी हो, समाज वादी हो अथवा आपकी सरकार हो, अथवा फारवर्ड ब्लाक की सरकार हो अथवा मेरी पार्टी की समाजवादी

प्रजातंत्रात्मक सरकार हो और किसानों के दृटिष्कोण से भी बेहतर यही होगा कि इसका राष्ट्रीय करण न किया जाये।

राव बीरेन्द्र सिंह : पश्चिम बंगाल में कितने मिलों का राष्ट्रीकरण किया गया है।

प्रो० एन० जी० रंगा : इसीलिये वे बचते घूम रहे हैं।

श्री चित बसु : आपने कितने की अनुमति दी है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : आपने कितने की, अनुमति चाही थी ?

प्रो० एन० जी रंगा : प्रिय दोस्त, उद्योगपति पश्चिम बंगाल से भाग रहे हैं। अनेक उद्योगों को पश्चिम बंगाल में धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है।

प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आप महात्मा गान्धी के अनुयामी हैं। मैं महात्मा गान्धी के भाषणों से उद्धरण दे सकता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीयकरण की वकालत की थी। (व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय, मैं राष्ट्रीयकरण का विरोधी नहीं हूं। लेकिन राष्ट्रीयकरण तभी हो जब सभी पार्टियों की राष्ट्रीय सरकार जिसके नेतागण देशभक्ति तथा सहकारी एवं सहयोग की भावना से काम करें। दुबारा प्रबन्ध किया जाए न कि उस तरीके से जैसा कि जनता पार्टी के शासनकाल में कुप्रबन्ध था। राष्ट्रीयकरण के शायद अच्छे परिणाम निकलें। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रीयकरण से केवल आन्दोलनकारियों और पृथकतावादी राजनेताओं को ही लाभ होगा। अतः चीनी का सुरक्षित भंडार बनाने के बारे में मेरे मित्र ने ठीक ही सोचा है। मुझे खुशी है कि इस वर्ष अतिरिक्त उत्पादन होगा। यह अतिरिक्त उत्पादन भंडार में रखा जाना चाहिये। निर्यात करने की बजाये हमें ऐसा ही करना चाहिये क्योंकि निर्यात से बहुत कम पैसे मिलते हैं और हम बहुमूल्य वस्तु से वंचित होते हैं। भण्डारण के व्यय बढ़ते जाते हैं। यह व्यय निर्धन लोगों द्वारा नहीं वरना अमीर लोगों द्वारा वहन किया जाना चाहिये। निर्धन लोगों पर इसका बोझ नहीं डालना चाहिये। हमारी यह सरकार तो ऐसा ही कर रही है (व्यवधान)। यदि आप में देश भक्ति की भावना है तो आप की निर्धन लोगों पर बोझ न डालने की नीति का समर्थन करना चाहिये।

मेरे मित्र श्री भानू प्राप सिंह किसानों के हितों को संरक्षण देते रहे हैं। लेकिन किसानों के लिए मुझे लखनऊ जाकर जुलूस का नेतृत्व करके लाठियां खानी पड़ीं। देश में करोड़ों किसान और उत्पादक हैं लेकिन वे असंगठित हैं। अपने हितों का संरक्षण नहीं कर सकते। लेकिन निर्माता संगठित हैं, उनके पास सत्ता है और संगठित श्रम भी उनका समर्थन करते हैं। वे उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों का शोषण करते हैं। इन परिस्थितियों में अच्छी बात यही होती कि सरकार पहले ही सुरक्षित भंडार बनाने का प्रस्ताव लाती ताकि उत्पादन में कमी होने से व्यापारी उपभोक्ताओं मिल मालिकों और उत्पादकों का शोषण न कर सकें। तीनों ही पक्ष यह समझें कि उनके साथ न्याय हो रहा है।

राव बीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, इन दो विधेयकों से अधिनियम में साधारण संशोधन

किये जाने हैं लेकिन माननीय सदस्यों ने इस मामले में बहुत रुचि दिखाई है और प्रस्तावित उपायों पर काफी प्रकाश डाला है ।

गन्ने की बकाया राशि पर सभा में काफी समय तक विस्तार से चर्चा हुई है। इस वर्ष गन्ने की बकाया राशि 43 करोड़ रु० है जो 4.97 बैठती है । श्री मधुकर, श्री जायनल अबेदीन और श्री रशीद मसूद ने कहा है कि सरकार ने काफी कुछ नहीं किया है और चीनी उपकर और चीनी निधि अधिनियम में ये संशोधन लाये हैं । क्योंकि बकाया राशि 101 से कम है अतः श्री मसूद का कहना अनुचित है । यदि यह इस से अधिक हो तभी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्रावधान है । लेकिन मैंने उन नियमों के नाम भी बताये हैं जिन्होंने काफी राशि देनी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें यथाशीघ्र पैसा मिल सके ।

चीनी का सुरक्षित भंडार बनाने के सरकारी निर्णय से यह संशोधन जरूरी हो गया है । मुझे खुशी है कि श्री चित्त बसु, श्री बालासाहिब विखे पाटिल, प्रो. एन. जी रंगा ने इस का स्वागत किया है । जनता पार्टी ने अच्छी फसल के समय ऐसा न करके गलती की थी । उस समय चीनी के मूल्य बढ़ गये थे । अब भारत सरकार की नीति इतनी सफल है कि भारत अब चीनी उत्पादन में शीर्षस्थ स्थान पर है । उत्पादन 38 लाख से बढ़कर 84 लाख टन हो गया है । गन्ने की पिराई भी 40 से 50% तक हुई है जो पहले 30 या 32 या 35% तक होती थी। इससे किसानों को सीधा लाभ हुआ है ।

यदि चीनी मिलें इस गन्ने की भरपूर फसल का उपयोग न करती तो क्या होता । किसानों को हानि होती उत्पादन कम होता और हमारी कठिनाई बढ़ जाती ।

एक आरोप लगाया गया है कि सरकार का रवैया मिल मालिकों की ओर नरम रहा है । यदि हम ऐसा न करते तो श्री चित्त बसु को आज चीनी 4.50 रु० किलो न मिलती ।

खुले बाजार में चीनी 5 रु० किलो से कम दाम पर मिल रही है । लेकिन मिलों की क्रियाशीलता को देखना भी सरकार का कर्त्तव्य है । मिलों और किसानों के हित सांझे हैं । यदि मिलें नहीं चलेंगी तो देश में गन्ना ही नहीं बोया जायेगा ।

प्रो० रंगा ने गुड विकास बोर्ड स्थापित करने को कहा है । अभी हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। यद्यपि यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है । आशा है कि चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाये जाने से गन्ने से गुड़ बनाने की मात्रा में कमी होगी । मैं तो चाहता हूं कि खंडसारी बनाने वाले भी चीनी बनाने लगे ताकि चीनी का उत्पादन बढ़ सके ।

प्रो० मधु दण्डवते : लेकिन लघु चीनी मिलें नहीं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : यदि सम्भव हो तो हम लघु चीनी मिलों के बारे में भी विचार कर सकते हैं । यदि हम लघु सीमेंट संयंत्र सफलतापूर्वक लगा सकते हैं तो लघु चीनी मिलें क्यों नहीं लगा सकते । लेकिन हम विचार कर रहे हैं कि क्या हमारे पास उसके लिए जरूरी प्रौद्योगिकी है और क्या ऐसी मिलें लाभदायक रहेंगी ।

उपकर में वृद्धि के प्रभाव के बारे में प्रश्न किया गया है कि इसे 14 रु० प्रति क्विंटल

तक किया जाये। इस से लेवी चीनी के मूल्य में निश्चय ही वृद्धि होगी। पैसा जुटाने के लिए ही हम संशोधन लाये हैं। हो सकता है लेवी चीनी में 1 पैसे की ही वृद्धि हो।

श्री चित्त बसु : असली बात का पता अब लगा है।

प्रो० एन० जी रंगा : लेकिन मित्र वृद्धि अधिक नहीं होगी।

राव बीरेन्द्र सिंह : लेकिन पैसा कहां से आयेगा। कई बार श्री चित्त बसु चौंकाने वाले आंकड़े देते हैं। उन्होंने कहा कि गन्ने की कीमत किसान को 22 रु० क्विंटल मिलते हैं जब कि चीनी बनाने की लागत 4 रु० प्रति किलो है।

श्री चित्त बसु : नहीं 4 रु० प्रति क्विंटल।

राव बीरेन्द्र सिंह : प्रति क्विंटल कितना बैठता है। इस बारे में अध्ययन

श्री चित्त बसु : यदि 26 रु० प्रति क्विंटल है तो प्रति किलोग्राम लागत क्या है।

राव बीरेन्द्र सिंह : नहीं। यह प्रति क्विंटल 88 रु० बैठती है। तो यह 88 पैसा प्रति किलो हुआ। सीधा हिसाब है। यद्यपि आप ने उसे गन्ने की उत्पादन लागत आधा बना दिया था।

श्री राम विलास पासवान : इस के लिए क्या कोई कमेटी है जो इसको देखती है।

राव बीरेन्द्र सिंह : जिस समिति ने इस बारे में कार्य किया उसका प्रतिवेदन यह है।

श्री राम विलास पासवान : क्या कोई कमेटी नहीं है जो ग्रेवर्स को भी देखे, इंडस्ट्रीज को भी देखे और प्राइस में रेशनेलिटी लाए।

राव बीरेन्द्र सिंह : सब कुछ देखा जाता है। ए० पी० सी० भी इसी के लिए बैठी है, ब्यूरो आफ इंडस्ट्रियल आफ प्रोडक्शन भी यही काम करता है, उनसे भी रिपोर्ट लेते हैं।

श्री चित्त बसु : यह किसान विरोधी परिषद है।

राव बीरेन्द्र सिंह : कम से कम श्री चित्त बसु ने बफर स्टॉक बनाने के निर्णय का स्वागत किया है। वे एक बड़ा बफर स्टॉक भी बनाना चाहते हैं। संभवतः, वे चाहते हैं कि देश में जितनी चीनी बनती है उसका सरकारी नियंत्रण के अधीन बफर स्टाक बना दिया जाए। लेकिन, साथ ही साथ वे मिलों को कुछ देना नहीं चाहते। मिलें चीनी नहीं बेच सकेंगी। उन्हें चीनी का सारा स्टाक सरकार के लिए रख देना चाहिए और यह बहुत बड़ा बफर स्टाक होगा। इसका यही अभिप्राय है कि चीनी मिलों को बन्द कर देना चाहिए।

श्री चित्त बसु : उन्होंने काफी धन अर्जित कर लिया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : यदि सरकार बफर बनाना चाहती है तो लागत...होगा। (व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : इस मुद्दा पर एक स्पष्टीकरण .....(व्यवधान) यदि बफर स्टाक बनाना आवश्यक है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप लेवी चीनी के कोटा को ही क्यों नहीं बढ़ा देते .....(व्यवधान) ताकि सरकार स्वयं बफर स्टाक रख सके।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं उस मुद्दा पर आ रहा हूं। इन वफर स्टाकों को रखने के लिए बैंक

वित्तीय सहायता देंगी । मिलों को शत प्रतिशत चीनी बैंकों के पास रखने पर ही उनसे ऋण मिलेगा । लेकिन उन्हें ब्याज देना होगा, सरकार को ब्याज की प्रतिपूर्ति मिलों को करनी होगी । धारक प्रभार.....(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : आप उत्पादकों की बकाया राशि पर ब्याज नहीं देते हैं ...(व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : उस मुद्दे पर कल विस्तार पूर्वक चर्चा हो गई है ।

श्री चित्त बसु : उस मुद्दे को आपको ध्यान में रखना चाहिए ।

राव बीरेन्द्र सिंह : गन्ना की बकाया राशि पर मिलों द्वारा ब्याज का भुगतान करना सरकार के लिए चीनी का स्टाक रखने के लिए मिलों द्वारा बैंकों को ब्याज देने से बिल्कुल भिन्न है । मिलों को सरकार गोदामों, भंडारों तथा सभी चीजों के लिए केवल 1 प्रतिशत धारण शुल्क देगी और इससे 50 करोड़ रुपये प्राप्त होगा व मिलों को मिलने वाले इस 50 करोड़ रुपये का उपयोग उनके द्वारा किसानों को गन्ने की बकाया राशि का भुगतान करने में किया जाएगा । मूल अधिनियम के अधीन हम जो 30 करोड़ से 35 करोड़ रुपये जमा करना चाहते थे, उसका उपयोग बीमार मिलों के आधुनिकीकरण तथा पुनर्वास पर किया जाएगा ।

श्री रशीद मसूद और अन्य सदस्य यह भी चाहते हैं कि इस धन को गन्ने के विकास हेतु भी उपलब्ध कराया जाए । इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता । इसका उपयोग अनुसंधान प्रयोजनों तथा गन्ने के विकास के लिए किया जा सकता है । इससे गन्ना उत्पादकों को लाभ पहुंचेगा और यदि उनका आधुनिकीकरण कर दिया गया तो मिलों की क्षमता में वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप वे बेहतर मूल्य दे सकेंगे, जैसा कि माननीय सदस्य स्वीकार कर चुके हैं । इस पैसे का उपयोग मिलों को और कार्यकुशल बनाने के लिए किया जाएगा ताकि वे किसानों को गन्ना का बेहतर मूल्य दे सकें । हमने उदारवादी नीति अपनाई है । हम विस्तार के आवेदनों पर विचार कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा गन्ना का उत्पादन किया जा सके ।

लेवी चीनी तथा मुक्त बिक्री चीनी का अनुपात सरकार के विचाराधीन है । हम शीघ्र निर्णय लेने जा रहे हैं । लेकिन मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि लेवी चीनी का वर्तमान 65 प्रतिशत अनुपात को बढ़ा दिए जाएगा क्योंकि इस वर्ष चीनी का बहुत उत्पादन हुआ है । हम आशा करते हैं कि आगामी वर्ष भी अच्छा उत्पादन होगा । यदि हमारे पास पर्याप्त चीनी है तो हम मिलों से और अधिक लेवी चीनी क्यों लें । इससे मिलों के पास खुले बाजार में बेचने के लिए थोड़ी चीनी बचेगी जिससे खुले बाजार में चीनी की कीमत बढ़ेगी । अतः हमें उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रखना होता है और आपको मालूम है कि सरकार उपभोक्ताओं के हितों की कैसे रक्षा कर रही है । खुले बाजार में चीनी की, आज की कीमत का उल्लेख मैं कर चुका हूं । इससे पता चलता है कि जबकि हम गन्ना उत्पादकों को अच्छा मूल्य सुनिश्चित कर रहे हैं, साथ ही साथ लेवी के माध्यम से उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर चीनी की सप्लाई कर रहे हैं तथा खुले बाजार में भी सस्ती दर पर चीनी बेची जा रही है । हम यह नहीं चाहते हैं कि मिलों पर इतना दबाव डाला जाए जिससे चीनी उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़े ।

हम आशा करते हैं कि उपकर के जरिये जो धन हम जमा करना चाहते हैं उसका उपयोग अन्ततः चीनी उद्योग का विकास करने में किया जाएगा ताकि गन्ना उत्पादकों को लाभ पहुंचाया जा सके। एक उच्चस्तीय समिति गठित की जाएगी जो इस निधि को उपयोग एवं वितरण को देखेगी। कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस समिति में किसानों को भी सहयोजित किया जाए ताकि इस निधि का उपयोग इस तरह किया जा सके कि किसानों के हितों पर आघात न पहुंचे। इस उच्चस्तरीय समिति में दो विशेषज्ञों को सम्मिलित करने का उपबंध है और हम यह शुनिश्चित करेंगे कि किस प्रकार के विशेषण को इस समिति में शामिल किया जाए। लेकिन नियम बनाए जा रहे हैं और उन नियमों को सभा पटल पर रखा जाएगा और जब उन नियमों को सभा पटल पर रखा जाएगा तब आप देख सकते हैं कि वे नियम आपकी पसन्द के हैं अथवा नहीं। नियम बन जाने पर, मैं आशा करता हूं कि सभी सदस्य संतुष्ट हो जाएंगे (व्यवधान)। विशेषज्ञ वहां होंगे, लेकिन हम यह देखेंगे कि क्या आवश्यक है।

जैसा कि मैं कह चुका हूं बकाया राशि बहुत ज्यादा नहीं है। 83 करोड़ रुपये की बकाया राशि में से 10 करोड़ रुपये 14 दिन के अन्दर का भुगतान है और इस तरह हमारे नियमों के अनुसार केवल 70 करोड़ रुपये ही बाकी हैं लेकिन मिलों को जो अतिरिक्त धन मिलेगा, इससे वे बकाया राशि का भुगतान कर सकेंगे।

ऐसा कहा गया है कि कुछ चैकों पर भुगतान नहीं दिया जा रहा है। श्री मसूद द्वारा उल्लिखित देवबन्द मिल के मामले में हम इस मामले की जांच करायेंगे। आखिरकार, यह राज्य सरकार का उतरदायित्व है। जैसा कि मैं बार-बार कह चुका हूं कि हम राज्य सरकारों को मनाने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें परामर्श देते हैं कि वे भुगतान न करने वाले मिलों के विरुद्ध कार्र-वाई करें। श्री विखे पाटिल तथा अन्य कुछ मित्रों ने शीरा आयात की वकालत की है। शीरा माननीय मित्र वसन्त साठे के नियंत्रणाधीन है। लेकिन हमें विभिन्न रसायनों के निर्माण के लिए अल्कोहन की आवश्यकता को भी ध्यान में रखना होगा। इसका आयोग औषधियों के निर्माण में भी होता है। यदि अल्कोहल के मूल्य में वृद्धि होगी तो इसका प्रभाव आवश्यक वस्तुओं पर भी पड़ेगा। लेकिन सिद्धान्त रूप से हम इस बात के लिए सहमत हो गए कि कुछ मात्रा में शीरा का निर्यात किया जाए।

एक प्रश्न उठाया गया है कि कृषि मूल्य आयोग की गन्ने का सांविधिक मूल्य 15.50 रुपये तय करने की सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई है। खेद है कि माननीय सदस्य हमारा दृष्टिकोण समझ नहीं रहे हैं। कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश पर हमने जो मूल्य निश्चित किया है वह उस मूल्य के बिल्कुल संगत नहीं है जो हम किसानों को मिलों से दिलवाना चाहते हैं। जबकि गत वर्ष मूल्य 10 रुपये था, हमने देखा कि किसानों को 20 रुपये/- 21 रुपये/- 22 रुपये /- मूल्य प्राप्त हुआ—यहां तक कि देश के कुछ भागों में किसानों को वर्ष 1980-81 में 25 रुपये/- अथवा 26 रुपये /- प्रति क्विंटल गन्ने का भाव मिला। हम पुनः सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को लाभप्रद मूल्य प्राप्त हो, लेकिन गन्ने का जो भी मूल्य निश्चित किया जाए, लेवी चीनी के मूल्य की अदायगी के संबंध में कारखानों के उत्पादन के

लागत की गणना करने के उद्देश्य किया जाए। उस आधार पर हम देखेंगे कि मिलें लेवी चीनी तथा मुक्त चीनी के लिए खुले बाजार में उपलब्ध मूल्य के बीच अन्तर को कितना कम कर सकते हैं। हमें यह भी देखना होगा कि मिलें ऐसे मूल्य दें जिससे कि वे घाटे में न पड़ें, और यही कारण है कि 65:35 का अनुपात तय करते समय हमें लेवी चीनी के लिए एक निश्चित मूल्य तय करना होता है और यह देखना भी पड़ता है कि खुली चीनी का बाजार में क्या मूल्य होगा और इस पर नियंत्रण रखने के लिए हम प्रत्येक मिल से सरकारी आदेश के तहत खुली चीनी बाजार में भेजते हैं और इस तरह प्रत्येक माह नियंत्रण रखकर चीनी के मूल्यों पर नियंत्रण रखते हैं। इस तरह हम मिलों के हितों पर नजर रखते हैं और किसानों तथा उपभोक्ताओं के हितों पर नजर रखते हैं। यह नीति बहुत ही सफल रही है। श्री चित्त बसु जी—आप अपने दिल में इसे जानते हैं। यह दूसरी बात है कि आप सभा में इसे स्वीकार नहीं करते हैं। मैं आशा करता हूं कि मैंने उन सभी मुद्दों को स्पष्ट कर दिया है जिन्हें माननीय सदस्यों ने उठाए हैं।

श्री चित्त बसु : यह विचारधाओं का युद्ध है।

राव बीरेन्द्र सिंह : ऐसा प्रतीत होता है कि आपके पास कोई विचारधारा नहीं है। वह कौन सी विचारधारा है जिसका हमारी विचारधारा से युद्ध है?

श्री चित्त बसु : हमारे पास केवल एक विचारधारा है, अर्थात् किसानों के हितों की रक्षा करना जिसका मिलों के मालिकों के हितों की रक्षा करने संबंधी विचारधारा से संघर्ष है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि चीनी उपकर अधिनियम 1982 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब सभा इस विधेयक पर खंड-वार चर्चा आरम्भ करेगी।

चीनी उपकर (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बना है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

श्री सुधीर गिरि (कन्टाई) : मूल अधिनियमों—चीनी उपकर अधिनियम और चीनी विकास अधिनियम—में चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और गन्ना विकास के नाम पर चीनी मिल मालिकों को लाभ देने की व्यवस्था की गई है । प्रस्तुत विचाराधीन विधेयकों में भी मिल मालिकों को लाभ देने का उपबंध किया जा रहा है । उपभोक्ता की कीमत पर चीनी के उत्पादन पर उपकर लगाया जा रहा है । परिणामतः मूल्य बढ़ जायेंगे और उपभोक्ताओं पर इसका भार पड़ेगा । इनका कुछ किसके हित के लिया किया जा रहा है । मिल मालिकों के हित में वे भारी लाभ कमायेंगे । सरकार इन्हें सहायता दे रही है क्योंकि वह सोचती है कि ऐसा करने से उन्हें मिल मालिकों से चुनाव-कोष में धन मिलेगा ।

सरकार मिल मालिकों और बड़े गन्ना उत्पादकों के लिए बहुत कुछ कर रही, परन्तु गन्ने के खेतों और मिलों में काम करने वाले श्रमिकों की क्या स्थिति है ? मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि सरकार द्वारा एकत्र किये जाने वाले इस उपकर राशि में से पर्याप्त भाग गन्ना के खेतों और चीनी मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण-कार्यों पर खर्च किया जाये ।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : इस संशोधनी विधेयक के समर्थन में मंत्री महोदय ने जो तर्क दिये हैं, उन पर मुझे आश्चर्य हुआ ।

हमें चीनी का रक्षित भडार बनाना चाहिए, इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती । इसके लिए चीनी पर उपकर लगाया जा रहा है जो उपभोक्ताओं से वसूल किया जायेगा । आनुषंगिक तथा अन्य प्रभार काटकर बैंकों द्वारा पूरी राशि का भुगतान मिलों को किया जायेगा । भंडार मिल-मालिकों के पास है । इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उठता है, सैद्धान्तिक दृष्टि से नहीं, बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से । लेवी चीनी का कोटा ही क्यों न उसी अनुपात में बढ़ा दिया जाये ताकि चीनी का रक्षित भंडार सरकार के अपने हाथों में ही रहे और वह उसके रख-रखाव आदि का खर्च मिलों को देने से बच सके । जो व्यवस्था की गई है वह अनावश्यक है और वह देश में उपभोक्ताओं की कीमत पर मिल मालिकों का वित्तपोषण करने के लिए की गई है ।

मैं यह बताना चाहता हूं कि इस संशोधनकारी विधेयक के दो भाग हैं । एक में आप ने उपकर को 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये करने का प्रस्ताव किया है राजपत्र में पहले जारी की गई अधि सूचना में यह 5 रुपये थी जिसे अब बढ़ाकर 14 रुपये किया जा रहा है । अधिसूचना के बाद यह 10 रुपये हुआ और अब इसे 15 रुपये करने का प्रस्ताव है । प्रस्तुतः मूल अधिनियम ही हमने कुछ मास पहले ही पारित किया था और अब आप इसे 5 से 14 रुपये लगभग तिगुना बढ़ाने जा रहे हैं ।

यहां यह प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा रक्षित भंडार के लिए किया जा रहा है ? नहीं ऐसा तो वे लेवी चीनी की मात्रा बढ़ाकर कर सकते थे । क्या ऐसा उपभोक्ताओं के हित में किया जा रहा है । बिल्कुल नहीं । यह तो केवल मिल-मालिकों के हित में है । गत सत्र में यह कहा गया था कि

उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ रुग्ण मिलों का अधिग्रहण किया जा रहा है। यह स्पष्ट है कि मिल मालिकों ने मिल की निधि का दुरुपयोग किया और इस धन को अपनी अन्य फर्मों को दे दिया तथा मिल के नाम में भारी राशि का कर्ज लिया। अन्त में सरकार को कुछ मिलों को अपने नियंत्रण में लेना पड़ा और उनके ऋण आदि चुकाने हेतु उनके बिलों का भुगतान करना पड़ा। तथा उन्हें पुनः चालू करने के लिए उनमें पूंजी भी लगानी पड़ी। ऐसी स्थिति में मंत्री महोदय यह कैसे कह सकते हैं कि इस विधेयक के माध्यम से वह उत्पादकों और उपभोक्ताओं का हित-साधन कर रहे हैं? इससे तो मिल मालिकों का भला होगा न कि उत्पादकों का या उपभोक्ताओं का। अतः मेरा कहना है कि यह विधेयक इस योग्य नहीं है कि इसे पारित किया जाये। बल्कि इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : श्रमिकों का हित-साधन भी होगा क्योंकि यदि मिलों की हालत अच्छी होगी तो वे अपने कर्मचारियों को अच्छी मजूरी देंगे और उन्हें बेहतर सुविधाएं देंगे तथा यदि किसानों को मिलों से अच्छे मूल्य मिलेंगे तो किसान भी खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को अच्छी मजूरी देंगे।

श्री भोगेन्द्र झा ने कुछ ऐसी बातें उठाई है जिन्हें मैं नहीं समझ सका। मूल अधिनियम में हमने सरकार को 10 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपकर लगाने की शक्ति दी थी। उसी अधिनियम में 5 रुपये प्रति क्विंटल की दर से शुल्क लगाने का उपबंध है। इस विधेयक में हमने सरकार को 15 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपकर लगाने की शक्ति दी है। साथ ही हमने कहा है कि यह 14 रुपये प्रति क्विंटल की दर से वसूल किया जायेगा। यह एकदम स्पष्ट है और भ्रम होने की गुंजाइश ही नहीं है। जैसे ही संसद के दोनों सदन इस विधेयक को पारित कर देंगे, तैसे ही सरकार 14 रुपये प्रति क्विन्टल की दर से इसे लगाने के लिए शक्ति-सम्पन्न होगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब सभा में इस विधेयक पर खंडवार चर्चा होगी।

खंड-2

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक

सभापति महोदया : अब हम विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा-शर्त) संशोधन विधेयक लेंगे। श्री धर्मवीर अब प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा-शर्त) अधिनियम 1976 का संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाये।"

जैसा कि सभा जानती है कि विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा-शर्त) अधिनियम 1976 में पारित किया गया था और वह 6 मार्च, 1976 को लागू किया गया था। इस समय यह अधिनियम फार्मास्यूटकल उद्योग में कार्यरत स्थापनों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करता है। यह विक्रय संवर्धन कर्मचारियों को ऐसे लाभ प्रदान करता है जो विभिन्न श्रम-कानून सेवा की सुरक्षा, न्यूनतम मजूरी, प्रसूति-लाभ, काम की दशाओं, भुगतान और उपदान के भुगतान के सम्बन्ध में प्रदान करते हैं। इसमें छुट्टी अन्य और मामलों के बारे में भी उपबंध हैं।

इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में, जो 6 मार्च 1976 को लागू हुए थे, विक्रय संवर्धन कर्मचारियों को उपलब्ध सार्वजनिक अवकाश और छुट्टियों के सम्बन्ध में ब्योरा, तथा ऐसे कर्मचारियों के सम्बन्ध में रखे जाने वाले रजिस्टरों तथा अन्य कागजातों तथा नियुक्ति पत्र के प्रारूप दिये हैं। नियम 3 में यह व्यवस्था है कि सार्वजनिक अवकाशों और छुट्टियों से सम्बन्धित अध्याय दो के उपबंध, विक्रय संवर्धन कर्मचारियों पर लागू किसी भी करार या सेवा संविदा या पंचाट में कोई भी विरोधी बात होने के बावजूद लागू होंगे।

राज्य सभा की अधिनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने इन नियमों की जांच की थी और 1976 में यह विचार व्यक्त किया था कि विधान मंडल को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह ऐसे करारों को अधिनियम में संशोधन करके समाप्त कर सकती है जो इस अधिनियम या उसके

अन्तर्गत बने नियमों के उपबंधों के विरोधी हों। इस समिति की राय में नियम 3, अधिनियम में केन्द्रीय सरकार को दी गई नियम बनाने की शक्ति से बाहर जा पड़ता है और इसलिए समिति ने सुझाव दिया था कि विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम में ऐसा संशोधन किया जाये जिससे नियम 3 को भी विधायी स्वीकृति प्राप्त हो जाये। सरकार ने यह सुझाव मान लिया है।

(श्री एन० के शेजवलकर पीठासीन हुए)

महोदय, इस पृष्ठ भूमि में सरकार ने विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम 1976 में भूतलक्षी प्रभाव से एक नई धारा—धारा 11 क —जोड़कर संशोधन का प्रस्ताव किया है ताकि राज्य सभा की अधिनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिश को क्रियान्वित किया जा सके।

आपको मालूम है कि राज्य सभा में जब यह विचारार्थ लिया गया था तब सभी सदस्यों ने कुछ निम्न सुझाव दिये थे यथा इस अधिनियम को अन्य उद्योगों पर लागू किया जाये, 'विक्रय संवर्धन कर्मचारी' पद की परिभाषा में दी गई मजूरी-सीमा में वृद्धि की जाये, अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति की जाये, अधिनियम के अन्तर्गत उपबंधित दंड सम्बन्धी कुछ उपबंधों को सरल बनाया जाये और न्यायालयों में प्रार्थनाओं को देने आदि के लिए निर्धारित समय-सीमा में ढील दी जाये।

विक्रय संवर्धन संस्थानों के बहुत से कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम का लाभ प्राप्त होगा क्योंकि औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982, जिसे संसद् पहले ही पारित कर चुकी है और जिसको राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई है, सभी विक्रय संवधन संस्थानों पर लागू होता है।

राज्य सरकारों से निरीक्षणालय तंत्र-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और विक्रय संवर्धन कर्मचारी अधिनियम की समूची कार्यप्रणाली का समय समय पर पुनरीक्षण करने के लिए कहा गया है।

हमने भारतीय भेषज उत्पादक संगठन और भारतीय चिकित्सा प्रतिनिधि संस्था महासंघ से विचार-विमर्श किया था। हम समुचित उपचारात्मक उपायों के लिए उन सुझावों पर जो हम प्राप्त हुए हैं, सम्बद्ध हितों के साथ परामर्श करके विचार कर रहे हैं। तथापि इस समय हमारा सम्बन्ध उस सिफारिश की क्रियान्विति से है जो राज्य सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने की है और इस उद्देश्य को सामने रखते हुए मैं माननीय सदस्यों से इस विधान का समर्थन करने तथा संशोधन विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं ताकि कर्मकारों के हितों की कारगर रूप से रक्षा की जा सके।

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : यह एक औपचारिक विधेयक है। इस विधेयक को राज्य सभा ने राज्य सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार पारित कर दिया है। उन्होंने अधिनियम तथा नियमों पर विचार किया है और देखा कि नियम 3 में संशोधन करने की आवश्यकता है। यदि उसे विधिमान्य बनाना है तो कुछ संशोधन आवश्यक है। सिफारिश के अनुसार इस संशोधन को धारा 11क के रूप में लाया गया है। इसे राज्य सभा में दो वर्ष पूर्व पुर:स्थापित किया था। इस संशोधन का लाने में लिया गया समय वस्तुत: आश्चर्यजनक है। विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा-शर्त) अधिनियम 1976 में पारित किया गया

था, जो 6 मार्च, 1976 को लागू हुआ, तद्धीन बनाये गये नियम 8 मार्च को लागू हुए। राज्य सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने इन नियमों की जांच की और यह विचार व्यक्त किया कि ऐसे गैर सरकारी करारों को जो किसी अधिनियम के उपबंधों के या संविधि के अधीन बनाये गये नियमों से असंगत हों, रद्द करने का परमाधिकार विधानमंडल का है। उसकी राय में नियम 3 ऐसा प्रतीत होता है जो केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति से बाह्य है। इसलिए उसे निकालने के लिए राज्य सभा में यह संशोधन लाया गया था।

जब 1976 में इस पर मूल रूप से विचार-विमर्श किया गया तो उन माननीय सदस्यों ने जिन्होंने विचार-विमर्श में भाग लिया, यह चाहा कि विक्रय संवर्धन कर्मचारियों की 'परिभाषा' में परिवर्तन किया जाए। यह परिभाषा केवल उन कर्मचारियों को लागू होती थी—जिनका वेतन 750 रुपए प्रतिमास था जिसके अन्तर्गत केवल 20 प्रतिशत कर्मचारी आते थे। उन सदस्यों ने मंत्री जी से अनुरोध किया कि इसे सभी कर्मचारियों पर लागू किया जाये। विधेयक पर बोलते हुए मंत्री जी ने कहा, ठीक है हमें इस विधेयक को पारित करने दीजिए और हम यथा समय व्यापक संशोधन लाकर सभी कर्मचारियों को इसके अन्तर्गत ले आयेंगे। जब इस संशोधन विधेयक पर राज्य सभा में चर्चा हुई तो यह प्रश्न फिर उठाया गया। सत्तारूढ़ दल के तथा प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों ने यही कहा कि इस संशोधन का कोई लाभ नहीं है जब तक कि सरकार एक ऐसा व्यापक संशोधन नहीं लाती जिससे भेषज उद्योगों में काम कर रहे सभी कर्मचारी इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं लाये जाते। मंत्री जी ने कहा मैं भेषज उद्योग के साथ विचार विमर्श करना चाहता हूं। वे कौन हैं? वे लोग हैं जो भारी मुनाफा लेते हैं। भारत का भेषज उद्योग अमरीका की अपेक्षा अधिक मुनाफा ले रहा है। दवाइयों की कीमत भी अन्य देशों की अपेक्षा सर्वाधिक है। मेरा कहने का आशय केवल यह है कि यदि कर्मकारों को कुछ विशेषाधिकार दिये जाते हैं तो भेषज उद्योग पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पिछली बार जब विधेयक राज्य-सभा में पुरःस्थापित किया गया तो सभी सदस्यों ने यही कहा कि यह परिभाषा बदली जानी चाहिए। मंत्री जी ने उत्तर देते हुए कहा जैसा हमारे माननीय मंत्री जी ने इस समय कहा, "वे सभी हितों की रक्षा करना चाहते हैं।" किसका हित? भारतीय चिकित्सा प्रतिनिधि महासंघ ने भारत सरकार को कई अभ्यावेदन दिये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ यह मांग की गई है कि अधिनियम में व्यापक परिवर्तन किये जाएं। श्रीमती कनक द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा :

"भारतीय चिकित्सा प्रतिनिधि संस्था महासंघ ने कई अवसरों पर— नवम्बर 1978 में और हाल में अक्तूबर, 1980 में मांग पत्र प्रस्तुत किये हैं। सरकार ने इस मागपत्र पर सावधानी से विचार किया है। और 1976 के अधिनियम में कतिपय संशोधन विचाराधीन हैं।" उत्तर ठीक दो वर्ष पहले दिया गया था। हमारे मंत्री जी अब भी सदन में यही कहते हैं कि मामला अभी विचाराधीन है। यह मामला कब तक सरकार के विचाराधीन रहेगा? बड़े ताज्जुब की बात है।

उसके पश्चात्, राज्य सभा में इस संशोधन विधेयक पर विचार-विमर्श के दौरान, श्री वैंकट रेड्डी ने कहा, मुझे सभी हितों के साथ परामर्श करना है। बहुत अच्छी बात है—विचार-विमर्श जरूर किया जाए। किन्तु आप विचार-विमर्श किसके साथ कर रहे हैं? क्या भेषज नियोजकों के

साथ ? वे कौन होते हैं ? उन्हें लोगों के स्वास्थ्य की कोई चिन्ता नहीं है और ये लोग वहीं हैं। जिन्हें देश को बेहतर दवाइयां देने के बारे में फिक्र नहीं है । तथापि, सरकार ने यह नहीं किया है।' यह एक प्रश्न है, जिसे मैंने मंत्री जी से इस समय पूछना है ।

इस संशोधन में विरोध करने के लिए कुछ नहीं है । मैं इसका पूरी तरह समर्थन कर सकता हूं । किन्तु सरकार से इस आश्वासन के बिना कि इस अधिनियम में परिवर्तन करने के लिए एक व्यापक संशोधन लाया जायेगा ताकि सभी भेषज उद्योग कर्मचारियों को इस अधिनियम की परिधि में लाया जा सके, समर्थन करना बहुत कठिन होगा । मूल अधिनियम की धारा 3 के अनुसार सरकार अन्य विक्रय संवर्धन कर्मचारियों को भी, जो अन्य उद्योगों में काम कर रहे हैं, शामिल कर सकती है ।

मुझे बताया गया है कई राज्य सरकारों ने बहुत-से उद्योगों को शामिल किये जाने तथा इस अधिनियम की परिधि में लाये जाने का सुझाव दिया है । मैं नहीं जानता सरकार ने क्या किया है । इसलिए मैं सरकार से यह बताने के लिए कहूंगा कि राज्य सरकारों की सिफारिश के अनुसार अन्य किन उद्योगों को इस अधिनियम की परिधि में लाया गया है ।

मूल अधिनियम की धारा 8 के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या राज्यों में इस अधिनियम को समुचित रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है अथवा नहीं, निरीक्षक नियुक्त किये जायेंगे । मैं जानना चाहता हूं कितने राज्यों में ऐसे निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं और यदि उन्हें नियुक्त नहीं किया गया है, तो क्यों ? इसलिए, 1976 से 1982 तक हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उस पर गौर किया जाना चाहिए । क्या सरकार ने इसकी जांच की है कि कई साल सरकारों ने इस अधिनियम पर गंभीर रूप से ध्यान नहीं दिया है । इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाये । मुख्य तथा महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल अधिनियम में व्यापक संशोधन करना है जिसकी भारतीय चिकित्सा प्रतिनिधि संस्था महा संघ ने मांग की है । मेरे विचार में सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी । मैं केवल यह कह रहा हूं कि इन हत्यारे बहु राष्ट्रिकों, जो भेषज तथा औषधि उद्योग में हैं, के सुझावों के अनुसार काम मत कीजिये ।

यह एक छोटा विधेयक है । मैं सरकार से केवल यही कहना चाहता हूं कि जब कर्मकारों से सम्बन्धित मामले आते हैं तो वह बहुत अधिक समय लेती है । इतने छोटे तथा साधारण विधेयक को इस सभा में लाने में उसे दो वर्ष लगे हैं । और फिर, यह संशोधन विधेयक भी, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति द्वारा सिफारिश किये जाने के चार साल बाद लाया गया है । इसलिए, एक छोटे से विधेयक के लिए छह वर्ष का समय लिया गया है । यदि मैं यह कहूं कि सरकार श्रमजीवी वर्ग के हितों की ओर गंभीर रूप से ध्यान नहीं दे रही है, तो उसमें किसी की शिकायत नहीं होगी क्योंकि इसका यह प्रमाण है । मैं झूठा आपेक्ष नहीं लगाना चाहता हूं । प्रमाण स्वयं सामने उपस्थित है ।

अन्त में, विधेयक के अतिरिक्त, मैं एक बात और कहना चाहूंगा । माननीय श्रम मंत्री जी भी यहां हैं । मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । कल बम्बई में कपड़ा कर्मकारों की हड़ताल

के बारे में काफी विचार-विमर्श किया। उस समय श्रम मंत्री यहां उपस्थित नहीं थे। हम चाहते थे वह भी यहां पर होते। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री लम्बा भाषण दे रहे थे। हम उनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। आप अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और हम अपने दृष्टिकोण से। किन्तु राष्ट्र के रूप में क्या हम बम्बई जैसे औद्योगिक नगर में नौ महीने तक कपड़े का एक तिहाई उत्पादन की क्षति बर्दास्त कर सकते हैं? श्रम समवर्ती सूची में है। हमारे कर्मकार नौ महीने से भूखे मर रहे हैं। हमें करोड़ों-अरबों रुपए के उत्पादन की क्षति हो गई है। इस तरह हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता। अन्त में, मैं श्रम मंत्री से अनुरोध करूँगा कि वह बम्बई में कपड़ा कर्मकारों की हड़ताल में तुरन्त हस्तक्षेप करने और समझौता करने के लिए जितनी शक्ति उसके पास है उसका वह प्रयोग करें।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : सभापति महोदय, यह विक्रय संवर्धन कर्मचारी अधिनियम 1976 में पारित किया गया और जैसा कि पूर्ववक्ता साथी ने बताया है कि उसी माह मार्च 1976 में 6 तारीख से यह लागू हो गया था। इस अधिनियम के तहत कर्मचारियों को सारे लाभ जैसे कि रोजगार की सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी, बोनस ये सब इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। जैसा कि बताया गया है कि राज्य सभा की सबोर्डिनेट लेजिसलेशन कमेटी ने अपनी बाइसवीं और 25 वीं रिपोर्ट में कुछ अनुशंसाएं की थीं कि मुख्य अधिनियम के नियम 3, को कानूनी आधार प्रदान किया जाना चाहिए। उन अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है, ऐसा मैं समझा हूं।

इसमें मान्यवर मुझे दो-तीन बातें कहनी हैं। एक बात यह कि जब 1976 में यह अधिनियम पारित हुआ था अधिनियम के खण्ड 2 (डी) में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि 750 रुपए तक पाने वाले कर्मचारी ही इससे लाभान्वित होंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि 1976 में रुपए का क्या मूल्य था और आज करीब साढ़े 6 साल बाद रुपए का क्या मूल्य है। कितनी गिरावट आई है। उसको देखते हुए 750 रुपए की आज क्या कीमत रह गई है? इसको देखना होगा। 1976 में यह अनुमान लगाया गया था कि इसमें करीब 15000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे, लेकिन उसके बाद आप देखें कि वेतन वृद्धि हुई है। पिछले 6 सालों में वेतन वृद्धि की वजह से स्वभावत: कर्मचारियों की सख्या कम रह गई है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रख कर इसकी सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए और इसको 12-15 सौ तक किया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि इसमें केवल औषधि उद्योग को ही लिया गया है। जब अधिनियम बनाया गया था, उसमें उपखण्ड 5 में यह व्यवस्था थी कि सरकार समय-समय पर नोटिफिकेशन के द्वारा अन्य उद्योग को भी इसके तहत ले सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से 1976 से लेकर अब तक किसी भी उद्योग को इनके तहत नहीं लिया गया। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि बहुत से ऐसे उद्योग हैं, जिनके कर्मचारियों को इससे लाभ मिलना चाहिए इसलिए आप राज्य सरकारों से सपर्क करके इन उद्योगों को भी इसके अंतर्गत लीजिए। तमाम उद्योग हैं जैसे साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, रबर का सामान, रेडीमेड कपड़े, जूते बनाने का उद्योग, बिजली का सामान, कृषि औजार, बीड़ी-सिगरेट ऐसे कई उद्योग हैं। आप राज्य सरकारों से संपर्क करके मालूम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को इससे लाभ मिले।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन बिल का समर्थन करता हूं और जैसा कि मेरे पूर्ववक्ता साथी ने सुझाव दिया है कि जो मुख्य अधिनियम है, उसमें कंप्रीहेसिव, एक आमूल-चूल परिवर्तन करके एक ऐसा विधेयक लाया जाना चाहिए, जिससे इस प्रकार के सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई-दक्षिण) : सभापति महोदय, यह विधेयक 1976 के अधिनियम में जो कमियां रह गई थीं उनको दूर करने के लिए लाया गया है। इसे लाने का एक कारण यह भी है कि अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने भी इसकी सिफारिश की थी। उस समिति की सिफारिश को लागू करने के लिए धारा 3 में संशोधन तथा धारा 11 क को पुरःस्थापित किया जा रहा है। इससे विक्रय संवर्धन कर्मचारियों को सरकारी छुट्टियों तथा दूसरी छुट्टियों आदि का लाभ पहुंचेगा चाहे किसी करार, सेवा संविदा या पंचाट में कोई असंगत बात ही क्यों न हो। मैंने इस विधेयक का भली भांति अध्ययन किया है। मैं समझता हूं कि यह विधेयक पूर्ण तथा व्यापक नहीं है क्योंकि इससे केवल 20 प्रतिशत विक्रय संवर्धन कर्मचारियों को ही लाभ पहुंचेगा तथा 80 प्रतिशत कर्मचारी इस विधान की परिधि में नहीं आएंगे। यदि ऐसे विधेयक को, जिससे सभी विक्रय संवर्धन कर्मचारियों को, जिनके लाभ के यह विधेयक लाया जा रहा है, लाभ न पहुंचे उसे लाने से क्या लाभ। इस विधेयक में पर्याप्त उपबन्ध नहीं किए गए हैं। इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। इससे केवल औषधि निर्माण कारखानों के विक्रय संवर्धन कर्मचारियों को ही लाभ पहुंचेगा। राज्य सभा में भी जब इस पर चर्चा हुई थी तो वहां के सदस्यों ने सरकार को यही सुझाव दिया था कि इस विधेयक में ऐसा उपबन्ध किया जाना चाहिए जिससे दूसरे वर्गों के कर्मचारियों को भी लाभ पहुंचे। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि सरकार ऐसा उपबन्ध करने के लिए क्यों हिचकिचा रही है। मुझे आशा है कि हमारे श्रम मंत्री, जो बहुत उद्यमी हैं, इस ओर ध्यान देंगे। मैं समझता हूं कि वर्तमान विधेयक के उपबन्ध से केवल औषधि-निर्माण कारखानों के कर्मचारियों को ही लाभ पहुंचेगा। राज्य सभा में मांग किए जाने के बावजूद भी अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए उपबन्ध नहीं किया जा रहा है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इसके अलावा एक और बात यह है कि इस विधेयक के उपबन्ध केवल उन कर्मचारियों पर लागू होते हैं। जिनका वेतन 750 रुपये तक है। बहु-राष्ट्रीय समवायों में वेतन 750 रुपये से अधिक होता है तथा कई बार चालाकी भी कर जाते हैं। वे विक्रय संवर्धन कर्मचारियों को अवसर बना देते हैं अर्थात् उनको अधिकारी का पद दे देते हैं किन्तु काम उनसे वही लेते हैं जो विक्रय संवर्धन कर्मचारी करते हैं। जिससे कि उन पर इस अधिनियम के उपबन्ध लागू न हों।

इस विधेयक में ये कमियां हैं। इसीलिए मेरा निवेदन है कि विक्रय संवर्धन कर्मचारी की परिभाषा को व्यापक बनाया जाए तथा इस में उन कर्मचारियों को भी लाया जाए जिनका वेतन 750 रुपये से अधिक होता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत कर्मकारों को बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर इंडियन एयरलाइन्स या एयर इंडिया में 1750 रुपये अथवा 1800 रुपये पाने वाले पायेलट को भी कर्मकार माना जाता है तथा उसे वे सब लाभ

मिलते हैं जो इस अधिनियम के उपबन्धों के तहत कर्मकारों को नहीं मिलेंगे। क्योंकि हमने 750 रुपये की सीमा निर्धारित कर दी है इसलिए यह सीमा निश्चित है। इसके विक्रय संवर्धन के सभी कर्मचारियों को लाभ नहीं पहुंचता जबकि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों को सभी लाभ मिलते हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान विशेष रूप से इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरा यह सुझाव है कि यद्यपि यह उपबन्ध औषधि-निर्माण कारखानों के लिए किया गया है तथापि इसे अन्य उद्योगों के कर्मकारों पर भी अवश्य लागू किया जाना चाहिए। संबंधित परिभाषा में सभी विक्रय सवर्धन कर्मचारी शामिल होने चाहिएं। एक तो यह बात रही।

दूसरी बात यह है कि मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह एक ऐसा व्यापक विधेयक लाए जिससे सभी कर्मचारियों को न्याय मिले तथा उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम जैसे विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत मिलने वाले बोनस आदि के लाभ प्राप्त हों। मेरा केवल यही निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे निवेदन करने के बावजूद भी आप आगे नहीं आएंगे। अच्छा तो आप वहां से ही अपना भाषण आरम्भ कीजिए।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह केवल मूल अधिनियम की कुछ कमियों को दूर करने के लिए ही लाया गया है : किन्तु फिर भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान दो बातों की ओर अवश्य दिलाना चाहूंगा। मेरी पहली बात तो यह है कि मूल अधिनियम में 'स्थापन' शब्द की परिभाषा से है जो औषधि-निर्माण उद्योग है या कोई अधिसूचित उद्योग है। इसके अलावा 'अधिसूचित उद्योग' की परिभाषा भी स्पष्ट नहीं है। अत: मेरे निवेदन है कि इनको स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए जिससे अन्य कर्मचारियों को भी लाभ पहुंच सके।

मेरी दूसरी बात 750 रुपये प्रति मास या 9000 रुपये प्रति वर्ष की सीमा के बारे में हैं। यह परिसीमा 1976 में तो ठीक थी किन्तु मैं समझता हूं कि देश में मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति को देखते हुए यह सीमा अब बढ़ायी जानी चाहिए। यह सीमा प्रबन्धक वर्ग के कर्मचारियों को छोड़ कर सब पर लागू होती है। यह तो ठीक है किन्तु वेतन की सीमा समय के परिवर्तन, धन की क्रय शक्ति के साथ साथ बढ़नी चाहिए।

इन दो बातों को छोड़कर मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय यदि इस विधेयक में नहीं तो बाद में पुन: और विधेयक प्रस्तुत करके इन त्रुटियों को दूर करेंगे।

श्री धर्मवीर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बालानन्दन, माननीय बी डी सिंह, माननीय राजदा माननीय झा का आभारी हूं कि उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है किसी ने इस पर अपना संशोधन नहीं दिया है। यह जो संशोधन विधेयक है इसकी मंशा को भी उन्होंने समझा है। उन्होंने दो तीन बातों की तरफ ध्यान दिलाया है। उन पर विचार हो रहा है। बाला-

नन्दन जी ने फार्मास्यूटिकल एम्प्लायीज की जो मांगे है उनकी चर्चा की है। वह मांग हमारे पास आई हुई है। उस पर शासन विचार कर रहा है और जल्दी निर्णय ले लिया जाएगा।

श्री वी डी सिंह ने और अन्य उद्योगों को भी इस में शामिल करने का सुझाव दिया है और कहा है कि केवल फार्मास्यूटिकल एम्प्लायीज तक ही इसको सीमित न रखा जाए। इसके बारे में हम ने राज्य सरकारों से अनुशंसाएं मांगी थीं। ग्यारह राज्य सरकारों ने अपनी अनुशंसाएं भेजी हैं और जिन उद्योगों को शामिल करने के लिए सुझाव दिए हैं वे हैं :

1. प्रसाधन सामग्री और साबुन
2. रबड़ उत्पाद, जिसमें टायर भी शामिल हैं।
3. मोटर यान, जिनमें उन के उपकरण तथा पुर्जे भी शामिल हैं।
4. सिलेसिलाये कपड़े।
5. जूते
6. शराब
7. बिजली के उपकरण
8. कृषि उपकरण
9. रंग रोगन
10. बीड़ी, सिग्रेट तथा तम्बाखू के अन्य उत्पाद।
11. मधुरहित शर्बत आदि।

यह सारी इसके अन्दर स्टेट्स की अनुसंशायें आयी हैं। इस पर सिर्फ नोटिफिकेशन की आवश्यकता है। सरकार इसकी नोटिफाई कर के इसको घोषित करेंगे और जल्दी ही कदम उठायेंगे।

वेज लिमिट का जहां तक सवाल है आई० डी० एक्ट पास होने के बाद इनको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, चाहे आई० एस० आई० की फैसिलिटी हो या अन्य कोई फैसिलिटी हो क्योंकि कोई वेज लिमिट नहीं है। ऐम्प्लाईज के लिये। इसलिये कोई इससे प्रभावित नहीं होता है। राज्य सभा की समिति ने इसको स्टेटयुटरी फोर्स देने की स्वीकृति की थी जिसे हमने स्वीकार कर लिया है, और अन्य संशोधनों के साथ आपके सामने आये हैं। आप इसको स्वीकार करें। इसका व्यापक समर्थन हो चुका है, और कोई विशेष जानकारी माननीय सदस्यों ने नहीं चाही है। जो सूचना चाही थी उसकी जानकारी मैंने दे दी है। मुझे आशा है कि आप इस बिल को स्वीकार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा-शर्त) अधिनियम, 1976 का संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित, रूप में विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्ड वार विचार आरम्भ होगा । खण्ड 2 और 3 के लिए कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गए ।

खण्ड 1

उपाध्यक्ष महोदय : इस खण्ड के लिए एक सरकारी संशोधन है । उसे आप पेश कर सकते हैं ।

संशोधन किया गया :

"पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1980" के स्थान पर "1982" प्रतिस्थापित किया जाए ।

(श्री धर्मवीर)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 1 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संशोधित रूप में खण्ड 1 में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अधिनियम सूत्र के लिए सरकारी संशोधन है आप । उसे पेश कर सकते हैं ।

संशोधन किया गया ।

"पृष्ठ 1 पंक्ति 1,—

"इकत्तीसवां के स्थान पर "तैंतीसवां" प्रतिस्थापित किया जाए ।

(श्री धर्मवीर)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री विधेयक को संशोधित रूप में पास करने का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

श्री धर्मवीर : श्रीमन मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक संशोधित रूप में पास किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक, संशोधन रूप में पास किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मुख्तारनामा (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब अगली मद पर चर्चा करेगी। श्री जगन्नाथ कौशल की ओर से श्री गुलाम नबी आजाद विधेयक पेश करेंगे।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : उपाध्यक्ष महोदय मैं श्री जगन्नाथ कौशल की ओर से प्रस्ताव करता हूं :—

"कि मुख्तारनामा अधिनियम, 1882 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए।"

श्रीमन्, यह विधेयक बहुत ही छोटा और मैं समझता हूं कि अविवादास्पद विधेयक है। इसके द्वारा मुख्तारनामा अधिनियम, 1882 में संशोधन किया जा रहा है। विधियों को आधुनिक और अद्यतन बनाने की अपनी नीति की इसी से इस विधेयक का पुनरीक्षण करने का विचार सरकार ने विधि आयोग की सिफारिशों की दृष्टि से किया है। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य के अतिरिक्त समूचे भारत पर लागू होता है।

यद्यपि अधिनियम का सम्बन्ध मुख्तारनामे से है परन्तु कहीं भी उसकी व्याख्या नहीं की गई है। इस कारण इसकी व्याख्या के लिए लोलेक्सिकन और अन्य विधि संधियों आदि को देखना पड़ता है। इस कठिनाई को हल करने के लिए अधिनियम में मुख्तारनामा शब्द की व्याख्या को जोड़ा जा रहा है।

धारा 4 में यह उपबन्ध है कि मुख्तारनामा उच्च न्यायालय में रहता है। तथा उसकी

प्रमाणित प्रतियां वह जारी करता है। ये प्रतिया, बिना किसी और सबूत के, कागजातों के विषय वस्तु के पर्याप्त प्रमाण हैं। यह सुविधा उच्च न्यायालय से अत्यधिक दूर के स्थानों में रहने वाले लोगों को भी देने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए मुख्तारनामा जिला न्यायालयों में रखने और उनके द्वारा प्रमाणित प्रतियां जारी करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। इससे उच्य न्यायालयों से दूर रहने वाले लोगों को लाभ होगा।

वर्तमान धारा 5 की शब्दावली से यह आभास होता है कि बाल विवाह रोक अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबन्धित बाल विवाह की अनुमति है और एक विवाहित आवश्यक स्त्री मुख्तारनामा दे सकती है। परन्तु ठेका अधिनियम की धारा 183 के अनुसार एक वयस्क और पूर्णतः होस-हवास वाला व्यक्ति अपना एजेन्ट नियुक्त कर सकता है। अधिनियम के अनुसार एक स्त्री की न्यूनतम विवाह आयु 18 वर्ष है और यही वयस्क होने के लिए सामान्य आयु है। दूसरे विवाह होने से ही कोई वयस्क नहीं हो जाता। इसलिए एक अवयस्क स्त्री के उल्लेख का लोप करने का प्रस्ताव है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि एक अवयस्क, वह चाहे विवाहित हो अथवा अविवाहित, को एक एजेन्ट नियुक्त करने अथवा मुख्तारनामा देने का अधिकार नहीं है।

यह विधेयक 7 अक्तूबर, 1982 को राज्य सभा ने पास कर दिया है। मैं इस संशोधन को करने की सिफारिश सभा से करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :—

"कि मुख्तारनामा अधिनियम, 1882 का और संशोधन करने वाले विधेयक, पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

श्री एम रामन्ना राय (कासरगोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक अब चर्चा हेतु इस सभा में आया है। राज्य सभा में तो यह पहले ही पास किया जा चुका है। लेकिन मंत्री जी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इसमे सशोधन क्यों किया जा रहा है। मूल अधिनियम 100 वर्ष से है। अब यह संशोधन सभा में क्यो लाया जा रहा है? मंत्रीजी इसे क्यों पास कराना चाहते हैं?

1977 में विधि आयोग ने अपने 68 वें प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि सम्पूर्ण मुख्तार-नामा अधिनियम को बदल कर उसकी जगह नया अधिनियम लाया जाये। लेकिन यह तो केवल एक सशोधन ला रहे है। इसकी अब क्या जरूरत है? विधि आयोग की सिफारिश पर विचार क्यों नही किया जा रहा। व्यापक विधेयक क्यों नहीं लाया गया।

मैं विधेयक के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। पिछले 100 वर्षों से कोई शिकायत नहीं थी। यद्यपि यह अधिनियम हमारे शासकों ने तैयार किया था किन्तु ऐसे तो 75 प्रतिशत हमारे कानून उन्ही के बनाये हुए हैं। लेकिन इस अधिनियम के बारे में किसी को कोई शिकायत नहीं। अब इस संशोधन को लाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यदि सरकार धैर्य से काम लेती तो एक व्यापक विधेयक लाया जा सकता था। यदि देश के आम आदमी की भलाई का सरकार ने सोचा होता और महत्वपूर्ण विधेयक लाई होती तो मैं इस बात की प्रशंसा करता। अतः मेरा निवेदन है कि यह संशोधी विधेयक जरूरी नहीं। लेकिन यदि यह पास हो जाये तो कोई हानि भी नहीं। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, मेरे मित्र ने इस अधिनियम में संशोधन की जरूरत के बारे में कहा है। मैं उनसे कुछ सहमत हूं। खण्ड 5 की धारा 4 के बारे में मैं सहमत हूं कि इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इस संशोधन की जरूरत के बारे में मैं स्पष्टीकरण कर दूं। जैसा मैंने पहले ही कहा है कि अधिनियम 100 वर्ष पुराना है। यद्यपि यह मुख्तारनामा में सम्बन्धित है। लेकिन इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा न था। अब स्पष्ट परिभाषा दी गई है। अधिनियम में बार-बार प्रयोग किये शब्द समय के साथ-साथ पुराने पड़ गये हैं। उन्हें निकाल दिया गया है। इस संशोधन को लाने का मुख्य उद्देश्य जिला न्यायालयों में भी अधिकारियों को मुख्तारनामा की सुविधा देना है। मूल अधिनियम की धारा 4 के खण्ड (क) और खण्ड (घ) में "उच्च न्यायालय" या 'जिला न्यायालय' शब्द अन्तः स्थापित किये जायेंगे। देश के दूर-दराज इलाकों में आम आदमी की कठिनाइयों को देखते हुए ऐसा किया गया है। अब तक मुख्तारनामा केवल उच्च न्यायालय में जमा करा कर वहीं के प्रमाण पत्र की प्रति ली जा सकती थी। लेकिन अब इस संशोधन से जिला स्तर पर यह सुविधा मिल सकेगी।

साथ ही धारा 3 के संशोधन में यह उपबंध है :—

"मूल अधिनियम की धारा 5 में "एक विवाहित महिला को, चाहे वह अवयस्क हो या न हो, इस अधिनियम के द्वारा, यह अधिकार होगा, जैसे कि वह अविवाहित है और वयस्क है, शब्दों के स्थान पर "वयस्क विवाहित महिला को, इस अधिनियम के द्वारा, जैसे कि वह अविवाहित है, वह अधिकार होगा" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।"

इसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि एक महिला चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित, यदि वह अवयस्क है, उसे किसी एजेन्ट को नियुक्त करने या मुख्तारनामा बनवाने का अधिकार नहीं है।

मेरे विचार में यह विवादास्पद बात नहीं है। यह तो साधारण विधेयक है और मेरा अनुरोध है कि सदस्य इस विधेयक को पास कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि मुख्तारनामा अधिनियम, 1882 का और संशोधन करने वाले विधेयक, पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

कि खण्ड 2 से 6 विधेयक का अंग बनें।

खण्ड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विधेयक को पढ़ कर हैरानी हुई । मुझे आशा थी कि विधि मंत्री अपने अनुभव और विचारों के आधार पर एक व्यापक विधेयक लायेंगे ।

विधि और न्याय मंत्रालय से सम्बन्ध सलाहकार समिति ने वर्तमान विधि मंत्री भी उस के एक अंग हैं, एकमत से निर्णय लिया था कि वकील की फीस समाप्त होनी चाहिये । हम जितने भी चाहें संशोधन करें उनका लाभ समाज के अमीर वर्ग को ही मिलता है ।

अब भी लाभ उन्हें ही मिलेगा क्योंकि विधिक रूप से और संवैधानिक रूप से हमारे देश में भी अन्य पूंजीवादी देशों की भांति न्याय बिक जाता है । हमारी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में मुझे आशा थी कि वकील, तथा न्यायालय की फीस समाप्त करने हेतु विधेयक लाया जायेगा । यह बात उचित और साहयक होगी कि यह सुविधा जिला न्यायालयों तक पहुंचायी जाये । अत: मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री आर० एस० स्पैरो (जालन्धर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुखतारनामा (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं । समय गतिशील है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं और समाज को उनके अनुकूल बनाने काम निरन्तर चलता रहेगा । मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस विधेयक को हमारे विधि मंत्री द्वारा बनाया गया है । इसमें दो महत्वपूर्ण बाते हैं । पहली भारतीय नारी के बारे में, जिस पर हमें गर्व है । भारतीय नारीत्व विश्व में सर्वोत्तम है और उसे हम जहां-कहीं भी सम्मान दे सकें, जरूर दिया जाना चाहिए । यह प्रसन्नता की बात है कि इस विधेयक के माध्यम से यह उपबन्ध किया गया है कि अवयस्क सभी मुखतारनामा देकर आत्म निर्भर बन सकती है । यह पत्र समाज की आधुनिक विचारधारा के अनुरूप है । दूसरी बात उन कठिनाइयों के बारे में है जिनसे हम सदैव घिरे रहते हैं । न्यायालयों के बारे में कठिनाइयों से हम सभी लोग परिचित हैं । अभी हाल ही में मेरे कई मित्रों ने उदाहरण देकर बताया था कि कितने मामले विचाराधीन रहते हैं, कितने मामलों को विभिन्न स्तरों पर उनके सही परिपेक्ष में अलग-अलग छांटना होता है, किन्तु कतिपय कठिनाइयों के कारण यह सरल नहीं है । इस तरह अधिनियम से सम्बन्धित किसी बात को ऊपर जाने के बजाय जिला स्तर पर अलग कर लेना सबसे अच्छी बात है ।

इस खास बात के लिए मैं विधि मंत्री जी को बधाई देता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि मामले की मुकदमेबाजी के लिए जितनी कम गुंजाइस रखी जाये, उतना बेहतर है । प्रतिपक्ष के मेरे मित्रों ने भी विधेयक में किये गये इस उपबन्ध का स्वागत किया है । इन शब्दों के साथ अपना धन्यवाद करते हुए मैं भाषण समाप्त करता हूं ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री झा सहाब ने विधेयक का समर्थन किया है जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं ।

लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने कुछ प्रश्न उठाये हैं। एक न्यायालय की फीस के बारे में है। किन्तु इन प्रश्नों का प्रस्तुत विधेयक से सम्बन्ध नहीं है ।

मैं अपने माननीय मित्र श्री स्पैरो जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने भी विधेयक का समर्थन किया है और कहा कि समय गुजर पर सदैव कुछ संशोधनों की आवश्यकता होती है।

इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री भोगेन्द्र झा : इस मामले का सीधा सम्बन्ध विधि मन्त्री से है और इन दो प्रश्नों पर सभा उनसे सुनना चाहेगी।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : किसी अन्य अवसर पर।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनसे अलग से मिल लीजिये। वह अपना स्पष्टीकरण दे देंगे। प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक के बारे में

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद लेते हैं। श्री प्रणव मुखर्जी।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : चूंकि सभा में गणपूर्ति नहीं है अतएव मेरा अनुरोध है कि सभा में इसे सोमवार को लिया जाए।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : गणपूर्ति का कोई प्रश्न नहीं है। गणपूर्ति है। किन्तु यदि सभा की ऐसी ही मर्जी है, तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा की सहमति है तो हम इसे स्थगित कर सकते हैं। क्या सभा स्थगित करने के लिए सहमत है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गणपूर्ति का प्रश्न गंभीर रूप से नहीं उठा रहे हैं। वह इस मद को स्थगित करवाना चाहते हैं। मुझे आशा है सभा स्थगित करने के लिए सहमत है।

इसलिए, हम सभा को सोमवार, 18 अक्तूबर, 1982 तक के लिए स्थगित करते हैं।

5.26 म० म० तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 18 अक्तूबर, 1982/26 आश्विन, 1904 (शक) के ग्यारह बजे (म० प०) तक के लिए स्थगित हुई।